छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **तृतीय सत्र**

बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2024

(श्रावण 02, शक सम्वत् 1946)

[अंक 03]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2024

(श्रावण 2, शक सम्वत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यहां पर स्पष्ट रूप से गुटबाजी दिख रही है। एक ग्रुप सड़क में है और एक ग्रुप सदन के अंदर है। नेता प्रतिपक्ष के बाजू वाले सदस्य सड़क में है और नेता प्रतिपक्ष जी अंदर है। हमने ऐसी सरेआम गुटबाजी और किसी दल में नहीं देखी है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, यह गुटबाजी नहीं है। यह आपके खिलाफ जो धरना चलने वाला है, वह है। हमने आधे सदस्यों को सड़क में छोड़ दिया है और आधे सदस्य सदन में है। यहां गुटबाजी नहीं है।

जिला बालोद में महिलाओं/बच्चों की गुमशुदगी पर कृत कार्यवाही

[गृह]

1. (*क्र. 664) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला बालोद में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 तथा 30-06-24 तक कितनी महिलाएं एवं बच्चों के गुमशुदा होने के प्रकरण दर्ज हैं ? थानावार जानकारी दें ? **(ख)** इन लापता महिलाओं एवं बच्चों की खोज करने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? **(ग)** कितनी लापता महिलाओं एवं बच्चों को खोजा गया है ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की वर्षवार, थानावार जानकारी **संलग्न "प्रपत्र[1]"** अनुसार है। **(ख)** पुलिस विभाग द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के दौरान प्रत्येक जिलों में अदम दस्तयाब लापता महिलाओं एवं बच्चों के प्रकरणों में प्रकरणवार टीम गठित कर अदम दस्तयाब लापता महिलाओं एवं बच्चों की शत-प्रतिशत बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। चलित थाना के माध्यम से एवं समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लापता महिलाओं एवं बच्चों की

[1] परिशिष्ट "एक"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तलाश की जा रही है। इसके अलावा लापता महिलाओं एवं बच्चों की बरामदगी हेतु पुलिस द्वारा ईश्तहार जारी कर तथा दूरदर्शन में भी प्रसारण कराया जाकर एवं सायबर सेल के माध्यम से मोबाईल लोकेशन ट्रेस कर लापता महिलाओं एवं बच्चों की तलाश की जा रही है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर गुम इंसान सेल का गठन किया गया है जिसके माध्यम से लापता व्यक्तियों की बरामदगी की निगरानी की जा रही है। **(ग)** उक्त अवधि में 610 महिलाओं एवं 151 बच्चों को खोजा गया है। थानावार जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरे प्रदेश की जानकारी चाही थी परंतु प्रश्न को तब्दील कर दिया गया है और मुझे यहां केवल जिला की जानकारी मिली है। जिन जिलों की जानकारी दी गयी है, उसमें महिलाओं एवं बालकों की गुमशुदगी में कुल 106 प्रकरण अभी-भी लंबित है। वे प्रकरण कब के हैं और अभी तक उसमें क्या कार्रवाई की गयी ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का समय ही 2022-23, 2023-24 और अभी 30 जून, 2024 तक पूछा गया था। माननीय सदस्य महोदया ने पूरे प्रदेश के सभी थानों की जानकारी पूछी थी। यह प्रश्न बहुत अच्छा था और उसकी जानकारी भी निःसंदेह संधारित है। संकलन में परेशानी हुई और इसलिए जिले की जानकारी दी गयी परंतु मैंने माननीय सदस्य महोदया को पूरे प्रदेश की और इस कालखण्ड की भी जानकारी दी है। उसमें थानेवार जानकारी देना शेष है। अभी इसमें 106 प्रकरण ऐसे हैं, जिसमें महिलाओं का पता नहीं चल पाया है। जिसमें अभी 106 महिलाएं लापता है। यह प्रारंभ से लेकर अभी तक पूरे कालखण्ड के प्रकरण हैं। इसमें वर्ष 2022 के, 2023 के और इस समय वर्ष 2024 के प्रकरण हैं। इसमें स्थिति यह है कि वर्ष 2024 में, इस समय के कुल 33 प्रकरण हैं और शेष पुराने समय के हैं। वह चाहे किसी भी वर्ष के प्रकरण हो, उसमें खोजबीन आवश्यक है। इसके लिए अपनी प्रक्रियाएं हैं। बच्चों के लिए अलग प्रक्रियाएं हैं और महिलाओं के लिए अलग प्रक्रियाएं हैं। उन सारी प्रक्रियाओं पर पुलिस अनवरत् काम करती है। इसमें जो-जो प्रकरण हैं, यदि आप उन प्रकरणों की स्पेसिफिक जानकारी चाहें कि कौन-कौन से प्रकरण कब के हैं तो मैं आपको वह जरूर उपलब्ध करा दूंगा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी जानकारी बहुत आवश्यक है। मैंने तो सभी की जानकारी चाही थी परंतु मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि आप इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है ?

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यदि आप प्रारंभिक तौर पर देखेंगे तो 716 महिलाएं लापता हुई थीं, जिसमें 610 महिलाओं को खोजा गया है, वह 85 प्रतिशत है । ऐसे ही बच्चों की स्थिति में 164 नाबालिग बच्चे गायब हुए थे, जिसमें से 151 बच्चों को खोजा गया है, वह 92 प्रितशत है। इसके बाद इसमें प्रेस में विज्ञप्ति देना, यदि जैसे बच्चे गुम हो गये हैं तो Track the missing child नामक वेबसाईट पर जानकारी अपलोड करना, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर Anti human trafficking

unit को बताना और इस पर काम करना, इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो ऑपरेशन मुस्कान प्रारंभ हुई है, उस ऑपरेशन मुस्कान के जरिये भी बच्चों के लिये साल में दो बार विशेष अभियान चलाकर उनकी प्राप्ति की कोशिश करते हैं। इसकी अपनी पुनर्वास योजनाएं हैं। इन सारे माध्यमों से महिलाएं या बच्चे जो भी लापता है, उनकी खोज लगातार की जा रही है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सिर्फ यही जानकारी चाही थी कि यह विलंब क्यों हो रहा है ? क्योंकि आपके पास सायबर सेल है, महिला सेल है। आप कह रहे हैं कि आप इसका पूरा प्रचार प्रसार भी करा रहे हैं, उसके बाद भी पूरे प्रदेश में यह अपराध बढ़ते जा रहे हैं। चाहे बच्चों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो। जैसे कई बार यह भी सुनने को मिला है कि यहां से कई दलालों या ठेकेदारों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को बाहर के राज्यों में भेजा गया है। आप यह बता दीजिए कि आपने ऐसे दलालों और ठेकेदारों के ऊपर क्या कार्यवाही की और कितने लोगों के ऊपर कार्यवाही की?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय,ऐसे कोई भी लोग जिनके माध्यम से इस तरीके के Human trafficking का विषय आता है] उसकी कार्यवाही की अपनी प्रक्रिया है। उसका एस.ओ.पी. भी जारी है। उसके आधार पर कार्यवाही होती है। आप मुझे संख्यात्मक कहेंगे कि अभी आपने कितने कार्यवाही की तो तुरंत में यह बताना मुश्किल है। मैं, आपको इसकी जानकारी जरूर उपलब्ध करवाऊंगा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। जब प्रश्न लगता है तो आपके अधिकारी लोगों को तैयारी करनी चाहिए और आप अभी बोल रहे हैं कि तुरंत में यह बताना मुश्किल है तो आप प्रदेश का नहीं बता पा रहे हैं तो कम से कम जिले की ही जानकारी बता देते कि हमारे जिले में ऐसे दलाल या ठेकेदार सक्रिय हैं जो बाहर के प्रदेशों में लड़कों, लड़कियों और महिलाओं को ले जाकर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, आप इसके बारे में जानकारी दीजिए ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बाहर ले जाने वाली संस्थाएं हैं, उनके लिए एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत वह एस.डी.एम. के माध्यम से पंजीकृत संस्थाएं ही अपनी Caution money जमा करके ही ले जाती हैं। अन्य जो भी लोग हैं अगर ऐसा करते हैं तो वे गुनहगार हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते। इन प्रक्रियाओं में जो कार्यवाही हुई है, नि:संदेह मैं, आपको उससे अवगत करवाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप एक और आखिरी प्रश्न करिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक जिले में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आपके अधिकारी निष्क्रीय हैं। वहां पर कानून व्यवस्था लचर होते जा रही है इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से यही चाहूंगी कि पूरे जिले में हो या प्रदेश में हो। इस तरह के दलाल और ठेकेदार सक्रिय हैं, उनके ऊपर कार्यवाही हो।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- यह काफी गंभीर विषय है। आप इस विषय पर चिंता कर लेंगे। माननीय रोहित साहू जी।

<u>मनरेगा अंतर्गत सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा समाप्ति पश्चात पुनः बहाली</u>

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

2. (*क्र. 670) श्री रोहित साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2022 में मनरेगा अंतर्गत विभिन्न जिला में छ.ग. सिविल सेवा नियम 2012 की कंडिका 11(5) के तहत 21 सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा समाप्त करने के पश्चात पुनः बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की सहमति के किन नियमों के तहत सेवा में पुन: बहाली कर रखा गया? **(ख)** छ.ग. सिविल सेवा नियुक्ति नियम, 2012 में सेवा समाप्ति पश्चात अपील व बहाली के प्रावधान नहीं होने के बावजूद किन नियमों के अंतर्गत बहाली कर सेवा में रखा गया ? क्या इन अधिकारियों की सेवा समाप्त की जावेगी?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) मंत्रीपरिषद की बैठक दिनांक 22.07.2022 में लिये गये निर्णय अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के 21 सहायक परियोजना अधिकारियों (संविदा) की सेवा समाप्ति के आदेशों को निरस्त किया गया है। **(ख)** मंत्रीपरिषद के निर्णय अनुसार उक्त 21 सहायक परियोजना अधिकारियों (संविदा) को सेवा में रखा गया है। अतः इन अधिकारियों की सेवा समाप्त नहीं किया जावेगा।

श्री रोहित साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है। वर्ष 2022 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा अंतर्गत संविदा भर्ती में हुए 21 सहायक परियोजना अधिकारियों(संविदा) की सेवा समाप्त की गई थी, लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां आ गईं जो कुछ दिनों के बाद सेवा समाप्ति के बाद पुन: उन्हें किस नियम के तहत सेवा प्रदत्त की गई है, मैं यह जानना चाहूंगा ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी माननीय सदस्य को इस विषय में पूरी लिखित जानकारी दी गई है कि 02 जून, 2022 को हड़ताल रद्द कर्मचारी जिन्होंने नियमितिकरण की मांग को लेकर, तत्कालीन राज्य सरकार के विरूद्ध में हड़ताल किया था। उनको बर्खास्त किया गया था, चूंकि यह संविदा कर्मी थे और इनके स्थान पर जो नियमित सहायक परियोजना अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति, अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था। उसके पश्चात् 15 जुलाई, 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के आदेश से इस प्रत्याशा में की, इसको कैबिनेट में समर्थन मिल जायेगा। 15 जुलाई, 2022 को उनको पुन: नियुक्ति दी गई। मतलब पुराना जो निरस्तीकरण का ...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने केवल यह पूछा है तो माननीय मंत्री जी भाषण दे रहे हैं। इनकी पुलिस कंट्रोल में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- यह पुलिस का प्रश्न हीं है। यह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित प्रश्न है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से यह गृहमंत्री बने हैं कवर्धा जिले में इतनी घटनाएं होती हैं जो कहीं पूरे प्रदेश में नहीं होती हैं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने कार्यकाल के पिछले 5 सालों में जो कवर्धा जिले का हाल करके रखा था, उस समय की घटनाएं हैं। उन घटनाओं को...।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कवासी जी, आपको पहले प्रश्न में हस्तक्षेप करना था। अभी दूसरा प्रश्न आ गया है। पुलिस से हटकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में आ गया है। इसलिए आप कभी बाद में हस्तक्षेप करियेगा।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 15 जुलाई, 2022 को तात्कालीन मुख्यमंत्री के माध्यम से आदेश जारी किया गया और 22 जुलाई, 2022 को कैबिनेट में उस आदेश का अनुमोदन हुआ, जिसमें यह कहा गया था कि जो उन सहायक परियोजना अधिकारी को निकालने के आदेश हैं, उसको समाप्त किया जाता है। अत: उनकी पुन: नियुक्ति 15 जुलाई, 2022 के बाद से हो गई थी। अब पुन: इनको हटाने की कोई बात नहीं है क्योंकि कैबिनेट के माध्यम से इनके उस आदेश को समाप्त किया गया था।

अध्यक्ष महोदय :- रोहित जी, माननीय मंत्री जी का जवाब है कि सहायक परियोजना अधिकारियों को पुन: नियुक्ति दे दी गई है। क्या आपको और कुछ पूछना है?

श्री रोहित साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन पंचायत मंत्री जी ने इसी कार्य को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। अपर सचिव के द्वारा एक आदेश भी हुआ है कि ऐसा कोई नियम का प्रावधान नहीं है। इसमें तत्कालीन पंचायत मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को साफ शब्दों में लिखा है कि उसी पद पर पुन: रखा जाना सर्वथा अनुचित है। भविष्य में और कोई भी घटना घट सकती है। जो कर्मचारी जनहित तथा राष्ट्रहित के विपरीत कार्य कर रहे थे, उनकी पुन: नियुक्ति अनुचित है। लेकिन इस सबके बावजूद इनको पुन: पदस्थापना मेरे बगैर अनुमोदन के कर दी गई है जो मुझे अस्वीकार्य है। इस पद की नियुक्ति के बाद माननीय तत्कालीन पंचायत मंत्री जी ने इस पद से इस्तीफा भी दिया था। आयुक्त द्वारा, अपर सचिव द्वारा आदेश भी दिया गया है कि जो राष्ट्रहित में या देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, उनको संविदा में पुन: नियुक्ति किया जाना संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह पूरे प्रदेश का मामला है। प्रदेश में जिले में मनरेगा अंतर्गत सहायक परियोजना अधिकारी के रूप में बैठते हैं जिनकी नियुक्ति में न तो कोई निविदा हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये न कि आप क्या जानना चाहते हैं?

श्री रोहित साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग कर रहा हूं कि यह जो मनरेगा अंतर्गत 21 सहायक परियोजना अधिकरियों (संविदा) की नियुक्ति हुई है, इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाये या उनकी नियुक्ति को निरस्त किया जाये ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पुराने पंचायत मंत्री जी और पुराने मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में बात है। पुराने मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष आदेश करके..।

श्री भूपेश बघेल :- केबिनेट का निर्णय था।

श्री विजय शर्मा :- नहीं भैया, यह आपका भी आदेश है जिसको आपने 15 जुलाई को किया है, आपने प्रत्याशा में किया और फिर 22 जुलाई को केबिनेट ने इसका अनुमोदन भी कर दिया। दोनो हीं बाते हैं। उस समय जो 21 सहायक परियोजना अधिकारी थे, उनको हटाने के उस आदेश को निरस्त कर दिया गया था। इसके लिए उनको पुन: नियुक्ति दे दी गई है। उन लोगों ने उस समय हड़ताल किया था। चूंकि पुरानी सरकार ने घोषणा की थी कि नियमितिकरण करेंगे और नियमितिकरण नहीं हो पा रहा था इसलिए उन लोगों ने हड़ताल किया था। अब पुन: ऐसा किया जाना कि उनको फिर से उस नौकरी से हटा देना, यह अनुचित होगा। अत: इनकी नौकरी बरकरार रहेगी।

<u>पुलिस विभाग में नक्सल प्रभावित कर्मचारियों की मैदानी क्षेत्रों में पदस्थापना व आवास व्यवस्था</u>

[गृह]

3. (*क्र. 642) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पुलिस विभाग में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों की पदस्थापना मैदानी इलाकों में करने के क्या प्रावधान हैं तथा कब तक पदस्थापना की जावेगी ? **(ख)** क्या कर्मचारियों की पदस्थापना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने के संबंध में विभाग द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किया गया है ? यदि दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गए हैं, तो कब तक दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे, समयावधि बतावें? **(ग)** पुलिस विभाग में पदस्थ कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था का क्या प्रावधान है ? नवीन आवास की स्वीकृति कब तक होगी, समयावधि बतावें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :(क) उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति पर सामान्यतः प्रथम पदस्थापना कम-से-कम 03 वर्ष की अवधि या 54 वर्ष की आयु तक जो पहले पूर्ण हो, नक्सल प्रभावित जिलों में की जावेगी। तत्पश्चात् अन्य जिलों में पदस्थापना पर विचार ''बोर्ड'' द्वारा किया जायेगा का प्रावधान है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** जी हां। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** पुलिस विभाग में पदस्थ कर्मचारियों के लिये वर्तमान में 18,355 आावासगृह उपलब्ध है, 898

आवासगृह निर्माणाधीन है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 962 आवासगृह प्रावधानित है। नवीन आवास की स्वीकृति के संबंध में समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पुलिस विभाग में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों की पदस्थापना के संबंध में था। माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति पर सामान्यत: प्रथम पदस्थापना कम-से-कम 03 वर्ष की अवधि या 54 वर्ष की आयु तक जो पहले पूर्ण हो, नक्सल प्रभावित जिलों में की जायेगी। चूंकि हमारा बस्तर संभाग नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जिसमें पुलिस विभाग अंतर्गत आरक्षक संवर्ग और अधिकारी संवर्ग के पदस्थ जितने भी अधिकारी, कर्मचारियों को पदस्थाना में 10 वर्ष हो गये हैं या उससे अधिक भी समय हो गया है, इनकी पदस्थापना मैदानी इलाके में कब तक होगी ? बस्तर क्षेत्र में लंबे समय तक पदस्थ अधिकारी, कर्मचारी मानसिक अवसाद से ग्रसित होकर आत्मघाती कदम उठा लेते हैं जिनसे उनका परिवार बिघर जाता है। उनकी मैदानी इलाके में पदस्थापना होने से पारिवारिक परेशानियां दूर होंगी। कृपया शासन के मापदंड के अनुरूप उनकी स्थानांतरण नीति का परिपालन कब तक होगा, माननीय गृहमंत्री जी, समयावधि बतायेंगे ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या के प्रश्न के आधार पर एक लिखित उत्तर माननीय सदस्या को दिया गया है जिसमें स्थानांतरण के संदर्भ में जो एस.ओ.पी. जारी है, वह बहुत स्पष्ट है। उसमें उप-निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिये जब उनकी पदोन्नति होती है या प्रथम नियुक्ति होती है तो 03 वर्ष या 54 साल की उम्र, इन दोंनो में से जो लागू हुआ, उस आधार पर उनको वहां नियुक्ति दी जाती है। ऐसे ही निरीक्षक के स्थानांतरण के लिये पदोन्नति के समय 3 वर्ष या 54 वर्ष की आयु के आधार पर उसका पदस्थापना नक्सली क्षेत्रों में रखा जाता है। यदि उसका पदस्थापना वहां 3 वर्ष पूरा हो गया है तो उसको बाहर आने की अनुमति भी होती है। सूबेदार के पद पर या रक्षित निरीक्षक के पद पर भी नक्सली क्षेत्रों में पदस्थापना सामान्यत: 3 वर्ष के लिए किया जाता है या 54 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूर्ण होता है, उसके आधार पर उसका स्थानांतरण हो सकता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए उप निरीक्षक, सूबेदार, निरीक्षक, रक्षित निरीक्षक स्तर के सभी अधिकारियों को सामान्यत: 54 वर्ष की आयु तक के लिए रखा गया है। यह सारी बाते स्थानांतरण नीति में एक एस.ओ.पी. में उपलब्ध है, इस आधार पर इनका स्थानांतरण हो सकता है।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देखने में आता है कि कई लोग पहुंच के कारण 2-3 साल में अपना स्थानांतरण करा लेते हैं, लेकिन जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में डटे हैं, जिनको 10 साल से अधिक हो गये हैं, उन लोगों का स्थानांतरण नहीं हो पाया है तो ऐसा कुछ Criteria बननी चाहिए, ताकि वह मैदानी इलाके में आ सके।

अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय गृह मंत्री जी दूसरा प्रश्न यह था कि पुलिस विभाग में पदस्थ कर्मचारियों के लिए आवासगृह की व्यवस्था है, उसमें यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके लिए आवास कब तक पूर्ण होंगे और जो नवीन आवास की स्वीकृति हुई है, वह कब तक पूर्ण होंगे, कृपया समयावधि बतायेंगे?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात में बड़ी स्पष्टता के साथ विषय रखा है कि स्थानांतरण के क्या प्रावधान है और उसके आधार पर कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में भी जिन्होंने आवेदन किया है, ऐसे 694 लोग हैं और इन प्रावधानों के अंतर्गत जिन लोगों को पात्र पाया गया है, वह 305 लोग हैं, इनके स्थानांतरण की प्रक्रिया कालांतरण में की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, दूसरा आवास का मसला है। आवास की स्थिति तो चिंताजनक है। आवास की स्थिति चिंताजनक है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लगभग 66,000 पुलिस बल है, उसके विरूद्ध 18,000 ही आवासगृह उपलबध है। यह स्थिति पूरे प्रदेश की है। नि:संदेश इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। अभी वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 962 और आवास बनाने का प्रावधान हुआ है, परंतु इसमें इसको और अधिक गति देने की आवश्यकता है। विगत् 5 वर्षों में भी इस दिशा में अधिक कुछ नहीं किया गया है इसलिए अब तक आवास की यह स्थिति बनी हुई है। विगत् 5 वर्षों में लगभग 2000 आवास ही निर्मित किए गए इसलिए इसमें और अधिक काम करने की आवश्कता है।

श्रीमती सावित्र मनोज मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि कई पुलिस कर्मचारियों को नक्सल इलाके में काम करने के बाद भी दोबारा नक्सल इलाके भेजा जाता है। इसमें कुछ Criteria बननी चाहिए, ताकि उनको भी मैदानी इलाके में पदस्थापना का मौका मिले।

अध्यक्ष महोदय :- माननीया सदस्य का मूल विषय यह है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किसी कर्मचारी का पदस्थापना 10-15 साल हो जाता है तो आप उसकी पदस्थापना बदलते हैं, यही उनकी चिंता है। इसमें कोई स्वीकृति हो तो आप बता दीजिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में एक अच्छी कार्ययोजना बन रही है, वह शीघ्र आपके सामने आएगी, जिसमें जो योग्य हो होंगे, वह आनलाईन आवेदन कर पायेंगे। उनको किसी नेता या किसी अधिकारी के दरवाजे पर जाकर खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी और उनका स्थनांतरण आदेश उनके घर पहुंच जाएगा, यह व्यवस्था की जा रही है।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीया सदस्य जी ने प्रश्न पूछा और माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया कि 3 वर्ष का Criteria बताया गया है, लेकिन मैं बीजापुर जिले की बात कर रहा हूं। वहां 20-20 साल, 22-22 साल से हमारे पुलिस जवान पदस्थ हैं, आज तक उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है और वे बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। कम से कम नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ

पुलिस जवानों को ज्यादा प्राथमिकता के साथ में समय पर कैसे बाहर निकाला जाए, इसके बारे में थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने बताया कि वह नीति बना रहे हैं, उसका क्रियान्वयन करेंगे। मंत्री जी, और बता दीजिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जो 10-10, 20-20 साल कहते हैं, उमसें कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आरक्षक है, वह 10 साल तक तो रहेंगे ही क्योंकि आरक्षक तो जिले का बल होता है और जिला बल को जिला में रहना है। एक जिला में अपना नौकरी लगाकर दूसरे जिले में स्थानांतरण नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है, ऐसा कानून भी नहीं है। 10 साल तक उनका कानून ही है, उनको 10 साल रहना ही है, उसके बाद उनके स्थानांतरण की स्थिति बनती है। दूसरा बात यह है कि जिनका इतना समय हो गया, उनको तुरंत स्थानांतरित कर दिया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। जिनकी इच्छा है, वह और रह सकते हैं। वहां पर उनको extra benefits हैं तो वह वहां रह सकते हैं। सुदूर सघन नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ है तो उनके मूल वेतन का 50 प्रतिशत अधिक राशि मिलती है इसलिए कुछ लोग वहां रहना चाहते हैं। फिर भी जिन्होंने आवश्यकता समझी ऐसे 694 लोगों ने आवेदन किया है, उसमें से 305 पात्र हैं, इस पर कार्यवाही की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय :- भईया लाल राजवाड़े जी।

<u>**जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर जिला-कोरिया के सेटअप अनुसार पदों की पूर्ति**</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. (*क्र. 489) श्री भईया लाल राजवाड़े : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या जिला चिकित्सालय, बैकुंठपुर, जिला-कोरिया अंतर्गत सेटअप स्वीकृत है ? यदि हां तो कौन-कौन से पद भरे/रिक्त हैं? उनकी क्षमता कितनी है? तथा वर्तमान में और किन-किन पदों के स्टॉफ की आवश्यकता है? (ख) विगत दो वर्षो में कितने मरीज एडमिट किये गये तथा कितने मरीज अन्य अस्पतालों के लिये रेफर किये गये ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जी हां। जिला चिकित्सालय, बैकुंठपुर, जिला-कोरिया अंतर्गत सेटअप स्वीकृत हैं। जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है।[2] (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

श्री भईया लाल राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री जी से है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं । (हंसी)

---

[2] परिशिष्ट "दो"

श्री भईया लाल राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं उस बारे में बहुत चिंता करता हूं इसलिये स्वास्थ्य मंत्री जी को चिंता कराने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं ।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन इनका आज का गेटअप देख लिया जाये । (हंसी)

श्री भईया लाल राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह आज का गेटअप नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- यह पूर्ण स्वस्थ हैं ।

श्री रामविचार नेताम :- नहीं, आज ये और विशेष तैयारी में हैं ।

श्री भईया लाल राजवाड़े :- मैं आपसे कुछ ठीक लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछा है कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में कितने सेटअप हैं ? गेटअप के बाद सेटअप होता है न इसलिये मैंने पूछा है कि कितने सेटअप हैं, यदि हां तो कौन-कौन से पद भरे हैं ? कौन रिक्त हैं ? उनकी क्षमता कितनी है ? तथा वर्तमान में और किन-किन पदों के स्टॉफ की आवश्यकता है ? मैंने माननीय मंत्री जी से यह पूछा है कि विगत् दो वर्षों में कितने मरीज हॉस्पिटल में एडमिट किये गये तथा कितने मरीजों को अन्य अस्पतालों में भेजा गया ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरे लिये एक विशेष पल है और बड़ा भावुक पल है कि जिन्होंने मुझे एक अभिभावक की तरह पंचायत से लेकर यहां पहुंचाया और ऐसे व्यक्ति मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं अपने आपको बड़ा गौरवांवित महसूस कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- इसलिये ठीक जवाब देना । (हंसी)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ऐसा प्रश्न भी पूछा है जो कि लोकहित और जनहित में है तो मैं यह बताना चाहूंगा कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन से लेकर विभिन्न स्टॉफों के 188 पद स्वीकृत हैं उनके विरूद्ध 111 लोग कार्यरत हैं, 77 पद रिक्त हैं ।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य आपसे सेटअप पूछ रहे हैं कि सेटअप कितना है ।

अध्यक्ष महोदय :- पहले जवाब आ जाये फिर आप प्रश्न कर लेंगे ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 77 पद रिक्त हैं उसमें 98 पद हमने जीवनदीप समिति डी.एम.एफ. और एन.एच.एम. से भर लिया है लेकिन उनकी चिंता जायज है । हमारे पास जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उसमें 6 पद रिक्त हैं और चिकित्सा अधिकारी 9 पद रिक्त हैं शायद उसी के लिये उन्होंने चिंता की होगी । इसके साथ ही साथ उन्होंने जो मरीजों की भर्ती और रेफर की बातचीत पूछी है तो वर्ष 2022-23 में जिला अस्पताल बैकुंठपुर में 19821 मरीज भर्ती हुए । उसमें से 1410 को रेफर किया गया है और वर्ष 2023-24 में 20103 उसमें 1941 को रेफर किया गया और अभी

इस वित्तीय वर्ष में अप्रेल से लेकर जून तक में 5318 मरीज वहां पर आये, भर्ती हुए । उसमें हम लोगों ने 481 को रेफर किया । औसतन 9 से 10 प्रतिशत रेफर करना पड़ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है ।

श्री भईया लाल राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 188 नहीं है । वहां पर 187 पद स्वीकृत हैं, 111 कार्यरत हैं और 76 रिक्त हैं और दूसरा है कि सिविल सर्जन 1 है लेकिन वहां खाली है । तीसरा चिकित्सक प्रथम श्रेणी के 13 हैं उसमें 7 भरे हैं और बाकी खाली हैं । चिकित्सक अधिकारी 25 हैं जिसमें 16 भरे हैं और 9 खाली हैं, यह सब जो खाली हैं, इसी के चलते रेफर हो रहा है । मंत्री जी, यदि सभी डॉक्टर रहते तो रेफर नहीं होता, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि वहां आये दिन जो रेफर हो रहा है यह रेफर कब तक खत्म होगा ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है और बैकुंठपुर जिला अस्पताल से मैं भी वाकिफ हूं । चूंकि मेरे भी जिला में अभी तक जिला अस्पताल संचालित नहीं है । दोनों जिले का संयुक्त रूप से संचालित है, मैं आपको 15 दिन के अंदर रेगुलर सिविल सर्जन उपलब्ध करा दूंगा । साथ ही जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं इनको भी शत्-प्रतिशत तो नहीं लेकिन 6 में जो 2-3 बहुत जरूरी हैं, इनको 15 दिन के अंदर मुहैया करा देंगे और साथ ही साथ 15 दिन के अंदर जो मेडिकल ऑफिसर की कमी है उसको शत्-प्रतिशत भर दिया जायेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- श्यामबिहारी जी, माननीय मंत्री जी जो घोषणा करते हैं उसको पूरा भी करना पड़ता है, मैं आपको थोड़ा ध्यानाकर्षित करवा रहा हूं ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने विधान सभा में जो भी घोषणा की है, आप बताइए उसको नहीं पूरा किए होंगे तो हमने बोला था पूरा वेयरहाउस के जितने भी प्रबंधक हैं, सबको चेंज कर देंगे। हमने पूरा चेंज कर दिया, पता कर लीजिये।

श्री भईया लाल राजवाड़े :- माननीय मंत्री जी, आपने सब बता दिया, सेटअप बता दिया और जो कमी है उसको भी बता दिया, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये वहां पर जो यह प्रथा चल रही है कि डॉक्टर अपने घरों में मेडिकल दुकान लगाकर रखे हैं, ये कब तक समाप्त होगा? घर की दुकानदारी कब तक चलती रहेगी? इसीलिए आज जो डॉक्टर हैं, वे समय पर हॉस्पिटल में नहीं आते हैं। सेकंड टाइम में तो कोई डॉक्टर आता ही नहीं, इसलिए आज वहां पर परेशानी हो रही है। आए दिन जो भी बात होती है पेट दर्द है तो भी सीधे रेफर, हाथ टूट गया है तो भी रेफर, लड़का पैदा करना है तो भी रेफर। 50-50 हजार रूपये बगल में शर्मा डॉक्टर का हॉस्पिटल है, एक डिलीवरी केस में 50 से 60 हजार रूपये लेता है, तो ये कब तक समाप्त होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टरों को चूंकि वहां पूरे सदस्यों को बताना चाहूंगा कि दो प्रकार के डॉक्टरों का उसमें रहता है। एक तो जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर होते हैं, जो अपने घरों में खाली टाइम में प्रैक्टिस करते हैं, वह होते हैं और दूसरे नॉन प्रैक्टिस वाले होते हैं। तो जो नॉन प्रैक्टिस वाले हैं, उनको हम अलग से कुछ उनको अलाउन्स देते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं, वे अपने हॉस्पिटल टाइम के अलावा अपने घरों में भी प्रैक्टिस और मरीजों को देखते हैं। बाकी आपकी चिंता जायज़ है। मैं भी उससे वाकिब हूं। हम लोगों ने महिला चिकित्सक की नियुक्ति की थी, बॉन्ड वाले एनेस्थीसिया भेजा था, सर्जन भेजा था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उस पर भी हम लोग कुछ और कठोर नियम बनाने वाले हैं, फिर भी 15 दिवस के अंदर कहीं से व्यवस्थित करके एनेस्थीसिया और महिला और सर्जन की हम व्यवस्था करेंगे ताकि कम से कम जो डिलीवरी की समस्या है, वह दूर हो जाए, आप डेट नोट कर लीजिए, 15 दिन के बाद मेरे को बताइए।

श्री भईया लाल राजवाड़े :- मैंने नोट कर लिया और आपसे पूछुंगा, लेकिन आप मुझको ये बताइए कि एनेस्थीसिया तो एक है और उसका एक महीना बचा है। वह बॉन्ड वाला है फिर क्या करोगे? फिर एनेस्थीसिया नहीं रहेगा गायनकोलॉजिस्ट है नहीं, सर्जन है नहीं तो फिर हॉस्पिटल का क्या होगा? फिर रेफर रहेगा। वह बंद नहीं होना है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वे उनके गुरु हैं और वे उनके चेले हैं। तो ये गुरु अकेले मिलकर कोरिया जिले में बैठकर ये मामला और छोटी-छोटी सी बात को साल्व नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, यहां तक नहीं आना चाहिए। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ये मामला, पूरे प्रदेश में ही ऐसी स्थिति है। मंत्री जी, बॉन्ड की बात आप कर रहे हैं, टी. एस. सिंहदेव साहब यहां थे, मैं वहां से बैठकर पूछा था कि बॉन्ड भरवा देते हैं, बड़े-बड़े लोगों के बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, सरकारी खर्चे में वे पैसा पटा देते हैं तो ये बांड-वांड से तो कुछ हल होगा नहीं। आप उसका कोई बढ़िया निर्णय कराइए। कड़ा निर्णय कैसे होगा? क्योंकि गांव में जरूरत है। बॉन्ड से क्या होगा? बॉन्ड तो आप लाइए न, 10 लाख रूपये पटाकर कोई भी चला जाएगा।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा के अंतर्गत मैनपुर और अमलीपदर सामुदायिक केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ केंद्र हैं। दोनों में लोग इलाज कराने जाते हैं तो बोलते हैं कि रेफर सेंटर है और अभी-अभी मलेरिया से दो बच्चे की मौत हो गई, उसको गरियाबंद रेफर किया गया। मैनपुर से आगे उसका अधीनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमलीपदर है। वहां दो बच्चे, सगा भाई और बहन की सांप काटने से मौत हो गई। उसको ले गए तो वहां भी डॉक्टर नहीं। उसको भी देवभोग रेफर कर दिया गया। माननीय मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि ऐसे रेफर सेंटर में डॉक्टर की नियुक्ति अतिशीघ्र करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मंत्री जी, बता दीजिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दो तीन प्रकार के तीनों के प्रश्न आए हैं, माननीय भईया लाल जी को मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए आप हम दोनों बैठकर चिंता करेंगे। दूसरा आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने जो डॉक्टरों के लिए कहा तो मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 1079 डॉक्टरों की हम विशेषज्ञ से लेकर जो मेडिकल ऑफिसर और विभिन्न विभागों के जो डॉक्टर हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। साथ ही 8084 स्टाफ नर्स से लेकर भृत्य तक की नियुक्ति कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 232 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर को भर्ती के लिए हमने पी.एस.सी. को भेज दिया है। इस प्रकार इस साल हम लगभग 10 हजार स्टाफ से लेकर डॉक्टर्स की भर्ती की प्रक्रिया करने की तैयारी में हैं । माननीय सदस्य ने गरियाबंद और अमलीपदर की बात की । मैं खुद ही सुपेबेड़ा क्षेत्र में गया था और अपने साथ 7 डॉक्टर लेकर गया था, दो स्पेशलिस्ट और 5 मेडिकल ऑफिसर । उस क्षेत्र के लिए किडनी के लिए एम्स से बात करके, वहां सप्ताह में दो दिन एम्स के नेफ्रोलॉजिस्ट बैठ रहे हैं । चूंकि मैं स्वीकार करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नितांत कमी है । इसके लिए मैं सभी सदस्यों से भी आह्वान करता हूं कि आपको कहीं कोई डॉक्टर तैयार होता है तो हम 24 घंटे के अंदर संविदा में या डी.एम.एफ. से करेंगे, ये मेरी जवाबदारी है । आप सभी से भी मेरा विशेष आग्रह है ।

श्री रामकुमार यादव :- जेन विधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर साहब हो, सबके कमी हो जाए लेकिन डॉक्टर के कमी झन हो ।

श्री भईयालाल राजवाड़े :- माननीय मंत्री जी, आपने बताया नहीं गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन और एनेस्थिसिया । एनेस्थिसिया का एक महीना बाकी है । गायनेकोलॉजिस्ट है ही नहीं और सर्जन है ही नहीं तो डिलिवरी केस या कोई एक्सीडेंट का मामला कैसे निपटेगा, यह मुझको बताइए । कब तक उपलब्ध करवाएंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आपको सदन में जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि 15 दिनों के अंदर इन तीनों की व्यवस्था कर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, 15 दिनों में हो जाएगा ।

श्री भईयालाल राजवाड़े :- और ये दुकानदारी कब तक खत्म होगी ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- इसके लिए आप बताइए, मैं कार्रवाई करूंगा ।

श्री भईयालाल राजवाड़े :- अमला भेजकर जांच करवाइए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए राजवाड़े जी, काफी प्रश्न आ गए ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- ऐसा कोई भी विषय आएगा तो आप बताइएगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भईयालाल राजवाड़े :- अरे, गजब हो गया । आप ऐसा बोल रहे हो । आप अमला भेजकर जांच करवाइए । ऐसा पाए जाने पर क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या उनका मानदेय बढ़ाएंगे ताकि दुकानदारी बंद हो ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आप इस विषय को अलग से लिखकर मुझे दे देंगे । मैं उस पर जांच भी कराऊंगा और कार्रवाई भी कराऊंगा ।

श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े :- अध्यक्ष महोदय, यह सभी विधान सभा क्षेत्रों में है । जितने भी डॉक्टर हैं वे अस्पताल में नहीं रहते हैं, वे क्लिनिक खोलकर चलाते हैं और अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं मिलता है । वे कहते हैं कि मेरे क्लिनिक में आ जाना ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया भईयालाल जी पर्याप्त हो गया ।

श्री भईयालाल राजवाड़े :- नहीं, नहीं, अभी बाकी है । बड़ी मुश्किल से तो अवसर आया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने जिले को ठीक से तैयार नहीं किया है क्या ?

श्री भईयालाल राजवाड़े :- हमारे क्षेत्र में आजकल छोटे-छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, कैन्सर हो रहा है । मैंने कहा कि आप दिल्ली से या और कहीं से उनके लिए विशेष डॉक्टर बुलाकर परीक्षण करवाइए ताकि पता चले कि ये बीमारी क्यों फैल रही है । इसके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे ?

श्री रामकुमार यादव :- अइसना गुरू हे एखर अंगूठा ला लिही का ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- निश्चित रूप से हमारे यहां कैन्सर के लिए भारत के प्रमुख अस्पतालों में से एक हमारे मेकाहारा में कैन्सर संस्थान है और हम लोग अभी कुछ मशीनों को देख रहे हैं जो स्थानीय स्तर पर जिला अस्पतालों में परीक्षण कर सकें । कैन्सर की जांच के लिए हम जिला हॉस्पीटल में भी प्लान कर रहे हैं, इस प्लान के तहत हमने बैकुंठपुर में भी करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, बहुत हो गया ।

श्री भईयालाल राजवाड़े :- हमारे यहां डायलिसिस की मशीन है, वह मशीन नहीं चल रही है, इसका क्या कारण है ? मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि डी.एम.एफ. से इसका पेमेंट ही नहीं हो रहा है । इसलिए मशीन खराब पड़ी है, यह कब तक बन जाएगी और कब तक उसका पेमेंट हो जाएगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी मशीन तो पूरी तरह से ठीक है ।

श्री भईयालाल राजवाड़े :- मेरी मशीन ठीक होने से नहीं चलेगा, जनता की मशीन ठीक नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं दो महीने पहले जिला अस्पताल गया था तो वहां सभी मशीनें चल रही थीं, परंतु माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नहीं चल रही है तो उसको शीघ्र ठीक करवाएंगे, क्योंकि यह जरूरी विषय है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- बालको का कैन्सर हॉस्पीटल है ।

अध्यक्ष महोदय :- माईक चालू करके बोलिए ना ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, मैं आपके माध्यम से ये आग्रह कर रहा हूं कि कैन्सर हॉस्पीटल वालों का बोलकर वहां कैम्प लगवा दीजिए ताकि ट्रेस हो जाए ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- ठीक है, आप तारीख बता देंगे कि आप कब खाली हैं वहां हम किसी भी कैन्सर संस्थान से कैम्प लगवा दीजिए ।

श्री भईयालाल राजवाड़े :- एक बार आप बैकुंठपुर जाकर मुआयना कर लीजिए और उसकी व्यवस्था कर दीजिए ताकि ठीकठाक चले, मैं आपसे यह आग्रह करता हूं, क्या आप ऐसा करेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- हां ठीक है । मैं इधर से जाकर बैकुंठपुर का दौरा आपके साथ करेंगे और जो भी होगा उसको हल कर लेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप एकाध दिन पूरा मेकाहारा को बैकुंठपुर घुमाने ले जाईये, पूरा झंझट खत्म करिए। वहां हर प्रकार के डॉक्टर मिलेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- आप जब साथ में जाएंगे तो राजवाड़े जी का फुल बाडी चेकअप भी करवाएंगे।

श्री भैयालाल राजवाड़े :- आपने जो घोषणा की है, आपने जो कहा है, समय सीमा पर कर दीजिएगा। उसके लिए धन्यवाद।

श्री अजय चंद्राकर :- उच्च स्तरीय संस्थान में इनका फुल बाडी चेकअप भी होना चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- डॉक्टर कम पड़े तो आप और राजवाड़े जी दोनों खुद चेकअप कर लेना।

श्री दीपेश साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय माननीय विधायक जी का था, वही विषय मेरा भी है। प्रश्न लगा हुआ है, चूंकि अभी तक प्रश्न लगाते रहा हूं लेकिन मुझे अवसर नहीं मिलता था। अभी उस विषय पर चर्चा हो रही है तो मैं भी अभी बात रखना चाहता हूं। जो स्थिति बैकुंठपुर में है, उससे ज्यादा दुर्गति बेमेतरा जिला अस्पताल का है। वह केवल रिफर सेंटर ही बनकर रह गया है। मैं हर सप्ताह अस्पताल का विजिट कर रहा हूं लेकिन वहां पर स्थितियां सही नहीं हो पा रही है। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि वहां पर भी डॉक्टरों, नर्सो और जो भी इक्यूपमेंट है, वहां पर तत्काल व्यवस्था की जाए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, ठीक है, उसको दिखवा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- गजेन्द्र यादव जी, अपना प्रश्न करिए।

जिला-अस्पताल-दुर्ग में सजरी के माध्यम से प्रसव व टांका लगाये जाने में लापरवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. (*क्र. 503) श्री गजेन्द्र यादव : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले 2 वर्ष में कितने प्रसव सर्जरी से किये गये हैं ? व कितने मरीज के टांके खुलने की शिकायत पर पुनः भर्ती हुए? इसके क्या कारण रहे तथा क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले 02 वर्षो में कुल 6214 प्रसव सजरी से किये गये है व 16 मरीज टांके खुलने की शिकायत पर पुनः भर्ती हुए। टांके खुलने के मुख्य कारण प्रसव पश्चात् रोगी के द्वारा स्वच्छता का ध्यान न रखना, उचित आहार पोषण न लेना एवं ओबसिटी है। प्रसव पश्चात् प्रसूता महिलाओं की स्वच्छता एवं पोषण विषय पर काउंसलिंग किया गया तथा टांके खुलने की शिकायत वाले मरीजों का उपचार किया गया।

श्री गजेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय लोक स्वास्थ्य मंत्री जी, यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले दो वर्ष में कितने प्रसव सर्जरी किए गए व कितने मरीज के टांके खुलने की शिकायत पुन: भर्ती हुए है, इसके क्या कारण हैं तथा क्या कार्यवाही की गयी है ? मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले दो वर्ष में प्रसव हेतु 6214 सर्जरी किए गए हैं और जिसमें 16 मरीजों के टांके खुलने की शिकायत प्राप्त हुई है जिन्हें पुन: टांका लगाकर और दवाईयां देकर उसको पूर्ण रूप से ठीक कर दिया गया है।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डिस्चार्ज करने के दो तीन दिन के अंदर ही कितने मरीज वापस फिर से टांके खुलने के कारण भर्ती किए गए हैं, क्या यह बता पाएंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो सालों में 16 प्रकरणों में 18.04.2022 से लेकर 31.08.2023 तक की स्थिति में 16 केस अलग-अलग दिवस में आए थे। सभी को टांका लगाकर ठीक कर दिया गया। पिछले 6 महीने से किसी प्रकार की टांका खुलने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय मंत्री जी, अभी मेरी जानकारी में 15 दिन पहले एक पेसेंट से शिकायत आया कि ब्लड निकल रहा है, टांका खुल गया है, मैंने उनको 15 दिन पहले ही वापस उनको एडमिट कराया है। इसलिए मैं यह पूछ रहा हूं। आपको जो जानकारी विभाग के द्वारा दी गयी है, पता नहीं कैसी जानकारी दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, चूंकि हमारा जिला

अस्पताल संभाग का बड़ा अस्पताल है, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में प्रसव करने महिलाएं आती हैं। वहां पर लगातार यह देखा जाता है कि टांके खुलने की शिकायत दो तीन दिन के अंदर उनको फिर से वहां एडमिट किया जाता है और टांके से बार-बार ब्लड निकलता है। क्या यह जो लापरवाही हो रही है, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आंकड़ा में बताया गया है कि 6214 में कुल 16 टांका खुले और सर्जरी प्रक्रिया में ऐसा होता है, अलग से कोई दुर्ग जिले में नहीं हुआ है। ऐसा मात्र 0.25 प्रतिशत हुआ है। चूंकि इसके कई कारण है, जिससे टांका लगा है, इसके बाद जो फैटी वाले पेट हैं, उनमें खुलने का चांस रहता है, कई बार वह ध्यान नहीं देते हैं, उसमें पानी वगैरह पड़ जाता है। अन्य छोटी-छोटी लापरवाही से भी ऐसे केस होते हैं। इसका प्रतिशत बहुत मामूली है। जैसे मैंने कहा कि पिछले 6 महीने से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है परंतु सदस्य महोदय कह रहे हैं तो हम उसकी भी चिंता करेंगे कि ऐसे घटना कम हो और यह सामान्य प्रक्रिया है।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक निवेदन कर रहा हूं। यह जो समस्याएं आ रही हैं, उसका एक बड़ा कारण भी है, जैसे माननीय पूर्व सदस्यों ने कहा। लगभग हर जिला अस्पतालों में स्टाफ की समस्या है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व कार्यकाल में जीवन दीप समिति से 10 रूपए लिया जाता था। वह 10 रूपए बहुत छोटी राशि हुआ करती थी लेकिन उस 10 रूपए से बहुत सारी व्यवस्थाएं जिला अस्पतालों को देते थे। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं, क्या जीवन दीप समिति के द्वारा 10 रूपए शुल्क लिया जाता था, उसको वापस फिर से चालू करेंगे ? यह आपसे निवेदन है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जो नीति है, हमारे यहां डॉक्टर और हॉस्पीटल के लिये पर्याप्त इंसेटिव उपलब्ध हो जाता है, इसलिये स्थानीय जीवनदीप के जो कमेटी है, उसके ऊपर छोड़ा गया है, यदि चाहें तो प्रारंभ कर भी सकते हैं और ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं है और जहां चालू नहीं करना है, वहां नहीं भी कर सकते हैं । वह स्थानीय जीवनदीप समिति के ऊपर निर्भर है ।

श्री गजेन्द्र यादव :- धन्यवाद, माननीय मंत्री जी ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, महन्त जी ।

<u>प्रदेश में हुई नक्सली घटनाएं</u>

[गृह]

6. (*क्र. 585) डॉ. चरण दास महंत : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिसंबर, 2023 से जून, 2024 की अवधि में प्रदेश में कितनी नक्सली घटनाएं एवं

नक्सली-पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं किस-किस जिले के किस थाना क्षेत्र में हुई हैं ? जानकारी घटनावार देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार नक्सली घटनाओं एवं मुठभेड़ में सुरक्षाबल के कितने जवान शहीद हुए? कितने घायल हुए, कितने नागरिक मारे गये तथा कितने नक्सली मारे गए तथा कितने गिरफ्तार किये गये,घटनावार बतावें? **(ग)** 01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक नक्सलियों से बरामद किये गये अस्त्र-शस्त्रों, गोली बारूद तथा अन्य सामग्रियों का वस्तुवार विवरण बताएं? यह सामग्रियां कहां-कहां रखी गई हैं ? **(घ)** 30 जून, 2024 की स्थिति में कितने नक्सली जेल में है ? इनमें से सजा प्राप्त तथा विचाराधीन की संख्या कितनी-कितनी है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :(क) प्रदेश में प्रश्नाधीन अवधि तक कुल 273 नक्सली घटनाएं हुई हैं जिसमें नक्सली-पुलिस मुठभेड़ की 92 घटनाएं शामिल हैं। घटित नक्सली घटनाओं (मुठभेड़ सहित) की जिलेवार व घटनावार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे**प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार नक्सली घटनाओं एवं मुठभेड़ में सुरक्षाबल के 19 जवान शहीद एवं 88 जवान घायल हुये हैं। उक्त अवधि में माओवादियों द्वारा 34 आम नागरिकों की हत्या की गई, 137 नक्सली मारे गये तथा 171 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। घटनावार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे**प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** 01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक नक्सलियों से बरामद हथियार तथा अन्य सामग्री का वस्तुवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे**प्रपत्र-स** अनुसार है। **(घ)** 30 जून 2024 की स्थिति में कुल 790 नक्सली जेल में है, इनमें से 25 सजा प्राप्त तथा 765 नक्सली विचाराधीन हैं। जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र अ/ब/स** अनुसार है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके गृह मंत्री जी का दाद देना चाहता हूँ, उन्होंने बड़ी दिलेरी से स्वीकार किया है कि प्रदेश के इन 6 महीनों में 273 नक्सली घटनायें हुई है । पिछले 6 महीने में 182-183-184 दिन होता होगा, इस बीच प्रदेश में 273 नक्सली घटनायें बताई है । अध्यक्ष महोदय, नक्सली घटनाओं में पुलिस मुठभेड़ की 92 घटनायें शामिल है और इन घटनाओं में 19 जवान शहीद हुये हैं, 88 जवान घायल हैं, जिनका ईलाज चल रहा है और 34 आम नागरिकों की हत्या की गई है । अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह पूछना चाहता हूँ कि जो 34 आम नागरिकों की हत्या करना बताया गया है, वह हत्या किस प्रकार से हुई है ? क्या गोली से मरे हैं या गला काट कर हत्या की गई है या किसी अन्य प्रकार से 34 आम नागरिकों की मृत्यु हुई है, यह बताने का कष्ट करें ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की बातें गुगली बॉल जैसी रहती है, मैं प्रारंभ से ही ज्यादा चिन्तित था और सोच रहा था कि यह विषय ध्यान में आया कि इन सारी बातों को स्पष्टता के साथ सदन के बीच में रखा जाये । अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संशय नहीं है, जो घटनायें हुई है और मुठभेड़ हुई है, उनकी संख्या 273 है । इसमें 92 घटनायें ऐसी शामिल है, जिसमें सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है । अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारे 19 जवान

शहीद हुये हैं तथा 88 घायल हुये हैं, जिसमें 2-4 को छोड़कर लगभग सभी स्वस्थ हैं । अध्यक्ष महोदय, माओवादियों के द्वारा 34 लोगों की हत्या की गई है, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा तो मैं इन 34 लोगों का विषय रखता हूँ, इसमें 4 ऐसे हैं जिन्हें जन अदालत लगाकर नक्सलियों ने मारा डाला, उसमें नक्सलियों ने बस्तर के विकास के मार्ग पर IED बिछा रखे हैं, अब यह IED किसी को पहचानता नहीं है । सुरक्षा बलों को रोकने के लिये बिछाये गये हैं, जबकि आम आदमी उसमें मारे जाते हैं, जानवर भी मारे जाते हैं, मुझे तो लगता है कि नक्सली भी उसमें मारे जाते होंगे । अध्यक्ष महोदय, नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप में 24 लोगों को मौत के घाट उतारा है और नक्सलियों की फायरिंग में एक मृत्यु हुई है, इस तरीके से 34 आम नागरिक इसमें हताहत हुये हैं, जिसकी जानकारी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने चाही है ।

डॉ.चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मारे गये 137 नक्सलियों तथा गिरफ्तार किये गये 401 नक्सलियों में से कितने-कितने नक्सली ईनामी नक्सली थे, कितने बाहरी थे और कितने छत्तीसगढ़ के थे ? मेरा पाईन्टेड क्वेश्चन है ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी है । मदवार संख्या है, SZCM है जो स्टेट जोनल कमेटी मेंबर हैं, ऐसे 2 लोग हैं, जिनके ऊपर 25 लाख का ईनाम था, 6 लोग डिविजनल कमेटी मेंबर के है, जिन पर 8 लाख का ईनाम था । कंपनी सदस्य ऐसे 13 लोग है जिनके ऊपर 8 लाख का ईनाम था। कंपनी डिप्टी कमांडर हैं, एक है जिस पर 8 लाख का ईनाम था, कंपनी स्नाईपर कमांडर है, जिस पर 8 लाख का ईनाम था, इसकी संख्या 1 है । स्मॉल एक्शन टीम कमाण्डर 1 है, जिस पर 8 लाख का ईनाम था, एरिया कमेटी सदस्य 22 है जिस पर 5-5 लाख के ईनाम थे,एलजीएस कमाण्डर 1 है, जिस पर पांच लाख का ईनाम था । प्लाटून सेक्शन कमाण्डर 1 है, जिस पर 3 लाख का ईनाम था, सब जोनल एण्टी सदस्य 1 है, जिस पर 3 लाख का ईनाम था, पीपीसीएम 13 है, जिस पर 2-2 लाख का ईनाम था । प्लाटून सदस्य 4 है, जिन पर 2-2 लाख का ईनाम था । कंपनी पीएम 5 है, प्रत्येक पर 2 लाख का ईनाम था । एल.जी.एस. सदस्य 2 हैं, जिन पर 1 लाख का ईनाम था । ऐसे ही एक केटेगिरी और है एल.ओ.एस. करके, उनकी संख्या 3 है, उन पर 1 लाख का ईनाम था । मिलिशिया कमांडर 8 हैं, जिन पर 1 लाख का ईनाम था । डी.एस.के.एम. अध्यक्ष हैं, जिन पर 1 लाख का ईनाम था । सी.एन.एम. 1 हैं, जिन पर 1 लाख का ईनाम था और अन्य 51 लोग हैं । इस तरीके से कुल 137 नक्सली हैं, जिन पर ईनाम हैं और वे इस पूरे अभियान के दौरान मारे गए हैं ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि इसमें बाहरी कितने नक्सली थे और छत्तीसगढ़ के कितने नक्सली थे ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाहर और छत्तीसगढ़ के हिसाब से इसमें केटेगराईजेशन नहीं हैं । मैं इसको केटेगराईजेशन करके माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को इसका जवाब दे दूंगा ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपने उत्तर में देखा होगा कि जितने भी हथियार जप्त हुए हैं, उसमें भरमार बंदूक की संख्या भरमार हैं यानि ज्यादा हैं । आप गिनकर बता सकते हैं, उसमें लिखा होगा । जैसा कि आप गुगली को अच्छा खेलते हैं । मैं यह चाहता हूं कि भरमार बंदूक कभी चलते हैं या नहीं चलते हैं या सिर्फ दिखावे के हैं, आपने इसकी जांच कहीं कराई है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस शंका का अर्थ मैं नहीं समझ पा रहा हूं । इस मुठभेड़ में जो चीजें जप्त हुई हैं, वह मालखाने में हैं ।

डॉ. चरण दास महंत :- आपकी शंका का समाधान मैं कर देता हूं ।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जब आपकी इच्छा हो तो आप स्वयं भी जाकर देख सकते हैं । मैं भी आपके साथ चलूंगा, इसमें संशय किस बात की है ?

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संशय इस बात की है कि हर नक्सली के सामने चाहे वह नक्सली हो, चाहे गांव वाला मरता हो, उससे भरमार बंदूक जप्त होता है । अब तक कितने भरमार बंदूक जप्त हुए, क्या उसी भरमार बंदूक को लेजाकर नक्सली को जप्त करते हैं, क्या भरमार बंदूक चलने लायक है ? भरमार बंदूक 1947 के पहले कितने चलते थे, अभी कितने चलते हैं ? आज की तारीख में क्या आपने एक भी भरमार बंदूक से फायरिंग करते हुए देखा है ? मेरी शंका यह है कि नक्सली बताने के लिए पुलिस वाले भरमार बंदूक को लेकर जाते हैं, उसकी बॉडी के साथ भरमार बंदूक रख देते हैं, भरमार बंदूक जप्त हो जाता है और वह नक्सली हो जाता है । इसी तरीके से बहुत सारे आम लोगों को आपने नक्सली बनाया है । अगर इसकी जानकारी है तो है कहिए, जानकारी नहीं है तो एक बार चेक कराईए । क्या भरमार बंदूक चलने लायक है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से विषय का प्रस्तुतिकरण कि कोई खतम हो गया और उसके पास लेजाकर बंदूक रखकर फोटो खींचा दिए । यह विषय स्वीकार्य नहीं है और ऐसा कहना भी बिल्कुल उचित नहीं होता है । वैसे एक और जानकारी आई है, वह मैं आपके सामने रख देता हूं । अभी तक भरमार बंदूक का ही मामला नहीं है, प्रदेश में नक्सली मुठभेंड़ में 1 दिसम्बर से लेकर 30 जून, 24 के बीच में माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार के समय ए.के. 47 5 बरामद हुए हैं, एल.एस.आर., एल.एम.जी. 1 बरामद हुआ है, इन्सास एल.एम.जी. 1 बरामद हुआ है, रायफल 2 बरामद हुए हैं, इन्साय रायफल 4 बरामद हुए हैं, बी.जी.एल. रायफल 4 बरामद हुआ है, बी.जी.एल. लांचर (बड़ा) 3 बरामद हुए हैं, बी.जी.एल. लांचर (छोटा) 6 बरामद हुए हैं । वह बहुत सारे हैं ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जानकारी आपने अपने उत्तर में दे दी है ।

श्री विजय शर्मा :- मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए ।

डॉ. चरण दास महंत :- आपने जो जानकारी नहीं दी है, वह मैं पूछ रहा हूं । आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी 1995 में मध्यप्रदेश शासन में गृहमंत्री था । उस जमाने में भरमार बंदूक जप्त नहीं होते थे, अब कैसे जप्त हो रहे हैं तो क्या उस जप्त होने वाले भरमार बंदूक की आप जांच कराएंगे कि चलने लायक है या चलने लायक नहीं है ? इतना ही तो कह रहा हूं । आप अभी घोषणा कर दीजिए । जितने भरमार बंदूक आज की तारीख में है, आप उसको जप्त कराएंगे और वह संख्या बनी रहेगी । इसमें आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, मुझे पता है । आपने कहा है कि 790 नक्सली अभी जेल में हैं, इसमें से 25 सजा प्राप्त हैं और 765 नक्सली विचाराधीन है । क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इनका प्रकरण कब से विचाराधीन है ? 1992 से है, 1993 से है, 2000 से है या 2010 से विचाराधीन है । यह जानकारी तो शायद आपके पास होगी ।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, भरमार बंदूक के संदर्भ में भी माननीय महोदय, आप बहुत वरिष्ठ हैं । 1995 में आपने इस दायित्व को पहले ही सम्हाला है, जिसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश में हूं । मैं आपसे निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूं कि बाकी जो अन्य चीजें बरामद हुई है, आप उन पर भी जरूर ध्यान दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदनपूर्वक यह भी कहना चाहता हूं कि आप इसको जरूर चेक करें। आपने प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न में यह पूछा गया है कि कौन-कौन सी सामग्री बरामद हुई ? यह भी पूछा गया है कि ये कहां रखे गये हैं ? उसकी पूरी जानकारी, विस्तारपूर्वक कि कितनी चीजें बरामद हुई हैं, कब बरामद हुई हैं, कहां रखी गई हैं, यह सब जानकारी माननीय नेता प्रतिपक्ष को दिया गया है। अगर यह सब कुछ दिया गया है तो जांच करना कोई विषय नहीं है, बिलकुल किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दूसरा मसला यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जिसमें जो लोग मारे गये हैं, उनके खिलाफ कोई एफ.आई.आर. है, उनके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज है ? तो ऐसा कोई नहीं है कि जिनको हमने नक्सली घोषित किया है, विभाग ने घोषित किया है और वह नक्सली ना हो, ऐसी बात नहीं है। इसलिए भरमार बंदूक का मिलना, नहीं मिलना, यह शंका विषय नहीं हो सकता है। जो चीजें मिली हैं, उनका उल्लेख है। उसको कहां रखा गया है, उसमें इस बात की पूरी जानकारी दी गई है।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है, उसमें आपने जवाब में लिखा है कि 790 नक्सली जेल में है, उसमें से 25 नक्सली को सजा प्राप्त हो गया है और 765 नक्सलियों पर प्रकरण विचाराधीन है। आपके पास इसकी भी जानकारी होगी, आप जानकारी मंगा लीजिये कि ये प्रकरण कब से विचाराधीन हैं ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 790 नक्सली जेल में हैं, जिसमें 25 सजा प्राप्त हैं और 765 नक्सलियों के ऊपर प्रकरण विचाराधीन है और यह 30 जून, 2024 की स्थिति में है। ये 765 प्रकरण किस समय के हैं, पहले के हैं या कब से हैं, इंडीव्यूजवल की जानकारी के लिए कहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से इसी विषय में पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भरमार बंदूक के बारे में बात किया। बीजापुर जिले के पीड़िया गांव में मुठभेड़ होता है, उस पीड़िया गांव में यह बताया जाता है कि वहां पर लगभग 6 सौ जवान एक बड़ा आपरेशन करते हैं और वहां पर 11 नक्सलियों को मारा जाता है और वहां 10 भरमान बंदूक मिलता है। 6 सौ जवान आपरेशन के लिए निकलते हैं और ये जवान 11 नक्सली मारते हैं और उनके पास से 10 भरमार बंदूक निकलता है। क्या 10 भरमार से 6 सौ जवान, जिनके पास आटामेटिक रायफल है, नई रायफलें हैं, क्या नक्सली 10 भरमार से 6 सौ जवानों का मुकाबला कर सकते हैं ? नहीं कर सकते। उस घटना को लेकर ग्रामीणों ने लगातार विरोध किया तो प्रदेश स्तर से जांच दल बनाया गया था और हम लोग मौका-मुआयना पर गये तो ग्रामीणों ने हमें बताया था कि वहां पर 10 ग्रामीण थे, जिसमें 11 लोगों को मारना बताया गया, उसमें 10 लोगों को ग्रामीण होना बताया। मैं खुद वहां पर गया हुआ था। मैं ग्रामीणों से मिला, उनके छोटे-छोटे बच्चें थे। जिनको नक्सली बताकर मारना बताया गया, उनके छोटे-छोटे बच्चें, 2-2 माह, 3-3 माह के बच्चें थे, वहां पर मृतकों की पत्नियां भी आईं थीं। तो यह घटना है।

दूसरा एक नरेपल्ली गांव है, जहां पर 110 घर हैं, वहां से 95 व्यक्तियों को पकड़कर लाया गया। वहां पर सिर्फ 10 पुरूष ही बचे हुए थे, बाकी सब महिलाएं थीं। इस तरीके से वहां पर किया जा रहा है और भरमार बंदूक की बात कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि आप भरमार बंदूक, भरमार बंदूक कह रहे हैं, वहां फर्जी मुठभेड़ में भरमार रखने का काम हो रहा है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मसला पहले भी आया था और कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह विषय उठाया था। उस समय भी पूरी बात बताई गई थी, पूरी जानकारी दी गई थी। मैं अभी भी निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूं कि 600 जवान गये और 10 नक्सलियों को पकड़ा गया। 60 हजार, 70 हजार नक्सली हैं, अभी तक नक्सलिजम खत्म नहीं हुआ है। आपने भी सरकार चलाई है, तब क्या नक्सलिजम खत्म हो गया ?

श्री विक्रम मण्डावी :- आप नक्सली खत्म होने का दावा कर रहे हैं। हम तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन आप सरकार में है, आप दावा कर रहे हैं तो 6 महीने में 273 घटनाएं कैसे हो गईं ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ठीक है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पीड़िया गांव का मसला था, मैं उसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। उस समय भी यह बात हुई थी और उस समय जानकारी दी गई थी। इसमें कुछ नक्सलियों के नाम हैं, एक बुधु ओयाम नाम का है, इनके ऊपर सन् 2021 में प्रकरण धारा 307 भा.द.सं. और आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज हुआ था। 2021 में भा.ज.पा. की सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी। कल्लू उर्फ छोटू ऐसा एक नाम है, जिस पर वर्ष 2022 और वर्ष 2024 में अलग-अलग प्रकरण दर्ज हुए। वर्ष 2022 में अपहरण और वर्ष 2024 में यू.ए.पी.ओ. और धारा-307 के प्रकरण दर्ज हुए। ऐसे ही लक्की कुंजाम है, जिसपर वर्ष 2022 में धारा-302 का प्रकरण और वर्ष 2023 में धारा-307 के प्रकरण दर्ज हुए। यह इसकी पूरी जानकारी है और इसको सबके बीच में रखा गया है उसके बावजूद भी जब आप लोगों ने इसकी शिकायत की कि नहीं हुआ तो एक मजिस्ट्रियल जांच की भी बात कही गई है। उसमें वह है और वह भी आ जाएगा। उसमें कोई संशय नहीं है। मैं आपसे निवेदनपूर्वक यह बात कहना चाहता हूं कि इसमें आप इस तरीके से आरोप लगाकर कम से कम सुरक्षा बलों के मनोबल को मत तोड़िये।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, पर्याप्त हो गया। विक्रम मण्डावी जी।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बिल्कुल आरोप नहीं लगाया है। मैंने उन्हें दाद दी है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि माननीय गृहमंत्री जी, आपने स्वयं कहा है कि हम नक्सलियों से बात करेंगे। आपने कहा है या गलत छपा है ?

श्री विजय शर्मा :- नि:संदेह। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का कहना सही है। माननीय विष्णु देव साय जी और यह पूरी सरकार नि:संदेह नक्सलियों से बात करने के लिए तैयार है।

डॉ. चरण दास महंत :- ठीक है। खाली कुर्सी पर बैठे हुए विष्णु देव साय जी को नमन करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 6 महीने और अब 7 महीने होने वाले हैं तो आज तक आप लोगों ने नक्सलियों से बात करने के लिए कौन सी कोशिश की है ? आप नक्सलियों से सीधे बात नहीं कर सकते हैं । आपको उनसे बात तो करनी पड़ेगी। एक मीडियेटर ढूंढना पड़ता है तो यह कह देना कि हम बात करेंगे, बात करेंगे थोड़ी है।

अध्यक्ष महोदय :- अब इस विषय में यहां पर चर्चा समाप्त कीजिए। यह सार्वजनिक बहस का विषय नहीं है। आप गृहमंत्री रहे हैं, आप इसे ज्यादा समझते हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं। आपने कुछ तो किया होगा ?

अध्यक्ष महोदय :- यह इतना sensitive issue है। इस पर हम भविष्य में चर्चा करेंगे। ठीक है।

श्री राजेश मूणत :- नेता जी, आप पुराने सीनियम गृहमंत्री हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी को बता दीजिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पीडिया में सुरक्षा बलों ने 10 निर्दोष लोगों को मारकर भरमार जब्त किया और वहां अभी भी हड़ताल चल रहा है। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या कभी आपकी सरकार या प्रशासन के लोगों ने उस गांव में जाकर उसके बारे में पूछा ? दूसरा, पीडिया में कितने निर्दोष लोगों को गोली लगी है ? कितने गांव वालों को गोली लगी ? वहां तेंदूपत्ता तोड़ने वाले लोग जमा हो रहे थे, उनको चारों तरफ से घेरकर मारा गया और वहां 3-4 लोग घायल हुए थे तो आदिवासी समाज के लोग वहां जाकर उनको हॉस्पिटल ले गये। आपने इसकी चिंता नहीं की। (व्यवधान)

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यह बिल्कुल गलत बात है। मैं आपकी इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूं। यह आपका गैर जिम्मेदाराना प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- अध्यक्ष महोदय, नक्सलियों को बचाने का काम किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, पूरे बस्तर संभाग में। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप गृहमंत्री हैं और उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ? यह आपकी जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, निर्दोष व्यक्तियों और आदिवासियों को मारा गया । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- गृहमंत्री जी, आप इसकी जांच करवाइये। (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्री विजय शर्मा :- आप सुरक्षा बलों के खिलाफ इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। आपको माफी मांगनी होगी। जवानों की शहादत पर यह बात कहना गलत है। (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- हम उसकी निंदा करते हैं। (व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय:
12.00 बजे

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए)

अध्यक्ष महोदय :- कवासी जी, प्रश्नकाल समाप्त हो गया, अब आगे बढ़ गए हैं, दूसरे विषय को लेना है। आपके इस विषय पर आगे भविष्य में चर्चा होगी।(व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- उस घटना में पीडिया में कितने निर्दोष लोगों को मारा गया है। वहां आप गए हैं। (व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री विजय शर्मा) :- किसी निर्दोष को जवानों ने नहीं मारा है और आप नक्सलियों का साथ देना बंद करें। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- बिल्कुल कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन प्रश्न तो पूछ सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए। आगे बढ़ गए हैं।

समय :
12.01 बजे

<u>पत्रों का पटल पर रखा जाना</u>

<u>(1) राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा प्रस्तुत बांध सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023-2024</u>

जल संसाधन मंत्री (श्री केदार कश्यप):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 (क्रमांक 41 सन् 2021) की धारा 45 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा प्रस्तुत बांध सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023-2024 पटल पर रखता हूं।

<u>(2) छत्तीसगढ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2022-2023</u>

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री केदार कश्यप):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2022-2023 पटल पर रखता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(3) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सोलहवॉ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक)

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सोलहवॉ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक) पटल पर रखता हूं।

(4) राज्य आयुक्त दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 पटल पर रखती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल ।

पृच्छा

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर स्थगन दिया हुआ है। अकेले रायपुर में चार-चार गोलियॉ चल चुकी हैं। भिलाई में चल चुकी है। रायगढ़ में स्थिति खराब है। पूरे प्रदेश में तांडव मचा रहे हैं, गैंगस्टर आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं। लगातार हत्या, बलात्कार, डकैतीहो रही है। गृहमंत्री जी के जिले में तो एक-दो नहीं बल्कि दर्जन के हिसाब से हत्याएं हो रही हैं, दर्जन के हिसाब से बलात्कार हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में सैकड़ों लूटपाट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हैं। पूरे प्रदेश में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ी हुई है और स्थिति भयावह होती जा रही है। आज यदि हम रायगढ़ की स्थिति की बात करें तो यहॉ किसके पास इतने देशी कट्टे आ गए कि वे बाहर जाकर गुंडागर्दी और लूटपाट कर रहे हैं। मंत्री के साथ उनकी फोटो देखी जा रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। यहां भी स्थिति वही है कि यहां धमकी दी जा रही है, व्यापारियों को धमकाया जा रहा है, उद्योगपतियों को धमकाया जा रहा है, वसूली की जा रही है। कहीं जैतखंभ काटकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, दुर्ग में गाय की मुंडी काटकर डाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल चाहे वह बजरंग दल हो या विश्व हिन्दु परिषद हो, वे खुद ही

आंदोलन कर रहे हैं। कहीं माब लिंचिंग की घटना हुई और तीन-तीन लोगों की मृत्यु हो गई। आज स्थिति भयावह है। जहॉ देखो सत्ता के संरक्षण में चाहे वह गांजा तस्करी की बात हो, गौ तस्करी की बात हो, लगातार हो रही है और इस कारण से घटनाएं बढ़ रही हैं। आज थाने में चार गुण्डे पहुँच जाते हैं, घटना घटती है, कार्रवाई करने की बात होती है, तो बोलते हैं कि हम सीधा गृहमंत्री जी से बात कराते हैं। हमारे ऊपर एफ.आई.आर. नहीं होनी चाहिए, फलाने आदमी के खिलाफ एफ.आई.आर. होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें आम हो गयी है। अभी माननीय कवासी लखमा जी ने एक छोटा सा सवाल पूछ लिया, उसमें सत्ता पक्ष के लोग आग बबूला हो गये। उन्होंने पूछा कि पीडिया गांव में जो 10 लोग मारे गये, उसमें से ग्रामीण कितने थे और नक्सली कितने थे ? वे इतने में आग बबूला हो गये। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद लचर है। सत्ता के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है, चाहे लूट हो या हत्या हो।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा खड़े-खड़े आपस में बातें करने पर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। गृह मंत्री जी आसंदी की तरफ पीठ करके खड़े होकर सदस्य से बात कर रहे हैं। आप उन्हें प्रताड़ित करिये। अध्यक्ष महोदय, कम से कम परंपराओं का ख्याल रखा जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने लगातार स्थगन पर मांग की। लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा एक भी स्थगन को ग्राह्य कराकर, उसमें चर्चा कराने की हिम्मत नहीं है। हम आज तीसरी बार स्थगन लाये हैं। आप लगातार देखेंगे, आज स्थिति यह है कि रायपुर में नशेड़ी युवक से एक आदिवासी लड़के ने केवल पता पूछ लिया तो उसे गाड़ी में बिठाकर, पीट-पीट कर मार डाला गया (शेम-शेम की आवाज)। मरवाही में भरे बाजार में एक महिला का गला रेत दिया जाता है, जिसे सारे लोग देख रहे थे। अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ गयी है कि दिन दहाड़े महिला का गला रेता जा रहा है। भिलाई में केवल ओव्हर टेकिंग का मामला था, उसमें गोलियां चल गईं। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में बहुत भयावह स्थिति है। इस विष्णु देव साय जी की सरकार से कानून व्यवस्था सुधर नहीं रही है। किसी भी लोकप्रिय सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है कि वह कानून व्यवस्था बनाकर रखे। लेकिन आज पूरा महकमा किसी और काम में लगा हुआ है। कानून व्यवस्था बनाये रखने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। यहां ट्रांसफर और पोस्टिंग चल रही है। पहले ट्रांसफर होता है, फिर उसे रूकवाया जाता है, फिर दूसरी पोस्टिंग होती है। आज वसूली का दौर चल रहा है। पूरे प्रदेश में लगातार वसूली, वसूली, वसली। इस कारण से आज कानून व्यवस्था तार-तार हो गयी है। यहां न महिला सुरक्षित है, न आदिवासी सुरक्षित है, न अनुसूचित जाति सुरक्षित है, न छात्र-छात्राएं सुरक्षित हैं, आज स्थिति बहुत भयावह है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमूमन शून्यकाल में आपकी व्यवस्था आ जाने के बाद ग्राह्य हो जाये या ग्राहयता हो जाये, इन दोनों स्थिति में भाषण होता है। हम शून्यकाल में केवल

सूचनार्थ देते हैं कि हमने इस विषय में स्थगन या ध्यानाकर्षण दिया है। अभी दोनों स्थितियां नहीं बनी हैं और धारा प्रवाह भाषण चल रहा है। वह भाषण क्यों चल रहा है और किसलिए चल रहा है ? अध्यक्ष महोदय, ग्राह्य या अग्राह्य होने के बाद यह स्थिति बननी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपकी इस संबंध में कोई व्यवस्था जरूर आये। शून्यकाल में हम लोग अपने मोशन के बारे में सूचना देते हैं, फिर आप ग्राह्यता या अग्राह्यता पर जो व्यवस्था देते हैं, उस पर भाषण होता है। यहां तो सूचना देने की जगह पर भाषण हो रहा है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हर बात में माननीय चंद्राकर जी आपत्ति करते हैं और सदन का समय खराब करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं सदन का समय खराब नहीं कर रहा हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप सदन की आसंदी पर थे। शून्यकाल में कितना भाषण होता है ?

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, हमारे ज़माने में बहुत भाषण होता था।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपका समय बचा रहा हूं। आप ग्राह्यता या अग्राह्यता पर व्यवस्था मांग लीजिए और फिर जितना भाषण देना है, उतना दीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, हमने शून्यकाल में स्थगन की जो सूचना दी है, उस पर बात करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं। अभी उसकी स्थिति नहीं बनी है कि ग्राह्य है या अग्राह्य है या ग्राह्यता पर चर्चा होगी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था आसंदी से आयेगी। मैंने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोलना शुरू किया। आज पूरे प्रदेश में सायबर क्राईम की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और उसकी वजह से लूट भी हो रही है। अनेक घटनाएं घट रही है। समाज में तनाव बढ़ रहा है। मुझे आसंदी से अनुमति मिली है और जब तक आसंदी से रोका नहीं जायेगा, मैं तब तक बोलूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। मुझे उस पर बोलना है।

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, मैं आपको मौका दूंगा। बघेल जी, आप समाप्त करिये।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष्‍ा महोदय, हमने स्थगन दिया है और आप कृपा करके इसे ग्राह्य करें। हम इसमें बहुत सारे तथ्य सामने लायेंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पूरे प्रदेश में लगातार पुलिस प्रशासन की Failure दिख रही है। हमारे आदरणीय सदस्य जी ने उस विषय पर बहुत सारी बातों को विस्तृत कहा है। आज हम लोग इस सदन में आये हैं। कल रात को रायगढ़ जिले में एक घटना हुई है।

कल रात को रायगढ़ जिले में कमरीद गांव के हरीराम को गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई है। (शेम-शेम की आवाज)

माननीय अध्यक्ष महोदय, रायगढ़ में एक पत्रकार को पीटा जाता है और जब वह पत्रकार एफ.आई.आर. करता है, अपना बयान देता है कि मुझे फलाने आदमी ने मरवाया है, लेकिन पुलिस उस आदमी का बयान तक नोट नहीं करती है। पत्रकार बंधुओं को एस.पी. ऑफिस जाना पड़ता है वह लोग एस. पी. से निवेदन करते हैं कि आप इस आदमी पर कार्यवाही करिये, लेकिन उस आदमी पर कार्यवाही करने की एस.पी. की हिम्मत नहीं होती है क्यों ? क्योंकि वह मंत्री के खास व्यक्ति हैं। (शेम-शेम की आवाज) इस तरह से इस शासन के द्वारा जानबूझकर पुलिस पर अंकुश लगाया जा रहा है। पुलिस की एक धमक होती है। पुलिस के बूट का एक धमक होता है। माननीय गृहमंत्री जी, आप पुलिस की उस धमक को वापस लाईये। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन पुलिस का एक इकबाल होना चाहिए, पुलिस का एक वर्चस्व होना चाहिए। जो गुनाहगारों के दिलों में दहशत पैदा कर सके, लेकिन इस शासन के द्वारा पुलिस पर अंकुश लगाया जा रहा है, उसके ऊपर एक लगाम लगाने का काम कर रही है और लगातार चाहे बस्तर हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे बलौदा बाजार हो, चाहे महासमुंद हो और रायपुर की स्थिति तो भयावह हो चुकी है। मैं, आपसे इसलिए निवेदन करूंगा कि ...।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसकी ग्राहता में बता दीजिएगा। मैं आपका स्थगन प्रस्ताव ही ले रहा हूँ। मैं आपका विषय ही ले रहा हूँ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप इस स्थगन पर हमें चर्चा करने का अवसर प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपका विषय ही ले रहा हूँ। आप बैठ जाईये।

मेरे पास ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम लोगों ने भी शून्यकाल की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी भी शून्यकाल की सूचना है। चलिये। हम एक साथ व्यवस्था दे देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में बहुत सारी बीमारियों की दवाईयां उपलब्ध नहीं हैं और बहुत सारी दवाईयां अमानक है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है। यहां पर विपरित स्थितियां हैं। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख भी किया है कि वहां पर मलेरिया से दो लोगों की मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई तो मेरा, आपसे आग्रह है कि उस ध्यानाकर्षण को स्वीकृत करने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय :- आपने इस विषय में ध्यानाकर्षण दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। मैंने इस विषय में ध्यानाकर्षण दिया है।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 1 साल से छत्तीसगढ़ में टी.वी. की दवाईयां, टी.वी. के मरीजों को नहीं दी जा रही हैं। या तो उसकी सप्लाई नहीं हो रही है या वह बाजार में उपलब्ध नहीं है। यहां पर टी.वी. के मरीजों का पूरा कोर्स Discontinue हो रहा है अगर वह टी.वी. की दवाईयां Continuation में नहीं खाएंगे तो फिर से उनको लम्बी दवाई खानी पड़ेगी। यहां पर वह दवाई बाजार में मिल भी नहीं रही है। सरकार को इस दवाई की सप्लाई कहां से होती है, हमें वह जानकारी चाहिए। मैंने उसी सिलसिले में ध्यानाकर्षण लगाया है। मेरा, आपसे निवेदन है कि आप उसे ग्राह्य करके चर्चा करवाएं।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। आप बैठ जाईये। मेरे पास जो प्रस्ताव आया है, उस पर मैं व्यवस्था दे दूं। उसके बाद बाकी बातें होंगी।

समय
12.14 बजे

स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में 35 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

प्रथम सूचना	-	श्री भूपेश बघेल
द्वितीय सूचना	-	श्री उमेश पटेल
तृतीय सूचना	-	श्री कवासी लखमा
चौथी सूचना	-	श्री विक्रम मण्डावी
पांचवीं सूचना	-	श्रीमती अनिला भेंडिया
छठवीं सूचना	-	श्री देवेन्द्र यादव
सातवीं सूचना	-	श्री अटल श्रीवास्तव
आठवीं सूचना	-	श्रीमती संगीता सिन्हा
नवमीं सूचना	-	श्री बघेल लखेश्वर
दसवीं सूचना	-	श्री भोलाराम साहू
ग्यारहवीं सूचना	-	श्री द्वारिकाधीश यादव
बाहरवीं सूचना	-	श्री कुंवर सिंह निषाद
तेरहवीं सूचना	-	श्री रामकुमार यादव
चौदहवीं सूचना	-	श्री लालजीत सिंह राठिया
पन्द्रहवीं सूचना	-	श्री दिलीप लहरिया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सोलहवीं सूचना	-	श्रीमती चातुरी नंद
सत्रहवीं सूचना	-	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
अठारहवीं सूचना	-	श्री दलेश्वर साहू
उन्नीसवीं सूचना	-	श्रीमती शेषराज हरवंश
बीसवीं सूचना	-	श्री फूलसिंह राठिया
इक्कीसवीं सूचना	-	श्री संदीप साहू
बाईसवीं सूचना	-	श्री जनक राम ध्रुव
तेईसवीं सूचना	-	श्री ब्यास कश्यप
चौबीसवीं सूचना	-	श्रीमती अम्बिका मरकाम
पच्चीसवीं सूचना	-	श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
छब्बीसवीं सूचना	-	श्री इन्द्र साव
सत्ताईसवीं सूचना	-	श्रीमती कविता प्राण लहरे
अठ्ठाईसवीं सूचना	-	श्री बालेश्वर साहू
उन्नतीसवीं सूचना	-	श्रीमती विद्यावती सिदार
तीसवीं सूचना	-	श्री ओंकार साहू
इक्तीसवीं सूचना	-	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
बत्तीसवीं सूचना	-	श्री इन्द्र शाह मण्डावी
तैतीसवीं सूचना	-	श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी
चौतीसवीं सूचना	-	श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
पैतीसवीं सूचना	-	डॉ. चरणदास महंत

चूंकि श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अत: उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :-

राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। प्रदेश के इतिहास में गैंगस्टरों के मध्य दिन दहाड़े फायरिंग की घटना पूर्व में कभी नहीं हुई थी, लेकिन इस सरकार के अल्पकाल में ही रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, रायगढ़ आदि में दिन दहाड़े गैंगस्टर के शूटरों द्वारा फायरिंग करने की घटनाएं हुई हैं। प्रदेश में पिछले 06 माह में हत्या के 562 तथा लूट की सैकड़ों घटनाएं, हर दूसरे दिन गैंगरेप की घटना, यौन शोषण की 859, डकैती के 29, लूट के 215, दुष्कर्म के 1576 और गांजा तस्करी के 713 केस तथा साईबर अपराधों आदि की बाढ़ आ गई है। आपराधिक मामलों में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग बढ़ती जा रही हे। प्रदेश में हत्या, चाकूबाजी, दुष्कर्म, लूट, ठगी और तस्करी जैसे गंभीर अपराधों ने एक दैनिक व्यवस्था का रूप ले लिया है। आरंग में माब लिंचिंग एक अल्पसंख्यक समाज के तीन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। पिछले छः माह के दौरान जिला कबीरधाम में हत्या सहित अन्य अपराधिक घटनाएं अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे ज्यादा हुई हैं। मादक पदार्थों की तस्करी का प्रमुख अड्डा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बन गया है। रायपुर का बस स्टैण्ड प्रदेश में गांजा तस्करी का प्रमुख अड्डा बन गया है। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के कारण सड़क दुर्घटनाएं तथा उसमें मृतकों तथा घायलों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। राज्य के तस्करों का सीधा संबंध उड़ीसा के गांजा तस्करों से हो गया है। रायपुर के व्यवसायियों को अपना व्यापार सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के गैंगस्टर को प्रोटेक्शन मनी देना आवश्यक हो गया है। यू.पी., बिहार के बाद साय सरकार के सत्तासीन होने पर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर के गैंगस्टर अपनी पैठ जमाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। 10 जून 2024 को बलौदा बाजार की घटना प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कानून व्यवस्था फेलियर की एक मिसाल बन गई है। रायपुर के भाठागांव से आगे इन्द्रप्रस्थ कालोनी में रहने वाले अपराधी, मादक पदार्थ क्रय करने नियमित तौर पर आकाशवाणी के पास कालीबाड़ी चौक आते हैं, बस्तर के लोहंडीगुड़ा निवासी आदिवासी छात्र मंगल मुरिया ने 25 जून की रात कालीबाड़ी चौक के पास दुर्भाग्य से एक नशेड़ी युवक से पता पूछ लिया तो वहां उपस्थित दो युवक उसे अपनी मोटर सायकल में बैठा कर इन्द्रप्रस्थ कालोनी ले गए और गरीब आदिवासी छात्र की पीट-पीट कर हत्या कर दी। राज्य स्थापना के बाद यह पहला अवसर है जब प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए पूछा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था है या नहीं? राजधानी में चैन स्नेचिंग, चाकूबाजी, राहजनी, प्रदेश के वनांचल में युवतियों के साथ सरकार के ट्रायवल हॉस्टलों में दुष्कर्म की घटना हो रही है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, पुलिस अपराधियों से हफ्ता वसूली करती है। आम नागरिकों के साथ घटी घटनाओं की पुलिस थाने में रिपोर्ट तक भी दर्ज नहीं की जाती है। पुलिस की इस कार्यप्रणाली से आम नागरिकों में दशहत एवं अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सोशल पुलिसिंग नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। अतः इस महत्पूर्ण मुद्दे पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये।

इस संबंध में शासन का क्या कहना है।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन का जवाब आने से पहले मैं तो सत्तापक्ष से यह आग्रह करूंगा कि इसको ग्राह्य करा लें और ग्राह्य करा कर चर्चा करायें, फिर गृहमंत्री जी आखिरी में जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय :- पहले विषय आ जाये, फिर मैं बात करूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ग्राह्य हो जाये या तो ग्राह्यता पर चर्चा करा लें।

अध्यक्ष महोदय :- दोनों पक्ष का सुनने के बाद ही होगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सत्तापक्ष से यही आग्रह कर रहा हूं कि इसको ग्राह्य कर लें।

उप-मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर जो आपका निर्णय होगा, जैसा आपका मार्गदर्शन होगा, वैसा करने के लिए हम तैयार हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सत्तापक्ष भी तैयार हैं, इसको ग्राह्य करके इसमें चर्चा कराईये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा हेतु मैं दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित करता हूं। इसकी ग्राह्यता पर चर्चा होगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी, मुझे शून्यकाल में कानून व्यवस्था के विषय को लेकर कुछ रखना था।

अध्यक्ष महोदय :- अभी ध्यानाकर्षण के विषय में आय गये हैं। श्री सुशांत शुक्ला।

समय :
12:21 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्य सूची में तीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के ग्राम कोसीर एवं गाताडीह में सहकारी सोसायटी में व्याप्त अनियमितता

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के ग्राम कोसीर एवं गाताडीह के सहकारी सोसाइटी में अनियमितता उजागर हुई है। वर्ष 2020 से सीजन 2023 तक कोसीर के वर्तमान प्रबंधक द्वारा फर्जी तरीके से करोड़ों रूपये के धान खरीद कर फर्जीवाड़ा किया गया है। वर्ष 2019-2020 में कोसीर गाताडीह का उपार्जन केन्द्र तथा उस समय कोसीर उपार्जन केन्द्र के कम्प्यूटर ऑपरेटर राजेश रात्रे, जो वर्तमान में कोसीर सोसायटी का प्रबंधक है, ने रसूखदारों के संरक्षण में अन्य कर्मचारियों एवं बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रूपये की अनियमितता की। अपने करीबी रिश्तेदारों एवं सगे संबंधी जिन लोगों के पास जमीन नहीं है अथवा आधे एकड़ से या उससे कम जमीन है।

(सदन में सदस्यों द्वारा आपस में बीतचीत करने पर)

अध्यक्ष महोदय :- अभी ध्यानाकर्षण जैसा गंभीर मुद्दा माननीय सदस्य पढ़कर सुना रहे हैं। जिन्हें बैठना है, वह अपने स्थान पर बैठ जाये और जिन्हें बाहर जाना है, वह बाहर चले जाये। हाऊस में इस प्रकार की चर्चा उचित नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी और पूर्व अध्यक्ष आसंदी की तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं।

(श्री रामकुमार यादव, सदस्य द्वारा श्री कवासी लखमा, सदस्य के स्थान पर जाकर उनसे बातचीत करने पर)

अध्यक्ष महोदय :- आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इस बात की ध्यान रखें कि सदस्य अपना ध्यानाकर्षण पढ़ रहे हैं और इस बीच में खड़े होकर बात करना उचित नहीं है। सुशांत जी, आप अपनी बात रखिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, जी। ऐसे लगभग 35 किसानों का फर्जी रजिस्ट्रेशन कर उनके खाते के माध्यम से करोड़ों रूपये की धान खरीदी दिखाकर पैसा स्वयं एवं अपने रिश्तेदारों के खाते में जमा कराया गया। साथ ही दो करोड़ रूपये के खाद जो सोसाइटी के माध्यम से किसानों को वितरित किया जाना था, उसे खुले बाजार में बेचकर करोड़ों रूपये की अनियमितता की गयी। खरीदी गई धान उपार्जन केन्द्र कोसीर में जमा नहीं किये जाने के कारण धान शार्टेज दिखने पर एवं बात खुलने पर आनन-फानन में कोसीर के उपार्जन केन्द्र में धान बिक्री करने वाले सैकड़ों किसानों को फर्जी तरीके से कर्जदार बना दिया गया, जबकि इन किसानों द्वारा ऋण ही नहीं लिया गया है। साथ ही खरीफ सीजन 2024-2025 में बिना कर्ज लिए कर्जदार बने बैठे सैकड़ों किसानों को ऋण अदान ही कर पाने के कारण तथा खाद की कमी के कारण भारी मानसिक वेदना से गुजरना पड़ रहा है। वर्ष 2019-2020 से अब तक फर्जी रकबा वृद्धि कर करोड़ों रूपये की अनियमितता की गयी है। इस संबंध में क्षेत्र के किसानों द्वारा उच्च अधिकारियों से अनेकों बार लिखित एवं मौखिक शिकायतें की गई है, किन्तु आज दिनांक तक संबंधितों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके कारण क्षेत्र के किसानों एवं उनके परिवार में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गाताडीह समिति अंतर्गत 03 उपार्जन केन्द्र यथा गाताडीह, कोसीर एवं जशपुर में से गाताडीह सहकारी समिति के जशपुर उपार्जन केन्द्र में वर्ष 2019-2020 में धान खरीदी पश्चात् धान शार्टेज मात्रा 5857.49 क्विंटल, जिसकी राशि रू.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

106.31 लाख की कमी होने पर संस्था के बोर्ड द्वारा तत्कालीन समिति प्रबंधक श्री दिलीप टंडन को दिनांक 25/11/2020 को समिति के बोर्ड द्वारा सेवा पृथक किया गया।

(श्री रामकुमार यादव, सदस्य द्वारा श्री कवासी लखमा, सदस्य के स्थान पर जाकर उनसे पुन: बातचीत करने पर)

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, आपको बार-बार समझाने के बाद भी आप इस प्रकार बात करते हैं, जैसे कि बाजार में खड़े हैं। विधान सभा की मर्यादा है, इसकी गरिमा है, आप उसको पालन करते हुए चले। अभी कम से कम नये-नये सदस्य तो इतना समझ जाये। आप तो सीनियर हो गये हैं। आप अपनी जगह में बैठिये, क्योंकि मंत्री जी का जवाब आ रहा है। आप मंत्री जी का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर इस सदन में बैठकर क्या करेंगे? कम से कम बाकी सदस्य को गंभीरता दिखें। यहां मीडिया बैठकर देख रही है, वह हमारे व्यवहार को आंकलन करती है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी समिति गाताडीह के 28 कृषकों द्वारा वर्ष 2019-20 की अवधि में बिना जानकारी के उनके खातों में फर्जी ऋण चढ़ाए जाने की शिकायत जून 2024 में किए जाने पर कलेक्टर जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा जांच के निर्देश पर 05 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया । जांच दल द्वारा प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन में 05 कृषकों के फर्जी ऋण चढ़ाने की पुष्टि हुई । फर्जी के.सी.सी. ऋण के लिए दोषी संलिप्त तत्कालीन कर्मचारी/पदाधिकारी सेवा सहकारी समिति गाताडीह के क्रमश: शिवकुमार टण्डन अध्यक्ष, दिलीप कुमार टण्डन समिति प्रबंधक, राजेश रात्रे सहायक समिति प्रबंधक (तत्कालीन कम्प्यूटर ऑपरेटर) एवं बुंदराम जांगड़े, कम्प्यूटर आपरेटर के विरूद्ध पुलिस थाना सारंगढ़ में पुलिस प्राथमिकी दिनांक 19.07.2024 को दर्ज की गयी ।

धान उपार्जन वर्ष 2023-24 में सेवा सहकारी समिति मर्यादित गाताडीह के उपार्जन केंद्र गाताडीह एवं नवगठित समिति कोसीर के उपार्जन केंद्र कोसीर में धान रकबा पंजीयन के दौरान फर्जी पंजीयन की शिकायत कलेक्टर जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को प्राप्त हुई । उपार्जन केंद्र गाताडीह में तहसीलदार सारंगढ़ एवं उपार्जन केंद्र कोसीर में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़ में जांच कराई गई । जांच में उपार्जन केंद्र गाताडीह के पंजीकृत 105 कृषकों के 99.292 हेक्टेयर रकबे में फर्जी रूप से रकबा वृद्धि कर अनियमितता पाए जाने पर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़ द्वारा सहायक समिति प्रबंधक श्री महेंद्र कुमार टंडन को सेवा से पृथक किया गया तथा उपार्जन केंद्र कोसीर के पंजीकृत 93 कृषकों के 155.270 हेक्टेयर रकबे में फर्जी रकबा इन्द्राज करने की अनियमितता पाए जाने के कारण उप पंजीयन सहकारी संस्थाएं रायगढ़ द्वारा सहायक समिति प्रबंधक श्री राजेश रात्रे को सेवा से पृथक किया गया ।

उक्त कार्यवाहियों के अतिरिक्त सारंगढ़ ब्लाक की वर्तमान समितियों में यथा कोसीर, गाताडीह एवं जशपुर समितियों में वर्ष 2019-20 से 2023-24 के मध्य संज्ञान/प्रकाश में आयी अनियमितताओं की

विस्तृत जांच के लिए अपेक्स बैंक द्वारा भी 05 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति दिनांक 23/07/2024 को गठित की गई है ।

अत: उपरोक्त कार्यवाहियों के प्रकाश में यह कहना सही नहीं है कि शिकायतें प्राप्त होने पर ठोस कार्यवाही नहीं की गई और किसानों एवं उनके परिवारों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को उनके साथी प्रशासन के अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है । मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि यह वर्ष 2019-20 का मामला है और अभी वर्ष 2024 चल रहा है । 4 वर्षों से दस्तावेजी प्रमाणीकरण के साथ आर्थिक अनियमितता की गयी है और उस पर भी आज प्रक्रियाधीन है । मैं आपके सामने दिनांक 22 जुलाई 2024 का एक दृष्टांत रखना चाहता हूं । इसी सदन में माननीय सदस्या उत्तरी गनपत जांगड़े जी के प्रश्न पर जवाब दिया है कि मामला लंबित है । प्राथमिक शिकायतों की जांच प्रक्रियाधीन है और एक तरफ ये जवाब दे रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की गयी है और जांच अच्छी की गयी है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि 28 किसानों को लाखों रूपये का कर्ज फर्जी तौर पर दिखाकर उनको प्रताड़ित किया गया है, मानसिक प्रताड़ना दी गयी है और उस पर आज दिनांक तक कोई कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि ऐसी ही व्यावहारिकता चलेगी तो किसानों के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही इस विषय को स्पष्ट किया और सरकार पूरी तरह से ऐसे जो अधिकारी-कर्मचारी हैं जिन लोगों ने उस क्षेत्र में रहकर भ्रष्टाचार किया है और हमारे किसानों के हक को मारा है उनके साथ में कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटी । अभी उनको सेवा से पृथक किया गया है । आवश्यकता पड़ी तो और कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जायेगी । धारा-58 के तहत् में उनकी जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों का भी ऑडिट करके उसकी वसूली की कार्रवाई भी की जायेगी ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 4-4 वर्ष हो गये हैं । आर्थिक अपराध दस्तावेजी प्रमाणीकरण के साथ स्पष्ट होते हैं, कब कार्रवाई होगी ? 4 वर्ष से किसान बांट जोह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो फर्जी ऋण चढ़ाया गया है जिनसे उनको मानसिक प्रताड़ना हुई है । छत्तीसगढ़ में अमूमन ऐसे अनेक मामले हैं, जहां पर प्रबंधकों के खिलाफ आर्थिक अनियमितता के मामले हैं और आज भी वे वर्तमान प्रबंधक उन क्षेत्रों में काम करके आर्थिक अनियमितताओं को संचालित कर रहे हैं ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो जानकारी चाहिए थी, उनके ऊपर तो कार्रवाई की गई है। यदि और भी इस तरह के प्रकरण हमारे

माननीय सदस्य के समझ में आते हैं तो उसकी जानकारी हमें उपलब्ध कराएं। उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए और कोई जानकारी है?

श्री सुशांत शुक्ला :- एक विषय और है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि घोटाला बड़ा है। किसान मानसिक वेदना से गुजरे हैं तो विधान सभा की समिति से मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि चार वर्षों से अगर प्रशासन उनको न्याय नहीं दे पा रहा है तो विधानसभा की समिति से संबंधित विषय पर जांच कराकर निर्णय देंगे क्या?

अध्यक्ष महोदय :- क्या कार्रवाई हो गई, बता दिए ना?

श्री सुशांत शुक्ला :- नहीं-नहीं, कार्रवाई हुई नहीं न भाई साहब। आज तक प्रक्रियाधीन है। ये अपने प्रश्न में जवाब दे रहे हैं। आज तक निर्णय प्रक्रियाधीन है, यह अपने ही प्रश्न में माननीय सदस्या के जवाब पर जवाब दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, समय-सीमा कुछ बता सकते हैं तो।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शासकीय कर्मचारी हैं, उनके ऊपर एफ.आई.आर दर्ज किया गया है और उनको सेवा से पृथक भी किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- इससे बढ़िया बात और क्या होगी कि सेवा से पृथक किया गया है।

श्री केदार कश्यप :- यदि आवश्यकता पड़ी तो और इससे जो बड़ी कार्रवाई होगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय :- सेवा से पृथक के बाद और क्या कार्रवाई होगी?

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि एक राजेश रात्रे ऑपरेटर है। उनके माध्यम से ये पूरी कूटरचना की गई और उनके विरुद्ध आज तक सिर्फ एफ.आई.आर. का प्रावधान करके व्यवस्था बनाई गई है। कोई कार्रवाई सेवा से पृथक नहीं किया गया, कोई इनके विरुद्ध कारवाई सुनिश्चित नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय :- अतिरिक्त तथ्य हैं तो मंत्री जी को दे दें, उसकी भी जांच करा लेंगे।

श्री सुशांत शुक्ला :- जी थैंक यू धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- महंत जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों के राशन की अफरा-तफरी किया जाना।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा चना एवं गुड़ की आपूर्ति प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में संचालित शासकीय उपभोक्ता भंडार के माध्यम से राशन कार्डधारियों को प्रत्येक माह वितरित किए जाने वाले राशन के साथ दिया जाता है। सक्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामा बोरदा बरपालीकला, गहरीनमुड़ा, रजगा, धनपुर, अमलडीहा, अचानकपुर, घुईचुंवा, गढ़गोढ़ी, सपनईपाली, हरेठी, नन्देली, सोनगुढ़ा, तेन्दूटोहा, मरकामगोड़ी, भागापाली, अर्जुनी, जुड़ग, ऋषभतीर्थ, बेलाचुंवां, जामपाली, देवरी, पतेरापालीखुर्द, मसनियाकला, रैनखोल, हरदा, बोईरडीह, कान्दानारा उचित मूल्य दुकानों हेतु चना पैकेट कुल 420 बैग छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाई मशीन कार्पोरेशन लिमिटेड जिला कार्यालय सक्ती के गोदाम से डी.ओ. नंबर 20240554060239 से 20240554060265 तक दिनांक 13.06.2024 के अनुसार ट्रक क्रमांक CG/11/AR/3817 के माध्यम से चालान क्रमांक TC2024 से 0654060036 से TC20240654060058 तक एवं TC20240654060020, 19, 35, 21 दिनांक 15/06/2024 के माध्यम से जारी किया गया है, परंतु आज दिनांक तक उक्त चना किसी भी राशनकार्डधारी को वितरण नहीं किया गया है। इसी प्रकार चना वितरण से अनियमितता की शिकायतें बस्तर, बीजापुर, सुकमा जिलों के विभिन्न ग्रामों से प्राप्त हुई हैं। शासन के द्वारा गरीबों के राशन की अफरा-तफरी की इतनी पुख्ता व्यवस्था सरकार के संरक्षण में किया जाना आश्चर्यजनक है, परंतु जिन गरीब परिवारों को चना वितरण नहीं हुआ है उनके द्वारा शासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक माह राशन कार्ड धारियों को वितरित किये जाने वाले चावल के साथ-साथ चना, नमक, गुड़ आदि राशन सामग्री का भंडारण सामान्यत: एक साथ किया जाता है । किंतु निगम द्वारा विभिन्न कारणों से चना उपार्जन में विलम्ब होने के कारण माह मई 2024 का चना ध्यानाकर्षण में उल्लेखित 28 ग्राम पंचायतों में संचालित उचित मूल्य दुकानों हेतु दिनांक 15.06.2024 को ट्रक **चालान** जारी कर दिनांक 15 जून से 17 जून के दौरान उचित मूल्य दुकानों में चना भंडारित कराया गया । उपरोक्त 28 ग्राम पंचायतों की दुकानों में से 26 ग्राम पंचायतों की दुकानों में माह मई 2024 के 210.05 क्विंटल चना भंडारण के बाद जून माह में हितग्राहियों द्वारा 75.16 क्विंटल चना का उठाव किया गया है । अत: यह सही नहीं है कि उपरोक्त 28 ग्राम पंचायतों में मई 2024 का भंडारित चना का वितरण किसी भी राशन कार्डधारी को जून माह में नहीं किया गया। इन 28 ग्राम पंचायतों में संचालित दुकानों से संबंधित

जिन हितग्राहियों द्वारा माह मई 2024 के चना का उठाव नहीं किया गया है, उन्हें कोटवार के माध्यम से मुनादी कराकर सूचना दी कई है तथा हितग्राहियों को इसका वितरण कराया जा रहा है ।

बीजापुर जिले में एक व्यापारी द्वारा पीडीएस के चना एवं गुड़ के अवैध भंडारण की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 4 जुलाई 2024 को खाद्य निरीक्षक द्वारा तत्काल जांच कर अवैध रूप से भंडारित चना एवं गुड़ को जब्त किया गया तथा संबंधित के विरूद्ध दिनांक 4 जुलाई 2024 को थाना कोतवाली बीजापुर में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है । चना वितरण को लेकर अनियमितता की कोई शिकायत बस्तर एवं सुकमा जिले में प्राप्त नहीं हुई है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में चना उपार्जन कार्य में विभिन्न कारणों से विलंब होने से माह मई 2024 के चना के वितरण के कार्य में विलम्ब हुआ तथा ऐसे सभी राशन कार्डधारी जिनके द्वारा माह मई 2024 का चना का उठाव नहीं किया गया था, उन्हें जून तथा जुलाई 2024 में भी चना उठाव की सुविधा दी गई है । राज्य शासन द्वारा गरीब राशन कार्डधारी परिवारों को दी जा रही उपरोक्त सुविधा के कारण उनमें शासन के प्रति कोई रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबकी चिंता का विषय यह है कि नेफेड से जो चना खरीद रहे हैं, उनको 40 हजार टन चना खरीदी करनी थी । उन्होंने बात की, डी.ओ. लेटर 16 हजार टन में डिलिवरी दिखाया गया । मगर छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4 हजार टन आया । यह चना उच्च क्वालिटी का था । मैं अपनी सूचना के अनुसार माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि यह चना जहां से उठाव दिखाया गया, वहीं के अधिकारियों, कर्मचारियों और आगे जो जोड़ना है जोड़ लीजिए । उनके द्वारा वही चना रोककर, घटिया किस्म का 3-4 साल पुराना काला-काला चना यहां बांटने के लिए भेजा । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने उस चने को देखा है ? चने की सब्जी बनवाई है, चने को खाया है ? वह किस स्तर का चना है, जिसे जानवर को भी नहीं खिलाया जा सकता । आप उस चने को बांट रहे हैं जिसमें नेफेड का सील भी नहीं लगा है । क्या आप चने की गुणवत्ता की जांच करवाएंगे कि यहां जो खैरी चना बांटा जा रहा है, वह खाने योग्य है या नहीं है।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चने के संबंध में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है । जहां चना वितरण हो रहा है वहां शिकायत नहीं आई है ।

अध्यक्ष महोदय :- शिकायत नहीं आई है ।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, यह चना लाया हूं (चने का पैकेट दिखाते हुए) मैं यह चना मंत्री जी को दे देता हूं । चना आप भी देख लीजिए मैं भिजवा रहा हूं और मंत्री जी को दिखा दीजिए । क्या इसकी जांच कराएंगे, क्या इस चने की जांच कराएंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- दिखा दीजिए चावल ।

डॉ. चरणदास महंत :- चावल नहीं.. चना ।

श्री दयालदास बघेल :- चना दिखवा दीजिए । इसका मिलान करवा लेंगे । अगर गलत चना है तो इसकी जांच भी करवाएंगे ।

डॉ. चरणदास महंत :- भैया, कभी-कभी गलती से मुंह से सही बात निकल जाती है। केन्द्रीय दल द्वारा छत्तीसगढ़ में चावल के सैंपल कराए गये थे और 400 सैंपल फेल हो गए। मैं चना दे रहा हूं, इसकी जांच करवाईए। आपने स्वीकार किया है कि जांच करेंगे। मैं इसको आपकी कृपा समझूंगा कि आपने मुझे स्वीकार किया। आप इसकी जांच करा लें और जांच के बाद रिपोर्ट बात दें बस खत्म।

अध्यक्ष महोदय :- जांच करा लेंगे। दिखवा लेंगे। चलिए। अगला प्रश्न करिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने जो पहला प्रश्न पूछा था कि इसमें जहां से ट्रक निकला, वह वहीं बदल दिया गया और उसकी जगह जो गुणवत्तापूर्ण चना थी, उसके बदले दूसरे चना को भेज दिया गया। केवल इसकी जांच भर नहीं, इस पूरे प्रकरण की जांच कराएं और विधायक दल से जांच कराएं, मेरा एक प्रश्न यह है। अभी चना वितरण चल रहा है, गुड़ भी बांट रहे हैं, जो माडा क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, आप वहां बांट रहे हैं लेकिन नये राशनकार्ड में इसका उल्लेख नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चना बदला या नहीं बदला, उसको भी जांच में शामिल कर लें। चलिए ठीक है।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, अभी जो जानकारी है कि डौंडी हो, चाहे मोहला मानपुर हो, चाहे बस्तर हो, चना वितरण हो ही नहीं रहा है। कृपा करके इसकी भी जांच कराएं। दूसरा आपने जो अभी नया राशन कार्ड वितरण किया है, उसमें इसका उल्लेख ही नहीं है। जिसमें आपका फोटो लगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा है, इसमें जो प्राथमिकता वाला कार्ड है, उसमें चना मिलेगा, यह लिखा नहीं है, नमक मिलेगा, यह लिखा नहीं है, क्या उस राशनकार्ड में सुधार करते हुए उसका उल्लेख करेंगे ? जो पांच किलो प्रति व्यक्ति लिखे हैं, उसको बदलकर आप 35 किलो लिखेंगे। क्योंकि अभी तो 35 किलो मिल रहा है लेकिन आप कार्ड बंटवा रहे हैं, उसमें पांच किलो लिखा है। इसमें कौन सा वाला सही है ? आप जो बांट रहे हैं वह सही है या जो कार्ड में लिखा है, वह सही है ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए बता दीजिए।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं। ये क्या किये हैं, सब कुछ जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता।

श्री भूपेश बघेल :- बोलिए ना।

श्री दयालदास बघेल :- आपने क्या किया है, उसको भी सब जानते हैं। लेकिन कार्ड में जो पांच किलो लिखा गया है, वह केन्द्रीय है, हम राज्य से भी पांच किलो देते हैं। आपने तो राज्य वाला चावल दिया ही नहीं, खाली केन्द्र के चावल को बांट दिया।

अध्यक्ष महोदय :- रोहित साहू जी।

(3) तीर्थ नगरी राजिम में बस स्टैण्ड निर्माण कार्य लंबित होना।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

"राजिम माधी पुत्री मेला 2023 में राजीव गांधी युवा मितान क्लब सम्मेलन कार्यक्रम दिनांक 13.02.2023 में तत्कालीन माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी द्वारा बस स्टैंड निर्माण कार्य हेतु 200.00 लाख की घोषणा की गई थी, जो कि आज तक लंबित है, वर्षों से यहाँ बस स्टॉप की मांग नियमित रूप से की जा रही है। सर्वविदित है कि राजिम एक धार्मिक महत्व का केन्द्र है, यहाँ पूरे देश से पर्यटन हेतु लोग आते-जाते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण स्थान जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग माना जाता है, जहाँ पर बस स्टैंड जैसे बेसिक सुविधा न होना अत्यंत खेद का विषय है। इस कार्य से संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रारंभिक प्रक्रिया जैसे कि स्थल चयन भी पूर्ण नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों, ट्रांसपोर्टर में तथा यात्रीगणों में रोष व्याप्त है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तीर्थ नगरी राजिम में बस स्टैंड निर्माण के संबंध में है। मैं माननीय सदन का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि राजिम माघी पुन्नी मेला 2023 में राजीव गांधी युवा मितान क्लब सम्मलेन कार्यक्रम हुआ था। जहां 13.02.2023 को पूर्व माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा बस स्टैंड कार्य हेतु 200.00 लाख की घोषणा की गई थी जो आज तक लंबित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, पूरे प्रदेश में राजिम छत्तीसगढ़ राज्य के प्रयाग के रूप में जाना जाता है, जो गरियाबंद जिले में स्थित है। एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। जो पवित्र स्थान ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व अनंत है। राजीव लोचन मंदिर का एक सत्यपथ और शिल्पकला में अपने आप में अनूठी है। राजिम मंदिर का नींव 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच गुप्तकाल में रखी गयी थी। इस प्रतिमा की विशेषता यह है कि इसमें भगवान की आंखें कमल के समान सुंदर है जिसके कारण उसे कमल नयन राजीव लोचन भगवान कहा जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजिम संगम 3 नदी का संगम है। जिस क्षेत्र में पैरी नदी, सोंढूर नदी और महानदी तीनों नदी के संगम के बीचोबीच कुलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हुआ है। जो स्वयंभू है। जहां पर माघी पूर्णिमा में कल्पकुंभ मेले का आयोजन होता है। इस माघी पूर्णिमा में देश विदेश से बड़े-बड़े संत महात्मा श्रद्धालुगण आते हैं। जहां बस स्टैंड नहीं होने के कारण कई पुरानी लंबित मांगे हैं, कई वर्षों से चली आ रही है।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण सिर्फ पढ़ा जाता है ।

श्री रोहित साहू :- जी ।

अध्यक्ष महोदय :- उसका डिटेल्स बाद में आयेगा, जब प्रश्न करेंगे । पहली बार में पूरा ध्यानाकर्षण उठाकर पूरा एक बार में पढ़ लीजिए । मंत्री जी का जवाब आ जायेगा, उसके बाद जितने भी

प्रश्न आपको करना है, फिर प्रश्न करिये । आपने पढ़ लिया, मंत्री जी का जवाब आ जाये, उसके बाद आप फिर प्रश्न करेंगे । डिटेल्स बाद में देंगे ।

श्री रोहित साहू :- जी ।

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि राजिम माघी पुन्नी मेला 2023 में 13-02-2023 को तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा बस स्टैण्ड निर्माण हेतु 2 करोड़ रूपये की घोषणा की गई थी । सर्वसुविधा बस स्टैण्ड के लिये नगर पंचायत राजिम द्वारा पी.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.11.2020 प्रस्ताव/ संकल्प क्रमांक 12 द्वारा वार्ड क्रमांक 06 गरियाबंद रोड स्थित खसरा नम्बर 799/6 एवं लगे हुये अन्य शासकीय भूमि का स्थल चयन किया गया था । पी.आई.सी. की बैठक दिनांक 23.09.2021 प्रस्ताव क्रमांक 37 में खसरा नम्बर 799/28, 799/29, 799/30, 799/32, 799/33 रकबा क्रमश: 0.405 हे., 0.202 हे., 0.809 हे., 0.162 हे.,0.405 हे. में बस स्टैण्ड निर्माण हेतु प्रस्ताव किया गया है । स्थल के चयन उपरांत मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, राजिम के पत्र क्रमांक 592 दिनांक 13.07.2023 द्वारा बस स्टैण्ड निर्माण की स्वीकृति हेतु विधिवत पूर्ण प्रस्ताव (तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन, चेक लिस्ट, पी.आई.सी. का संकल्प इत्यादि) प्रेषित किया गया था ।

समय
12.46 बजे **(सभापति महोदय(श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुये)**

उपरोक्त प्रस्ताव के परीक्षण पर यह पाया गया कि पटवारी प्रतिवेदन में उपरोक्त भूमि पर अतिक्रमण दर्ज है । निकाय को उक्त संबंध में संचालनालय के पत्र क्रमांक 6722 दिनांक 20.09.2023 के माध्यम से जानकारी हेतु लिखा गया । निकाय द्वारा पत्र दिनांक 19.07.2024 के माध्यम से भूमि अतिक्रमित होना उल्लेखित किया गया है । इसके अतिरिक्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा दिनांक 03.08.2023 को प्रेषित पत्र के माध्यम से कलेक्टर, जिला गरियाबंद को उक्त भूमि आबंटित करने का आग्रह किया गया है । वर्तमान में भूमि निकाय को आबंटित नहीं की गई है एवं उक्त भूमि पर अतिक्रमण विद्यमान है । नगर पंचायत, राजिम के वार्ड क्रं. 09 पं. सुंदरलाल शर्मा चौक के पास रिक्त स्थल पर बस स्टैण्ड का संचालन किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों, ट्रांसपोर्टर एवं यात्रीगणों में कोई रोष व्याप्त नहीं है ।

सभापति महोदय :- माननीय साहू जी ।

श्री रोहित साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, आप तो भलि-भांति परिचित हैं, छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम के कल्प कुंभ में लाखों की संख्या में लोग आते हैं और राजिमवासियों का, नगरवासियों का, क्षेत्रवासियों का, माननीय मंत्री महोदय

से मेरा विशेष आग्रह है कि यह जो अतिक्रमित भूमि है, इसे कुछ बड़े व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसके चलते कई वर्षों से यह लंबित मांग पूरी नहीं हो पा रही है ।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछ लीजिए कि आप चाहते क्या हैं ?

श्री रोहित साहू :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां भी सुविधा के अनुरूप बस स्टैण्ड बनना चाहिये, मैं चाहूंगा कि जो अतिक्रमण है, उसे हटाने की घोषणा सदन के माध्यम से की जाये या निर्देश दिये जायें कि राजिम में सर्वसुविधायुक्त बस स्टैण्ड का निर्माण हो ।

सभापति महोदय :- हो गया, बैठिये । मंत्री जी ।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि राजिम हमारा बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थल है और माननीय सदस्य ने आग्रह किया है तो निश्चित रूप से बस स्टैण्ड की आवश्यकता, जमीन की उपलब्धता आदि का परीक्षण कराएंगे और परीक्षण कराकर उचित निर्णय करेंगे ।

श्री रोहित साहू :- सभापति महोदय, सदन के माध्यम से एक अच्छा संदेश जाना चाहिए । वहां बस स्टैण्ड की कई वर्षों पुरानी मांग है और हर बार यह मांग अधूरी ही रह गई है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो लोगों को विश्वास है कि राजिम का अच्छा विकास हो, अच्छी पहचान हो । सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सदन के माध्यम से घोषणा हो जाये कि वहां सर्वसुविधायुक्त बस स्टैण्ड का निर्माण हो ।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि एक बस स्टैण्ड वार्ड नम्बर 9 में संचालित है । और बस स्टैण्ड की आवश्यकता है क्या ? हम जमीन की उपलब्धता आदि का परीक्षण कराएंगे । राजिम निश्चित रूप से हमारी आस्था और श्रद्धा का केन्द्र है । वहां के विकास के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रतिबद्ध है ।

श्री रोहित साहू :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी (लोक निर्माण) ने अपने लिखित वक्तव्य में स्वीकार किया है कि सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, नगर पालिका की प्रक्रिया पूरी हो गई है, केवल पटवारी का एक प्रतिवेदन है, जिसमें अतिक्रमण बताया गया है । बुल्डोजर भेजना भैया, बुल्डोजर काबर नहीं भेजथस ? उसको खाली कराईए । रोहित साहू जी पहली बार विधायक चुनकर आये हैं, वे बस स्टैण्ड बनाने की मांग कर रहे हैं और वहां सब लोग जाते हैं । वहां बढ़िया बस स्टैण्ड बन जाएगा तो क्या तकलीफ है ? सारी स्वीकृतियां हो गई हैं, केवल पटवारी का प्रतिवेदन है कि वहां अतिक्रमण है । वहां अतिक्रमण भी है या नहीं है ? आप घोषणा कर दीजिए कि अतिक्रमण हटाकर बस स्टैण्ड बनाएंगे । आप आश्वस्त करिए । नये सदस्यों का ध्यानाकर्षण बहुत मुश्किल से आता है । अब सदन में ध्यानाकर्षण आ ही गया है तो साहू जी की मांग साव जी रखें, इतना तो करें । राजिम का मामला है, हम सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं । आप घोषणा कर दीजिए ।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, मैं राजिम गया था और वहां के विकास कार्यों के लिए हमने राशि प्रदान भी की है । बस स्टैण्ड के लिए निश्चित रूप से परीक्षण कराएंगे और राजिम की गरिमा के अनुरूप निश्चित रूप से उस पर विचार करके काम करेंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, मैं रोहित साहू ला पलौंदी देंव, ओकर का मतलब होईस । सबकी भावना है, वहां पूरे प्रदेश के लोग आते हैं । वहां बढ़िया बस स्टैण्ड बनें और उसके लिए आप क्यों कोताही बरत रहे हैं ? आपको एक बस स्टैण्ड की ही तो घोषणा करना है । हां करेंगे, बस आपको इतना कहना है ।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, बहुत अच्छी जगह चयन करके बहुत अच्छी सुविधायुक्त 2 करोड़ रूपए का बस स्टैण्ड राजिम में बनाएंगे । (मेजों की थपथपाहट)

श्री रोहित साहू :- सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, मेरा प्वाइंट आफ इंफारमेशन है ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- सभापति जी, संगीता जी का प्वाइंट आफ इंफारमेशन आ रहा है । या तो उनकी बात सुन लीजिए या मेरी बात सुन लीजिए।

सभापति महोदय :- सर, आप बोल लीजिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, आज हमारा धरना प्रदर्शन है और जब मैं सुबह 9 बजे घर से निकली तो पुरूर में कम से कम 10-15 गाड़ी रूकी हुई थीं । जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों रूके हुए हो तो कहा कि उसको पुलिस प्रशासन ने रोककर रखा था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय,

सभापति महोदय :- उनको बोलने दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट ।

सभापति महोदय :- आप रूक जाईए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, मुझे बोलने दिया जाये, फिर वे अपनी बात रखें ।

सभापति महोदय :- आप बोल लेना ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पहले मेरी बात सुनी जाये ।

सभापति महोदय :- आप उनको बोलने दीजिए न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, यह भाषण क्यों ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, मैं भाषण नहीं दे रही हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आप भाषण दिलवाईए, लेकिन कौन सी प्रक्रिया में यह भाषण हो रहा है ? क्या नेता प्रतिपक्ष जी के आग्रह पर हो रहा है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, मैंने प्वाइंट आफ इंफारमेशन मांगी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष के कहने से नियम प्रक्रिया ढीली हो जाएगी । आप मुझे यह बताईए कि किस नियम के तहत इनका भाषण हो रहा है ?

सभापति महोदय :- नेता जी ने कहा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं प्वाइंट आफ आर्डर के तहत बोल रही हूं ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए तो, आपने बोल दिया । आपकी बात आ गई।

श्री अजय चन्द्राकर :- संगीता जी किस नियम के तहत, किस प्रक्रिया के तहत, कौन से मोशन पर बोल रही हैं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, मैं प्वाइंट आफ इंफारमेशन के तहत बोल रही हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष के आग्रह पर कभी भी, किसी भी समय बोला जा सकता है ? वह स्वतंत्रता नेता जी को प्राप्त है, वह सबको प्राप्त नहीं है । हम किसी नियम, परम्परा से बंधे हैं । किसी भी समय किसी का भाषण नहीं हो सकता ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए, दो मिनट सुन लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी बोलें, उनको सुन लेंगे ।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति जी, मैंने सुना है कि कल हमारे कांग्रेस के सदस्यों ने चन्द्राकर जी की बात सुनने से इन्कार कर दिया। अब उसका बदला हर जगह लेंगे, रोज लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। सभापति जी, जब विधानसभा चलते रहता है तो ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, इस भाषा-शैली पर आपत्ति है। मैं कोई बदला नहीं ले रहा हूं। मैंने नियम प्रक्रिया की बात की है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आसंदी पर रहे हैं, वे अध्यक्ष रहे हैं। वे नियम प्रक्रियाओं को मुझे से ज्यादा अच्छे से जानते हैं। नेता प्रतिपक्ष को किसी भी समय बोलने की स्वतन्त्रता है, लेकिन उनके आग्रह पर किसी भी सदस्य, किसी भी जगह बोल दे, ऐसा कभी सदन में नहीं रहा है।

सभापति महोदय :- चलिये ठीक है, आपकी बात सुन लिये। अब नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिये।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति जी, मैं कह रहा हूं कि हम लोग यहां बैठे हैं, हमें बाहर से कोई आकर सूचना देता है कि वहां मर्डर हो गया है, वहां गोली चल गई है, वहां हमें रोका जा रहा है, वहां हमारे साथ मारपीट किया जा रहा है, तो क्या हम उसें यहां नहीं बता सकते ? point of information के माध्यम से हम सदस्यों को किसी भी समय कहने का अधिकार है। उसी अधिकार के तहत, चूंकि वह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खड़ी हुई थीं, आपकी तरफ आवाज नहीं गया, मैं भी खड़ा था, मैंने कहा कि या तो उन्हें सुन लीजिये या मुझे सुन लीजिये। तो आप मुझे सुन लिये कि हमारी गाड़ियों को, जिससे वे धरना के लिए आ रहे हैं, पूरा चारो तरफ से रोका जा रहा है। वहां गाड़ी नहीं आने दिया जा रहा है। यहां तक कि विधानसभा में आने वाले मंत्रियों के साथियों को देखा है। स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे थे, उनके पीछे उनका पी.ए. होगा या जो भी होगा, उनके बैग को खोल-खोलकर चेक किया जा रहा था। तो इस तरह से जो व्यवस्था हो रहा है। यह तो अति हो गया महाराज। आप इसको जरा देख लीजिये।

सभापति महोदय :- यहां सरकार के मंत्री बैठे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, सूचना एक लाईन की होती है, उसमें भाषण नहीं होता है। दूसरी बात, आपका जो धरना-प्रदर्शन है, वह विधान सभा में नहीं है, विधान सभा के बाहर है। जहां तक पुलिस की बात है कि वह बैग खोलकर देख रही है तो उनको निश्चित रूप से देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए कि जिस प्रकार से घटना हुई है, आपने कहा कि बेबस है, लाचार है।

सभापति महोदय :- कौशिक जी, आप बैठिये न।

श्री धरम लाल कौशिक :- निश्चित रूप से बैग को देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। इसलिए भी चेक करना चाहिए..।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं देखेंगे तो चना के साथ दारू आ जायेगा।

सभापति महोदय :- कौशिक जी, आप भी विधान सभा अध्यक्ष रहे हुए हैं, आप भी विधान सभा अध्यक्ष रहे हुए हैं। वह बोल दिए, सरकार के उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, सुन लिये, मैं अब आगे की कार्यवाही बढ़ा रहा हूं।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति महोदय, चलिये मैं आगे एक बात और बढ़ा देता हूं। अगर आप लोगों को इतनी शंका है कि विधान सभा में आने वाला व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार या विधायक, कुछ लेकर आते हैं तो आप यहां जांच करने वाला यंत्र लगा दीजिये जिसमें आपको पूरा अंग दिख जाता है।

श्री अजय चन्द्राकर :-सभापति महोदय, चना के साथ दारू भी आयेगा। विधानसभा के अंदर चना के साथ दारू भी आ जायेगा।

सभापति महोदय :- माननीय सभापति महोदय, इसमें अंतर होता है। यह विधान सभा आने का मामला नहीं है। आज इनके धरना-प्रदर्शन का मामला है। इनके धरना-प्रदर्शन में बलौदा बाजार का कलेक्ट्रेट गया है। पुलिस वाले इसी धोखे में रहे हैं। इसलिए धरना-प्रदर्शन पर बिलकुल भी ...। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिये न। आप बैठिये न। बाकी लोग बैठिये न। (व्यवधान) आप बैठिये न, आप बैठिये न।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कुंवर सिंह निषाद :- point of information इधर भी लागू होना चाहिए।

सभापति महोदय :- आप बैठिये तो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, point of information के तहत अपनी बात रख रहे हैं। आप लंबी-चौड़ी बातें रखे हैं। जो घटना हो चुकी है, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, आप लोग उसी बात को फिर ला रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- देश की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। आज लोगों को रोककर परेशान किया जा रहा है। उस गाड़ी में ना झंडा है, ना बैनर है, ना पोस्टर है तो आम आदमी को क्यों परेशान किया जा रहा है ?

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप बैठिये न। आप क्यों जिद में अड़ी हैं। आप बैठिये न, आपको बैठने के लिए बोल रहा हूं।

समय :
1.00 बजे

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, यह अपने आंदोलन की असफलता छिपाने के लिए विधान सभा का सहारा ले रहे हैं। कहीं गाड़ी-घोड़ा कुछ नहीं हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, आंदोलन में कोई नहीं आ रहा है, इन्होंने 25,000 का लक्ष्य निर्धारित कर दिया। लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं अभी आपको प्रुफ कर दूंगी। मैं मंगवाकर आपको दिखा देती हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप बैठिये। नेता प्रतिपक्ष जी के पास जो भी जानकारी थी, उसको उन्होंने प्वाइंट ऑफ इनफॉरमेशन के माध्यम से यहां पर सदन में व्यक्त कर दिया। मैंने यह कह दिया कि सरकार उसको संज्ञान में ले रही है। धरमलाल कौशिक जी ने कहा कि बैंक खोलना चाहिए। ठीक है, उनकी भावना है तो उन्होंने उसे व्यक्त कर दिया। अब यह बात यहां पर समाप्त करिये।

समय :
1.01 बजे **नियम-267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं**

सभापति महोदय :- मैं नियम-267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं ले रहा हूं। निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।

1. श्री अजय चंद्राकर
2. श्री बघेल लखेश्वर
3. श्री रोहित साहू

समय :
1.01 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मीलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी।

1. श्री धरमलाल कौशिक
2. श्री कुंवर सिंह निषाद

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, उसमें मेरी भी शून्यकाल की सूचना है।

सभापति महोदय :- फिलहाल इसमें नहीं है। उसको सचिव महोदय देख लेंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- नहीं, उसमें है। मेरे पास उसकी पावती भी है।

सभापति महोदय :- वह अध्यक्ष जी की व्यवस्था है। इसमें आपका नाम नहीं है। इसमें जो नाम हैं, मैं वही पढ़ूंगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, आप मेरा नाम जोड़वा दीजिएगा।

समय :
1.02 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024)

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

सभापति महोदय :- श्री राम विचार नेताम।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024) का पुर:स्थापन करता हूं।

सभापित महोदय :- सभा की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(1.03 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय:
3.00 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

स्थगन प्रस्ताव (ग्राहयता पर चर्चा)

प्रदेश में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- माननीय सभापति महोदय, ये लोग स्थगन प्रस्ताव दिए हैं और पूरा पलायन कर गए हैं। कहॉं है रैली, काहे की रैली? एक भी आदमी के चेहरे पर कुछ नहीं दिख रहा है, कपड़ा गीला तक नहीं दिख रहा है, कहीं कोई दाग तक नहीं लगा, खाली दिखावे का नाटक करने के लिए रैली है। एक आदमी के चेहरे पर कुछ लगा नहीं है।

सभापति महोदय :- बैठिए, अभी चर्चा शुरु नहीं हुई है। प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर अब चर्चा प्रारंभ होगी। चर्चा हेतु दो घंटे निर्धारित है। सभी आदरणीय सदस्य कृपया समय सीमा का ध्यान रखेंगे।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- सभापति महोदय,...।

श्री राजेश मूणत :- सबसे पहले कसम खा लो कि मैं जो भी कहूंगा, सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। सबसे पहले कसम खाकर इतना ही बोलना है।

श्री कवासी लखमा :- एक बार आप बोले थे कि मैं सच कहूँगा और यदि नहीं कहूँगा तो मूँछ मुड़वाऊंगा। बोले थे या नहीं बोले थे?

श्री अनुज शर्मा :- और पूरे होशो-हवाश में कहूॅगा। मूँछ है ही नहीं तो कहॉं से मुड़वायेंगे।

कृषि मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- दादी, ठीक है ना?

श्री कवासी लखमा :- थोड़ा ठीक नहीं है। थोड़ा पहुंचाओ न ऐसा वाला। (हंसी)

श्री राजेश मूणत :- आज मौसम (वर्षा हो रही है) भी थोड़ा ठीक है। राम विचार भैय्या, आपकी चिन्ता कर रहे हैं कि मौसम अच्छा है।

श्री कवासी लखमा :- ये मोदी जी को कल से क्या हो गया है, वह टीचर-टीचर करके राहुल गांधी तक पहुंच गये थे, क्या हो गया?

सभापति महोदय :- आप जो इशारा कर रहे हैं ना, वह मूणत जी की तरफ तो मत ही दिखाओ क्योंकि उसके बारे में वह कुछ जानते नहीं।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, जब से विधान सभा सत्र की शुरुआत हुई है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए, स्थगन प्रस्ताव लाए। पिछली बार छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और पिछले पांच सालों तक कॉग्रेस की सरकार रही। ये 07 महीने की सरकार, विष्णु देव साय की सरकार है। जब विष्णु देव साय साहब को भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की बागडोर दी, इसी मंच पर आप भी थे, सब लोग थे, हम लोग बहुत स्वागत किए कि अच्छे आदमी हैं, आदिवासी हैं और वह छत्तीसगढ़ को अच्छा चलायेंगे लेकिन सात महीने में ही विष्णु देव साय फेल हो गए। कानून-व्यवस्था के लिए हम लोग छोटे से छ!त्तीसगढ़ में चिल्ला-चिल्लाकर बोल रहे हैं। हम लोग बिहार को सुनते थे, उत्तर प्रदेश में गुंडे-बदमाश लोगों का नाम आता था लेकिन अब पूरे हिन्दुस्तान में छत्तीसगढ़ ऊपर हो गया है और बिहार दब गया है, उत्तर प्रदेश दब गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर दिनदहाड़े बंदूक दिखाते और चलाते हैं। बंदूक चलाकर इस सरकार को ठेंगा दिखाकर भाग जाते हैं। यह कैसी सरकार है? 11.00 बजे रायपुर राजधानी सुरक्षित नहीं है फिर बस्तर का आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? यहां पर डी.जी.पी., पूरा पुलिस फोर्स, मुख्य मंत्री, मंत्री हैं और यह राजधानी सुरक्षित नहीं है। इसे बस्तर के लोग भी देखते हैं। एक बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो बस्तर के ताड़मेटला में 300 घर जल गए थे। अब भी इनकी सरकार है, हमने पोलमपल्ली में देखा है कि पुलिस हम सब लोगों को भगाकर लाई और दोरनापाल में लाकर रेस्टहाऊस में चार घंटे बंद करके रखा। यह है सरकार! भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब-जब आती है, आदिवासी लोगों, किसान लोगों को चुन-चुनकर जेल भेजती है, चुन-चुनकर घर जलाती है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, दादी शुभारंभ कर रहे हैं और इस सदन में बोल रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नेता प्रतिपक्ष जी आपको अस्पताल में देखने आये थे, तो वे आपको ऐसा क्यों किये थे ? (हाथ से इशारा करते हुए) वह भी सही-सही बता दीजिये ? जो नैतिकता की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप लोगों ने आशीर्वाद के दृश्य को डिलीट किया। वह उनको आशीर्वाद दे रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे कि जल्दी ठीक हो जाईये।

श्री राजेश मूणत :- यदि नैतिकता की बात कर रहे हैं तो झीरम घाटी दोषी कौन थे ? जो झीरम घाटी की रिपोर्ट जेब के अंदर लेकर घूम रहे थे कि दस्तावेज मेरे पास थे, वह पांच साल के अंदर कुछ नहीं कर पाये। यह भारतीय जनता पार्टी उसका रिजल्ट देगी और यह मंत्री देंगे। (मेजों की थपथपाहट) उसके बारे में भी कुछ बता देना। वह सबूत कहां है ? आप पांच साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। आप पांच साल तक सरकार में रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता पूछती है कि जो हमारे नेता थे, जो शहीद हुए, उनकी रिपोर्ट कहां है ? उस पर भी कुछ प्रकाश डालियेगा।

सभापति महोदय :- मूणत जी, बैठिये। लखमा जी पहले वक्ता हैं। कृपा करके उनको बोलने दीजिये। अभी तो वे स्पीड भी पकड़े नहीं है।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति महोदय, मूणत जी ने कुछ ऐसी बात कही है, जो मुझसे संबंधित है। यह अस्पताल में भर्ती थे और मैं इनको देखने गया था। मैंने इन्हें अपना बच्चा, अपना साथी मानकर उनको बोला कि बेटा जब आपको यह मालूम है कि कहां-कहां पर नक्सली घटना हो सकती है, आप उसी क्षेत्र के हैं, कहां-कहां पर खतरा है, क्या आपको मालूम नहीं है ? जैसे एक बच्चे को डांटते हैं, उस तरह से मैंने उनको हाथ दिखाया था। मैंने उन्हें मारा नहीं था, मैंने उन्हें दोषी करार नहीं दिया था।

सभापति महोदय :- मूणत जी, आपने जो कुछ कहा, उस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने अपनी बात कह दी। वह बात क्लियर हो गयी। अब आप बढ़िया बोलिये। कृपा करके आप उनको जरा सुन भी लीजिए, उनको बोलने दीजिए।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, हम लोग क्या कर सकते हैं। आप तो मोदी जी के पास जाकर बोल नहीं सकते। अगर वे आपको मंत्री नहीं बनाये तो इतना चिल्ला-चिल्लाकर बोलने की क्या जरूरत है ? आप धीरे बोलिये, आराम से रहिये तब मंत्री बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। मोदी जी नहीं बनाने वाले हैं। न आपको बनायेंगे न बृजमोहन जी को बनायेंगे। इसीलिए विष्णु देव साय जी के पीछे-पीछे चलिए, तब कुछ फायदे में रहेंगे।

सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश में हम लोग सरकार को इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें यह भरोसा रहता है कि हम सुरक्षित रहेंगे। हमारा लोकतंत्र में विश्वास है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास फोर्स है। आज कोई घर में सोने वाला हो या ग्राम में जाने वाला हो। राजधानी में महिलाओं ने रात को पैदल घूमना छोड़ दिया। हमारे गांव में तो नहीं चलते हैं, वहां 4 बजे नागर जोतते हैं। उनको पैदल चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़े शहरों में, रायपुर में, दुर्ग में, बड़े घरों की महिलाएं पैदल चलती हैं। वह भी बंद हो गया है। यदि वह पैदल चलने निकलेंगी तो चाकूबाज आयेंगे और महिला के गले से आभूषण खींचकर ले जायेंगे। हमारे नारायणपुर का बच्चा रायपुर में घूम रहा था, उसने मतवार लोगों से इतना ही पूछ लिया कि आप कहां के हैं ? वे लोग उसको उठाकर ले गये और उसको मार दिये। रायपुर का यह

हाल है। हमारा ध्यानाकर्षण कराने का विषय यही है कि इसमें सरकार की तरफ से, दोनों तरफ से बातें हों। इस विषय में राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। यदि हम जिंदा रहेंगे तो सब कुछ है और यदि हम जिंदा नहीं रहेंगे तो यह किस मतलब का है, चाहे हम नेता बने या कितनी ही खेती करें। आज लगातार 700 ग्राम खाली हो गये थे। मैं यह बात यहां शुरू से बोलता हूं। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जब यहां पिछले 15 सालों में सलवा जुडूम अभियान चला, तब उसमें 700 ग्राम खाली हुए। तेलंगाना के खम्मम जिला में 50 हजार आदमी गये। वरंगल में 01 लाख आदमी गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह 50 हजार लोग सलवा जुडुम में चले गये थे, तो आपने 05 साल की सत्ता में कितने लोगों को वापस लाया ? यह उस क्षेत्र के मंत्री भी रहे हैं और जब यह उस क्षेत्र का आंकड़ा बता रहे हैं, तो इन्हें यह भी बताना चाहिए कि हम लोगों ने इतने लोगों को लाया।

श्री कवासी लखमा :- सभापति जी, हमने तो इनके भाषण में बहिगर्मन किया। इनसे हमें लेना-देना नहीं है जब तक हमारी पार्टी सत्ता पार्टी से बात नहीं करेगी तब तक आप चुप रहिए। हमारी पार्टी ने आपसे बात करना छोड़ दिया है तो आप क्यों जबरदस्ती बात करते हैं। इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है। कलेक्टर, तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर को वापस करने, लाने के लिए भेजा है, लेकिन वह आदिवासी लोग यह बोलते हैं कि वहां पर रात को हमें नक्सलाईट मारेंगे और यहां पर दिन को पुलिस मारेगी, हमारे घर जलाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे। वहां पर वे लोग बहुत परेशान हैं। वे जंगल में खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इसके बाद मैं फिर वहां खम्मम जाने वाला हूँ। मेरी वहां की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री रेड्डी जी बात हुई है उनको भेजकर, दिल्ली से उनका जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। यहां हमारे बस्तर के आदिवासी गोंड, बदरा, मुरया, धुरवा लिखते हैं तो उनको आदिवासी का प्रमाण पत्र मिलता है। उधर तेलंगाना में दोरला, पोया लोगों को प्रमाण पत्र मिलता है। यह परेशान हैं, लेकिन वे परेशान नहीं है। यहां उन लोग आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। पिछले 5 साल हमारी पार्टी की सरकार थी, हमारी सरकार के समय में भी दो घटनाएं हुई हैं । एक नारायणपुर की घटना थी और एक चिलगेर में घटना हुई थी। चिलगेर की फायरिंग में दो आदिवासी लोग मरें। वहां पर हमारी पार्टी का विधायक दल गया। हम लोगों ने बहुत कोशिश की । इन लोगों ने 1700 लोगों को जेल भेजा था, हमने 5 सालों में 1700 लोगों को छोड़ा था। अभी 7 महीने में माननीय गृह मंत्री जी का जवाब आया है। इनके कार्यकाल के 7 महीने में 700 लोग जेल में है। हमें वहां के लोग बोलते हैं कि पहले टी.व्ही., समाचार पत्रों में यह समाचार आना चाहिए कि यह नक्सलाईट का आदमी है, यह सप्लाई करने वाला है, फलाना व्यक्ति है, फलाने गांव का है। इधर मंत्री का फोन, अधिकारी को खुश करने के लिए चला जाता है। यदि वहां पर कहीं भी जाना है तो आदिवासी लोगों को गाय, बैल जैसे जमा करके लाना है। हमारे सुकमा क्षेत्र में छोटा सा जेल है। वहां कैदियों को बाथरूम तक ठूंस कर रखा

गया है। दंतेवाड़ा जेल और बीजापुर जेल का वही हाल है। यह सरकार आदिवासी लोगों को जेल भेजने के अलावा कुछ नहीं करती है। यह केवल बड़ी-बड़ी बातें करती है। माननीय गृहमंत्री जी नवजवान है हमने उनको बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हम नक्सलियों से बात करने को तैयार हैं, वे फोन से बात करेंगे, वॉट्सअप में बात करेंगे । हम भी यह चाहते हैं कि हमारा बस्तर क्षेत्र शांत हो। अगर किसी को नुकसान हुआ तो बस्तर में हो रहा है। न वहां कोई समाचार पत्र में खबर छपती है, वहां बड़े लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है। वहां पर केवल गांव में रहने वाले आदिवासी लोग ही मरेंगे। उन्हीं लोग मीटिंग में जाएंगे, उन्हीं लोग परेशान हैं। यहां पर कौन आदमी नहीं चाहता है कि हमारा बस्तर शांत हो। जब तात्कालीन रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय इसी सदन में रातभर इस समस्या को लेकर क्लोज डोर मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग का टी.व्ही. चैनलों में प्रसारण भी नहीं हुआ और उसमें अधिकारियों के अलावा कोई और नहीं था। इस समस्या के समाधान के लिए क्या सुझाव देना चाहिए, इस नक्सलाईट समस्या को कैसे खत्म करना चाहिए। उस समय तात्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस दिशा में प्रयास किया था, मैं उनको बधाई देता हूँ। अभी भी जब एक आदमी मरता है तो चुने हुए विधायक या चुने हुए जनप्रतिनिधि लोगों को इस लड़ाई को कैसी लड़नी चाहिए। हम लोगों ने लगातार इस बात को कहा कि अगर वहां पर नक्सलाईट समस्या खत्म करनी है तो वहां सड़कें होनी चाहिए। पिछले 5 सालों के कार्यकाल में वहां पर हमारी सरकार ने सड़कें बनवाईं। लोग दूर-दूर चले गये। हमारी पुलिस जाती है तो वह बस के माध्यम से पहुंच जाती है क्योंकि अभी गांवों तक सड़कें बनी हैं। बस्तर क्षेत्र में पानी का शुरू पानी उपलब्ध हो, वहां बिजली उपलब्ध हो, वहां पर स्कूल खोलें। पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 3000 स्कूलों को बंद किया गया था। क्या वहां पर स्कूलों को बंद करने से नक्सलाईट समस्या खत्म होगी? अभी सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए नियद नेल्लानार योजना लागू की है। मेरे से ज्यादा गोंडी जानने वाला एक भी आदमी नहीं है। यह नियद नेल्लानार क्या है, मेरे को पता ही नहीं है। रोज टेलीविजन में इस नियद नेल्लानार योजना के बारे में आ रहा है। राजनीति से ऊपर उठकर, वहां के पत्रकार, व्यापारी और राजनीतिक दल के लोगों को शामिल करके, किस सड़क को कहां तक बनाना चाहिए, किस स्कूल को कैसा रहना चाहिए। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी बधाई देता हूं, वह पहले आदमी हैं, वह पोटेंगपाल आये थे। हमारी कांग्रेस की भूपेश बघेल जी सरकार में छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, वह आदमी तेलंगाना के बार्डर गांव में होर्डिंग्स लगी हुई फोटो में पढ़ गये थे। उस समय वह हमारी सरकार के कार्य को देखकर खुश होकर आये थे। वहां एक स्कूल में एक गुरूजी भी था, बच्चे भी थे, सोसायटी का चावल भी था। तेलंगाना के उस ग्राम में चावल कहां से जाता है? कोण्टा से आन्ध्रा 70 किलोमीटर दूर, आन्ध्रा से तेलंगाना 80 किलोमीटर दूर जाता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह कानून व्यवस्था पर स्थगन है। यह तेलंगाना, कोण्टा, सुकमा की बात कर रहे हैं। तेलंगाना की भौगोलिक स्थिति बताने के लिए थोड़ी यह स्थगन है कि हम तेलंगाना की भौगोलिक स्थिति सुनेंगे।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, मैं कानून व्यवस्था पर भी बात कर रहा हूं। वह 80 किलोमीटर आकर गृह मंत्री जी खुश हो गये हैं। वहां इतनी शांति थी। यह 07 महीने में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति हो गई है? यह क्यों आदिवासी लोगों को रोज जेल भेज रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। वह तेंदूपत्ता तोड़ने वाला आदमी है। तेंदूपत्ता तोड़ने वाला आदमी सुरक्षित नहीं है तो वह आदमी कैसे जीयेगा ? इसलिए हम लोग स्थगन प्रस्ताव लाये हैं, उसको ग्राह्य किया जाये। अभी हमारे पटेल साहब कह रहे थे कि रायगढ़ का आदमी उड़ीसा में जाकर गोली चला रहा है। कोई पत्रकार सुरक्षित नहीं है। छोटा सा कवर्धा जिला है, वहां पर क्या हो गया है? वहां हर महीने में कभी डकैती, कभी मर्डर हो रहे हैं।

सभापति महोदय :- लखमा जी, देखिये स्थगन के विषय की ग्राह्यता पर बात रखी जाती है। जब उसे चर्चा हेतु ग्राह्य किया जाये तभी विस्तृत चर्चा की जा सकती है। कृपया अपनी बात को ग्राह्यता हेतु तथ्य तक ही सीमित रखने का कष्ट करें। कृपया आप इसमें सहयोग इसलिए करें क्योंकि अभी यह सूची बहुत लंबी है और समय 02 घंटे का है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, आपके आदेश का पालन करूंगा। लेकिन हम इसी मामले में एक-एक चीज को बोलेंगे।

सभापति महोदय :- आप बोलिये। मैं आपको यह थोड़ी कह रहा हूं कि आपको क्या बोलना है या नहीं बोलना है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, कवर्धा में, रायपुर में, सुकमा में, बस्तर में क्या हो रहा है, तब तो इसको ग्राह्य करेंगे, इसीलिए आपके आदेश से खड़ा हुआ हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलकर इतना ही निवेदन है किसी भी प्रदेश की कानून व्यवस्था होती है, एक आदमी भूखा रह सकता है, लेकिन किसी का परिवार जेल जाये, किसी के परिवार को फर्जी नक्सली बताकर जेल भेजें, किसी को भी गोली मार दी जाये, मूव बंद करने का जो आदेश है। अभी यहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति इसलिए बिगड़ गई है, जगह-जगह में दारू बिक रही है, पान ठेला में बिक रही है। आपके मंडल अध्यक्ष ने उसका रेट भी बढ़ा दिया। वहां दारू दुकान में जाकर कौन बात करता है, हमारे सुकमा में चर्चा है। कोई भी आदमी कार्यकर्ता जायेगा, अगर फ्री में दारू नहीं दोगे तो मंत्री से बात करायेगा। यह चल रहा है। इसलिए इस प्रदेश में चाकूबाजी, गुंडागर्दी हो रही है, गाय सुरक्षित नहीं है, आदमी सुरक्षित नहीं है। इसलिए अगर हमारे स्थगन को ग्राह्य करेंगे तो हम और तथ्य बतायेंगे, और बातें आयेंगी माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस स्थगन को ग्राह्य करने की कोशिश करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, कवासी लखमा जी, अच्छा धाराप्रवाह भाषण दे रहे थे। एक बर छबिन्द्र कर्मा का भी बयान पढ़कर बतायेंगे कि उनने झीरम कांड के बारे में क्या बोला है। उसके बारे में थोड़ा सा बताईये।

सभापति महोदय :- चलिये, अभी अब उसको छोड़िये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, कवासी लखमा जी ने क्या अच्छा भाषण दिया है। उन्होंने कानून व्यवस्था के बारे में एक भी लाईन नहीं बोला है। वह तेलंगाना, तेलंगाना कर रहे थे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उन्होंने कहा है कि प्रदेश की स्थिति सुरक्षित नहीं है।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय सभापित महोदय, इस सदन में कानून व्यवस्था जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है। इस सरकार को बने हुए 7 महीने हुए हैं। इसको ग्राह्यता पर ग्राह्य करके इसलिए चर्चा करानी चाहिए क्योंकि बहुत सारे तथ्य हैं। मैं आपको कुछ जरूरी बातें जरूर बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक पत्रकार सत्यजीत घोष हैं, जिनके ऊपर हमला होता है। सबसे पहले एक व्यक्ति के द्वारा सत्यजीत घोष के ऊपर एक फर्जी एफ.आई.आर. दर्ज कराया जाता है। पुलिस उसकी जांच करती है, जांच करने के बाद उनको थाने में बुलाया जाता है, थाने में बुलाने के बाद उन्हें यह कहा जाता है कि आप उस आदमी के पास जाओ और उनसे मिलकर सेटलमेंट करो, लेकिन वह नहीं जाते हैं और वह अपने कलम की ताकत तो मजबूती से रखता है। उसके बाद कुछ दिन बाद सत्यजीत घोष के ऊपर हमला होता है। जब उस पत्रकार के ऊपर हमला होता है तो उसके सर में चोट लगी थी। जब वह पुलिस के पास जाता है तो वह बोलता है कि मुझे इस-इस व्यक्ति के ऊपर शक है, इस-इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर हमला कराया हैं और मैं ऐसा क्यों बोल बोल रहा हूं क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूं, उसको हॉस्पिटल का एक आदमी, मैं कितने बजे हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर ने क्या बोला, यह बराबर जानकारी दे रहा था। जब पत्रकार साथियों ने उसको पकड़ा तब वह देखें उसका नाम है। वह अकेला एस.पी. के पास गया, उसने कहा कि भाई, हम घटना की जांच करेंगे, विवेचना करेंगे। वह अपने पत्रकार साथियों, अपने संघ के साथियों के साथ एस.पी. के पास गया गया और उसने एस.पी. को आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद भी आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, उमेश भाई अच्छी बात बोल रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ राज्य है। आप पूर्व मंत्री थे। आपके ही कार्यकाल के अंदर, आपके गृह मंत्री कार्यकाल के अंदर सुनील नामदेव जाने-माने पत्रकार थे और आज हैं। उसको किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, आप जरा उसका भी विवेचना करना? मैंने कहा न कि उंगली उठाने के पहले तीन उंगली मेरी तरफ भी आती है। उस व्यक्ति को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया। उस व्यक्ति को आई.पी.सी. की धारा 401 के तहत किस प्रकार से प्रताड़ित किया। (व्यवधान) यह चिंता का विषय है। शासन ने भी क्या किया?

सभापित महोदय :- आप बैठिये न। आपने अपनी बात कह दी।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, क्या यह चर्चा पिछले कार्यकाल के ऊपर है। यदि है तो मैं आपको अभी चुनौती देता हूं कि जब से छत्तीसगढ़ बना है, तब से लेकर अब तक के लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अगर यह स्थगन 7 महीनों के लिए लागया गया है तो यह 7 महीनों पर ही चर्चा होगी। उसके पहले क्यों चर्चा होगी?

सभापति महोदय :- उमेश पटेल जी, मैं कह रहा हूं कि आप इसी में चर्चा करिये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सत्यजीत घोष जी ने मुझे फोन किया और मुझे आग्रह किया कि मैं हॉस्पिटल में हूं और मेरे साथ ऐसी-ऐसी घटना हो गई है। मैं उनसे जाकर मिला तो उन्होंने मुझको कहा कि पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि यह मंत्री जी के खास आदमी हैं। इस प्रकार से पुलिस के ऊपर दबाव बन रहा है। गृह मंत्री जी, मैंने कहा कि पुलिस की बूट का धमक होनी चाहिए, क्रिमिनल लोगों के दिल पर दहशत पैदा होनी चाहिए।

श्री राजेश मूणत :- भैया, ऐसी धमक पैदा मत करना जो पूर्व सरकार में थी। कोई कागज के ऊपर आवेदन दे और सीधा लिख दो कि एफ.आई.आर. कर दी जाये । ऐसी धमक मत करना । हम आपसे यह विनती करते हैं ।

श्री उमेश पटेल :- राजेश जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर चर्चा करनी है ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, किसी ने एक कागज दिया तो बिना विवेचना के एफ.आई.आर. दर्ज कर दो । बाद में जाकर आवेदन दे दो । थाने में एफ.आई.आर. दर्ज की जाती है, माननीय गृहमंत्री जी ऐसा मत करना । इनको इनके 5 साल मुबारक हो ।

सभापति महोदय :- बैठिए न ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि ये चर्चा कर रहे हैं इसलिये मैं बताना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- नहीं, आप तो बोलिये ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, अब ये शुरू कर रहे हैं तो मैं भी शुरू करता हूं ।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, आप डिरेल (derail) मत होईये न । आप अपना भाषण दीजिये ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इनके कार्यकाल में एक व्यक्ति को क्यों फंसाया गया पता है क्योंकि उसने गाय की रक्षा की थी । एक गाय माता की रक्षा की थी इसके कारण उसको जेल में डाल दिया गया । क्यों ? क्योंकि वह कांग्रेस का कार्यकर्ता है ।

सभापति महोदय :- नहीं, अभी आप इसमें आ जाईये ।

श्री उमेश पटेल :- जी, मैं इसी में आ रहा हूं लेकिन वे बार-बार पीछे जा रहे हैं तो मैं भी पीछे जाउंगा न ।

सभापति महोदय :- आप पीछे मत जाईये । आप आगे बढ़िये ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि आप पुलिस को छूट दीजिये । पुलिस के ऊपर दबाव बनाना बंद करिये । उनको कार्रवाई करने दीजिये । हो सकता है कि उसका जो आरोप है वह गलत निकले । कोई दिक्कत नहीं लेकिन पुलिस को बताने दीजिये कि आपका जो संदेह है वह गलत है लेकिन पुलिस के ऊपर दबाव है ।

माननीय सभापति महोदय, बलौदाबाजार की घटना, इतना बड़ा इंटेलीजेंसी फेल्योर कैसे हो सकता है ? रायपुर से, राजधानी से इतने नजदीक में क्या आप फोर्स नहीं बुला सकते हैं ? आप आइडिया नहीं लगा सकते ? गृहमंत्री जी ने ही कहा कि वहां 8000 से अधिक लोग उपस्थित थे । मंत्री जी, मैं गलत तो नहीं हूं । 8000 से अधिक लोग वहां उपस्थित थे । यदि इतने लोग एक जगह आ रहे हैं तो इतना बड़ा इंटेलीजेंस कैसे फेलियर हो सकता है ? किसकी गलती है ? किसने आगजनी की, मैं तो अभी उस पर जा ही नहीं रहा हूं । पुलिस की इंटेलीजेंस कहां फेलियर है ? यह बड़ी विचित्र बात है, विडम्बना की बात है कि इस फेलियर को हम छिपाने की कोशिश कर रहे हैं । यदि फेलियर को छिपाने की कोशिश करेंगे तो उसमें सुधार कैसे आयेगा ? जब कोई बीमार आदमी यह बोलेगा कि मैं बीमार ही नहीं हूं तो वह ठीक कैसे होगा ? पहले तो बीमारी को मानना पड़ेगा कि हां मैं बीमार हूं तभी तो डॉक्टर की दवाई लेगा तो माननीय गृहमंत्री जी आप डॉक्टर हैं, पुलिस का जो फेलियर है उसको मानिये और उसका ईलाज करिये ।

श्री रामकुमार यादव :- ऐ मन ला बॉटल चढ़ाये बर लागही, एमन सूजी मा नइ मानयें ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इतना बड़ा इंटेलीजेंस फेलियर । पुलिस विभाग, अब मैं इस बात पर नहीं जाता हूं कि क्या पुलिस विभाग ने उनको उस जगह में आने के लिये अनुमति दी थी या इतने लोगों की अनुमति दी थी ? क्या प्रशासन और पुलिस में सामंजस्य नहीं है ? क्या प्रशासन अपनी परमिशन अलग देता है और पुलिस विभाग को परमिशन नहीं रहती है ? इस तरह की चीजें चल रही हैं, क्या केवल पुलिस को दोष देना गलत होगा लेकिन इस कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी पुलिस की है और अगर वह परमिशन नहीं देते तो फिर वहां इतने लोग उपस्थित कैसे हो गये ? यह भी जांच का विषय है । कोई आगजनी करेगा तो माचिस से तो नहीं कर सकता है । वह अपने साथ पूरा मटेरियल लायेगा, पेट्रोल लायेगा, उसमें आग लगायेगा । हमारे पुलिस विभाग को इतनी जानकारी ही नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है । हम इसकी पूरी चर्चा करना चाहते हैं । पूरे सदन में पक्ष और विपक्ष के लोग इसमें चर्चा करें और इसकी पूरी बात आये इसलिये हम ग्राह्यता पर चर्चा चाहते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, एक चीज । मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि उड़ीसा में एक घटना होती है और वह पेपरों में आता है । गलत हो तो गलत होगा, आप बता सकते हैं । रायगढ़ के लोग जाकर गोलीबारी कर रहे हैं, ऐसी सूचना हमको मिलती है । मैंने एस.पी. साहब को यह लिखित में दिया है कि अगर रायगढ़ के लोग उड़ीसा में जाकर गोलीबारी कर रहे हैं और गोली चली है, अगर यह सही है तो क्या रायगढ़ में सर्चिंग नहीं होना चाहिए कि किसके पास लाईसेंसी बंदूक है, किसके पास नहीं है और अगर लाईसेंसी बंदूक नहीं है, किसी ने बिना लाईसेंस के बंदूक रखा है तो उसकी जब्ती नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ? अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, क्यों नहीं हो रही है ? हम इन सारी चीजों को लाना चाहते हैं इसलिये हम ग्राह्यता पर चर्चा करना चाहते हैं ।

सभापति महोदय :- जी-जी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आपका इशारा मैं समझ गया, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी के क्षेत्र में जितनी घटनाएं हुई हैं। गृह मंत्री जी के क्षेत्र कवर्धा में चाहे उसमें हत्या की बात हो, चाहे मां-बेटी की हत्या की बात हो, चाहे साधराम यादव की हत्या की बात हो, इतनी हत्याएं? माननीय गृह मंत्री जी, कवर्धा को क्या हो गया है? छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों का अपराध एक एक तरफ और कवर्धा का अपराध एक तरफ । आपके रहते और आपके गृह मंत्री बनते ही वहां अपराध को पता नहीं कैसे हो गए? इन सारों पर हम चर्चा करेंगे। सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि इसको ग्राह्य करके इसमें चर्चा करायी जाये ताकि हमारे सत्ता पक्ष के लोग भी इसमें भाग ले सकें और इस पर एक अच्छी चर्चा हो और कुछ अच्छी चीज़ यहां से बाहर निकल सके। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय :- श्रीमती अनिला भेंडिया, आप 2 मिनट, 5 मिनट में बोल लीजिएगा। बहुत लंबे, लंबे टाइम में तो पांच-सात ही लोग बोल पाएंगे। अलग-अलग प्वाइंट में आप लोग बोल लीजिए ताकि पूरी बात भी आ जाये और सबको बोलने का मौका मिले।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडीलोहारा) :- माननीय सभापति महोदय, राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत लचर और बद् से बदतर हो रही है। आज स्थिति यह है कि शहर से लेकर गांव तक चाहे वह महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे गरीब हो, हर तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आज हम साइबर क्राइम की बात करते हैं। साइबर क्राइम में अभी शासन से जवाब आ रहा है कि हम साइबर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जगह-जगह हम थानों में ट्रेनिंग दे रहे हैं, परंतु इसमें कमी क्यों नहीं आ रही है? आज उसके कारण हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वे ऐसे गैंग की चपेट में आ जा रहे हैं। अपराध बढ़ने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी बच्चियां छात्रावासों में सुरक्षित नहीं हैं। जहां पर इनको जो कानूनी व्यवस्था देनी चाहिए, वे व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं। उसी तरह से आज

गांव-गांव में जो सरकार के लोग हैं, मैं तो कहना चाहूंगी खास मेरे बालोद जिला की बात कर रही हूं, वहां पर लोग आकर ग्रुप बना बना कर मादक पदार्थों का वितरण कर रहे हैं, शराब ग्रुप बना बना कर बेच रहे हैं, रेती की चोरी ग्रुप बना बना कर इनके लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आज इसके बारे में जरूर कहूंगी कि मेरे जिला में इनकी पहुंच वाले लोग क्योंकि हम मंत्री के आदमी हैं, हम इनके आदमी हैं, कहकर ग्रुप बना बना के पूरे विधान सभा में इस तरह का काम कर रहे हैं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी के चलते भी अपराध बढ़ रहे हैं और गांव से आने वाले लोगों के साथ जो शहरों में इनके गुंडे तत्व के लोग हैं, वे उनके साथ मार-पीट, लूट, डकैती और यहां तक कि महिलाएं अकेले बाजार जाने में आज डर रही हैं, क्योंकि कब उनका गला रेत दे? कब उनकी चैन छीन लिए जाएं, ये स्तिथि आज हमारे छत्तीसगढ़ में हो गई है। छत्तीसगढ़ को बिल्कुल बिहार बनाकर रख दिए हैं। तो आपसे हम लोग निवेदन करेंगे और आज मेरा क्वेश्चन गुमशुदा में भी लगा था आप देखे ही होंगे, रिकॉर्ड भी निकाल लीजिए। ये । इनकी संख्या 2000 से लेकर अभी तक बढ़ रही हैं बल्कि इसमें कमी नहीं आ रही है। क्यों कमी नहीं आ रही है? हमारी कानून की व्यवस्थाएं लचर हैं। इसमें काम कर ही नहीं रहे हैं। इनके इंटेलीजेंट काम कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए आज यहां हमारे राज्य में स्थिति बनी हुई है तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इस स्थगन पर काम रोककर चर्चा कराएं।

सभापति महोदय :- जी। श्री दलेश्वर साहू।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- सभापति महोदय, पूरे प्रदेश स्तर पर कानून व्यवस्था पर हम और हमारी पार्टी के लोग आज चर्चा पर अपनी-अपनी बात कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा। एक मेरे क्षेत्र में राजनांदगांव के तुमड़ीबोड़ थाना में तिलईरवार पुलिस फाइरिंग का रेंज है। पुलिस फाइरिंग रेंज मतलब पूरे पुलिस बल के जो लोग है, वहां फाइरिंग करने जाते हैं और वहां फायरिंग प्रशिक्षण भी करवाया जाता है । पुलिस विभाग द्वारा हैंडग्रेनेड और विस्फोट को विनिष्ट करने की भी एक प्रक्रिया होती है किंतु ऐसी चीजों को वहां लापरवाहीपूर्वक छोड़ दिया जाता है । वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही है । आसपास के खेती किसानी करने वाले लोग उसको उत्सुकतावश उठा लेते हैं । चूंकि उसको विधिवत नष्ट नहीं किया गया था और ऊपर में ही छोड़ दिया गया था । वहां विगत कई वर्षों से फायरिंग का काम होता रहा है । कुछ स्कूली बच्चों ने उसे छुआ तो उसमें विस्फोट हो गया । विस्फोट के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा उस बच्चे की कोई मदद नहीं की गई । किसी तरह परिवार वालों द्वारा उसे हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया, उसका हाथ काटना पड़ गया, यह ताजा घटना है । आज भी मैंने प्रयास किया कि पुलिस ने उसमें कोई तहकीकात करने का प्रयास किया । विस्फोट किस कारण हुआ, इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है । पुलिस विभाग के गैर जिम्मेदाराना कार्य के कारण एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे का हाथ कट जाना यानी उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होना दुर्भाग्यजनक है । गृहमंत्री जी को हमारे प्रभारी मंत्री के रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है वे यह देखें कि इस तरह की घटनाएं फिर से न हो ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दूसरी घटना, हम लोगों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, यह तो अलग चीज है । आठवीं बटालियन आवासीय परिसर है, जहां पुलिस बल के ही लोग रहते हैं । वहां 17.04.2023 की मध्य रात्रि को चोरी होती है । वहां पुलिस बल के परिवार के लोग ही रहते हैं । मैंने आज अध्ययन किया, आदरणीय भोला जी ने इस प्रश्न को लगाया है । क्रमांक 124, 457, 380 भारतीय दंड संहिता के तहत पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया लेकिन आज भी आरोपी फरार है, यह दुर्भाग्य है । सामान भी जप्त नहीं किया जा सका । विवेचना करने के बाद उसका खात्मा भी कर दिया गया । पता नहीं किस कारण से 23.12.2023 को इस प्रकरण का खात्मा भी कर दिया गया । कितना दुर्भाग्यजनक है । हमारे साथ क्या व्यवहार होता होगा, यह अलग चीज है, वह तो बहुत सारी चर्चाओं में सामने आ रहा है । किंतु अपने परिवार वालों के साथ इनकी कानून व्यवस्था कितनी लचर है, वह इससे प्रतीत होता है । मैंने दो घटनाएं बताई हैं । कितनी महत्वपूर्ण हैं, इनको गंभीरतापूर्वक लेने का प्रयास करेंगे । हमारे डी.आई.जी. साहब भी बैठे हुए हैं । पिछले समय भी आप जब आसंदी पर थे तो मैं रिक्वेस्ट करता था । विशिष्टजन, अतिविशिष्ट जन और गणमान्य नागरिक को पी.आर.जी. के माध्यम से सुरक्षा उपलब्ध कराने के विषय में प्रोटेक्टी नाम अंकित है । प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें हमारे बहुत सारे विधायक और सांसद जी हैं । उनको क्राइटेरिया में बांटकर बाकायदा विधिवत पत्र भी जारी किया गया है कि आपको इस श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है । परंतु दुर्भाग्य है कि कांग्रेसियों के साथ सौतेला व्यवार किया जाता है । हमने आपसे भी निवेदन किया कि इस पर विचार कीजिए और आसंदी से निर्देश जारी करिये । शायद अपेक्षा के अनुरूप हमें न्याय नहीं मिला। आज कानून व्यवस्था के अंतर्गत बोलने का अवसर आया है तो मैं इसमें कहना चाहूंगा। आपने किसी को Z प्लस श्रेणी दिया है, किसी को Y श्रेणी दिया है, किसी को X श्रेणी दिया है तो कम से सौतेला व्यवहार तो न करें। सभापति महोदय, आप देख लीजिएगा, आज भी मेरे को Y श्रेणी की सुरक्षा का मापदंड है, वह मेरे को नहीं दिया गया है। मेरा विधान सभा तो नक्सल बेल्ट क्षेत्र आता है। वहां पर उनका क्या रोल होना चाहिए, थाने का क्या रोल होना चाहिए। मैंने एस.पी. साहब को भी कहा है, आज आपका कोई भी आदमी नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूं, मेरा बताने का काम है। यह सौतेला व्यवहार जनप्रतिनिधियों के साथ नहीं होना चाहिए।

(माननीय सदस्य (श्री राजेश मूणत) द्वारा हाथ उठाने पर)

श्री दलेश्वर साहू :- बोलिए।

श्री राजेश मूणत :- मैं आपकी चिंता कर रहा हूं, हमारे गृहमंत्री जी उदार है, आप चिंता मत करिए, आपकी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन मैंने ऊंगली उठाने के पहले कहा, ऊंगली उठाने के पहले तीन ऊंगली अपनी तरफ भी आती है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आपने भी उठाया है, तीन ऊंगली आपकी तरफ भी है।

श्री राजेश मूणत :- इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं भी 15 साल विधायक रहा हूं, मंत्री रहा हूं। जैसे ही आपकी सरकार बनी, 15 दिन में मेरा पी.एस.ओ. छीन लिया, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप किस नैतिकता की बात कर रहे हो ? क्या सुरक्षा की बात कर रहे हो ? आप ही की खुज्जी की विधायक की सुरक्षा किसने छीनी थी, आपकी ही सरकार ने छीनी थी।

सभापति महोदय :- हो गया।

श्री राजेश मूणत :- शकुंतला दीदी साहू बहन थी या नहीं थी। उसकी सुरक्षा किसने छीनी थी। जरा उस पर भी प्रकाश डालिए ना।

सभापति महोदय :- आप बैठिए ना। अब बोलने दीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, यह कहीं से लगता नहीं है कि स्थगन है। किसी ने आंकड़ा नहीं दिया है, कुछ नहीं है। पहला विकेट जो था, वह झारखंड घूमकर आ गया, आंध्रप्रदेश घूमकर आ गया। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था (व्यवधान) आप क्या बात कर रहे हो ?

सभापति महोदय :- मूणत जी बैठिए ना। वह तो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- मूणत जी, मोवा थाना में क्या हुआ था, उसको भी बताईए ना।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, हम कानून व्यवस्था पर स्थगन लेकर आए हैं, अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि स्थगन पर चर्चा हो तो वे भी चर्चा में भाग लें और स्थगन ग्राह्य किया जाए। जब वे चाहते हैं कि स्थगन पर चर्चा हो।

सभापति महोदय :- जो प्रक्रिया है, मैं उसी में चर्चा करा रहा हूं, इनको बोलने दीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, आपने ही प्रोटेक्टी का नाम अंकित किया। आपने ही सुरक्षा श्रेणी का मापदंड तय किया। हम उसी के तहत् मांग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए है तो एक्स्ट्रा करिए। उस मापदंड के अनुरूप वहां के एस.पी. साहब, वहां के थानेदार अगर सत्ता पक्ष के कहने पर एक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ जो व्यवहार किया है, मैंने इसे अपेक्षा के साथ कहने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय :- और कुछ बोलना है तो बोल लीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, जब और कभी मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा। क्योंकि मुझे गलत चीज को बोलने में झिझक नहीं है, आप एक बार जांच भी करवा लीजिए। आज भी मुझे उस मापदंड के तहत् पी.एस.ओ. होना चाहिए, वह आज भी नहीं है। उत्तर में कमी भी दिया हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप इस विषय पर व्यवस्था देंगे या निर्देश जारी करेंगे, यह आपके ऊपर है।

सभापति महोदय, चौथी बात। मुझे राजनांदगांव जिले का कुछ फिगर याद है। राजनांदगांव जिला में 1270 महिला गुमशुदा है, महिलाओं का जाना कितना दुर्भाग्यजनक है। मैं सिर्फ महिला की बात कर रहा हूं। नाबालिग लड़कियां जो 18 साल से कम हैं, 246 लड़की बाहर हैं। लड़के, जो बच्चे लोग रहते हैं,

लगभग 35 लोग गुमशुदा हैं। यह आज भी रिकॉर्ड में है, मेरे पास तीन महीने का रिकॉर्ड नहीं है। मैं तीन महीने पहले की बात बता रहा हूं। लड़का, लड़की और महिलाओं की कुल गुमशुदा 1551 लोग बाहर हैं। आज भी उनकी तलाश है, कितना निराकरण किए, क्या है, वह तो मुझे नहीं मालूम। 1551 महिलाओं और लड़के, लड़कियों के भागने के प्रकरण दर्ज हैं। यह लचर कानून व्यवस्था देखने का अवसर मिल रहा है। सभापति महोदय, वैसे ही आपराधिक दर्ज प्रकरण की बात कर रहा हूं। करीब 11,193 आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिसमें विवेचना के आंकड़े 10,347 है, इसमें विचाराधीन 806 है और आज भी 1904 आरोपी को पकड़ा नहीं गया है, उसमें लिखा गया है कि ...।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, ग्राहता पर चर्चा में संक्षिप्त में अपनी बात रखना होता है, आपकी बात आ गई है, कृपया सहयोग करें । अभी स्थगन की ग्राहता पर चर्चा हो रही है, सभी वक्ता सदस्यों से अनुरोध है कि चर्चा में इस बात को रखें कि प्रस्तुत स्थगन को क्यों ग्राह्य किया जाये । इसके साथ ही यह भी सुझाव है कि पूर्व वक्ताओं के द्वारा जो बात रख दी गई हो, उसकी पुनरावृत्ति न करें । आप समाप्त करें, अभी बहुत से लोग हैं । आप जल्दी से एक मिनट के अंदर समाप्त करें।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैंने फिगर के साथ किया, विषय से हटकर कोई बात नहीं की है...।

सभापति महोदय :- नहीं किया, लेकिन जल्दी कर दीजिए ।

श्री दलेश्वर साहू :- मैं आपसे अपेक्षा चाहूंगा कि उस बच्चे को फायरिंग के समय, प्रशिक्षण के समय, उसको क्या रेंज बोलते हैं....।

सभापति महोदय :- पुलिस फायरिंग रेंज ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिये । वह बहुत गरीब बच्चा है और उनका हाथ ही कट जाना और किसी प्रकार की विवेचना न होना, आज भी धर्मसंकट पर है । हम क्षेत्रीय विधायक होने के नाते....।

सभापति महोदय :- आप बोल रहे हैं और गृह मंत्री जी सुन रहे हैं, अधिकारी भी हैं, आप अपनी बात समाप्त करिये ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, और दूसरा हमारे सुरक्षा पर भी प्रश्नचिन्ह लगे हैं, उस पर भी आप विशेष कृपा करेंगे, इन्हीं भावनाओं के साथ, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- अपनी बात संक्षिप्त में रखिये । कुछ बात आप रखिये, कुछ दूसरे लोग रखेंगे । आप पूरा विस्तृत मत बोलियेगा । आपके जो इंट्रेस्ट का टापिक हो, बोल लीजिए । श्री ब्यास कश्यप जी ।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- सभापति महोदय, चर्चा के लिये तो नहीं है, लेकिन क्यों रखा जाये, इस विषय पर अपनी बात प्रारंभ करूंगा और मुझे विश्वास है, सम्माननीय सदस्य जिस बात

को बोलेंगे, उस कुर्सी की ओर से भी चर्चा रखने के लिये हम बाध्य भी करेंगे, ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूँ । सभापति महोदय, मैं जांजगीर-चांपा जिले से आता हूँ, जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत पुलिस प्रशासन की कार्यशैली संदेहास्पद है । सभापति महोदय, लोगों को झूठे प्रकरणों में फंसाकर गिरफ्तार किया जा रहा है, जो अपराधी है, वे बेखौफ घूम रहे हैं जबकि पीड़ित व्यक्ति का एफ.आई.आर. ही नहीं लिखा जा रहा है । अभी कुछ ही दिनों पूर्व जांजगीर थाना के अंतर्गत ग्राम गोद में एक व्यक्ति को झूठे प्रकरण में गिरफ्तार कर नवागढ़ थाना में बंद कर दिया गया । ऐसे बहुत सारी घटनायें हैं । सभापति महोदय, मैं इसलिये बोल रहा हूँ कि एक एफ.आई.आर, 4 बजे का समय लगाकर, जांजगीर थाना में अलग 4 बजे की घटना बताकर एफ.आई.आर. हुआ है, नवागढ़ थाने में पुन: 4 बजे की घटना बताकर जांजगीर में 2 एफ.आई.आर. और नवागढ़ में 1 एफ.आई.आर, हुआ है । सभापति महोदय, पीड़ित व्यक्ति अपने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये जांजगीर थाना जाता है, वह टी.आई. के सामने बैठकर रिपोर्ट दर्ज कराता है, उसी समय नवागढ़ के टी.आई. के द्वारा उन 4 व्यक्ति जो रिपोर्ट दर्ज कराने आये थे, उसका सिर फटा हुआ है...।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, ग्राहता पर चर्चा हो रही है...।

सभापति महोदय :- ब्यास जी ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ग्राहता में चर्चा हो रही है, यह तो सभी सम्मानित सदस्य, जो वरिष्ठ भी हैं, यह ग्राहता में चर्चा करने के बजाय राजनीतिक भाषण दे रहे हैं । ऐसे में कैसे चलेगा ? ग्राहता पर चर्चा का मतलब है कि...(व्यवधान)

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, यह राजनीतिक भाषण नहीं है..(व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- कानून के बात करथस, बहुत ज्ञानी हो गे हस। (व्यवधान)

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं कानून व्यवस्था की बात बता रहा हूँ..(व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आप इस पर कृपया व्यवस्था देंगे ।

सभापति महोदय :- बैठिये ना, व्यवस्था दे रहे हैं ना । ?

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, हम लोग नये-नये सदस्य हैं, हम लोगों को संरक्षण चाहिये । सदस्य तैयारी करके आते हैं, तथ्यपरख बात रहता है ।

सभापति महोदय :- आपको कौन संरक्षण नहीं दे रहा है, आप इतने गुस्से में क्यों हो कि कागज इधर-उधर बिखर रहा है, कागज चारो तरफ फैल रहा है ।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मन की पीड़ा है, इसलिये बता रहा हूँ।

सभापति महोदय :- मेरी बात को दो मिनट सुनिये । आपकी पीड़ा के लिये ही यह सदन है । आप इतने गुस्से में मत आईये ना कि कागज चारो तरफ फैल जाये।

श्री ब्यास कश्यप :- फेंका नहीं हूँ, ऐसा किया हूँ तो गिरा है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- धोखे से भी मत गिरे । आप आराम से बोलिये, मैं तो आपको टाईम दे रहा हूँ । अब क्या बोलेंगे, यहां से थोड़ी बताऊंगा ? आप बोलिये ना।

श्री ब्यास कश्यप :- गोद की घटना हुई, 4 बजे का समय बताया गया, 2 एफ.आई.आर. जांजगीर थाने में, 1 एफ.आई.आर. नवागढ़ थाने में, एक व्यक्ति जाकर करा लेता है । जैसे ही एफ.आई.आर. होती है, टी.आई. के सामने बैठे रहते हैं, उनका सिर फटा हुआ है, लहू-लुहान हैं । उनको दूसरे झूठे प्रकरण में दर्ज करा दिया जाता है । चूंकि गांव दूसरा बताया जाता है, उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करा लिया जाता है और उसी एफ.आई.आर. के बाद चारों व्यक्तियों को अपराधी बनाकर धारा 109 में लूट का प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है और जो व्यक्ति अपराध नहीं किये रहते, उनको जेल में डाल दिया जाता है। मैं उस दिन 11 तारीख को आप लोगों के साथ इसी विधान सभा में बैठक में था, मुझे जानकारी मिली तो मैंने टी.आई., एस.पी. और बिलासपुर के आदरणीय शुक्ला जी से आग्रह किया कि ऐसे-ऐसे प्रकरण हुए हैं, कृपया आप ऐसा न होने दें, परन्तु जानकारी मिलती है कि हमें ऊपर से दबाव है इसलिए हमें मजबूरवश ये काम करना पड़ रहा है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति जी, मैं फिर व्यवस्था पर प्रश्न कर रहा हूं । (व्यवधान)

श्री ब्यास कश्यप :- यह ऊपर से दबाव है, ऐसा कहा जाता है ।

सभापति महोदय :- उनको बोलने दो न ।

श्री सुशांत शुक्ला :- ग्राहता पर चर्चा हो रही है । अगर इस विषय पर ग्राहता पर चर्चा हो रही है तो ग्राहता के बाद कितन लंबा भाषण होगा, आप यह कल्पना करें।

श्री रामकुमार यादव :- ऊपर वाला कौन हे, ऊपर वाले कोन हे, ओला खोजव ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति जी, मैं आपके माध्यम से व्यवस्था चाह रहा हूं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह आसंदी की व्यवस्था है और आसंदी को आदेश करना है ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न । मैंने आसंदी से उनको बोलने की अनुमति दी है । अभी उनको बोलते हुए दो मिनट हुए हैं, उनको अपनी बात बोलने दीजिए । वे अपनी बात कह रहे हैं । आप डिस्टर्ब मत करिए ।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, ये सभापति ले अउ ऊपर सभापति मन जावथे ।

सभापति महोदय :- यादव जी, आप बैठिए, आप भी बैठिए ।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, धारा 109 के तहत उनके ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज हो जाते हैं और प्रकरण दर्ज कराने वाला शासकीय कर्मचारी है ।

सभापति महोदय :- यह आप बोल चुके हैं । अब इसके आगे और कुछ बोलिए।

श्री ब्यास कश्यप :- आगे और ऐसी कितनी घटनाएं घटित हुई है । घटना का सबसे बड़ा कारण है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हंसदेव नदी से रेत लगातार निकाला जा रहा है । जब शासन ने रेत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

परिवहन बंद कर दिया है तो रेत क्यों निकाली जाती है ? रेत निकाला जाता है, गौत में घटना घटती है तो एक्सीडेंट हो जाता है । एक्सीडेंट होता है तो गाड़ियों को गांव वाले रोक लेते हैं, परन्तु दुर्भाग्य से जिनकी दुश्मनी है, उनको मारते-पीटते हैं इसीलिए एफ.आई.आर. की बात आती है और कहा जाता है कि ऊपर का आदेश है । गांव वालों ने 12 गाड़ियों को एक साथ पकड़ा । मैंने कलेक्टर महोदय, खनिज अधिकारी, पुलिस वालों को बोला, पर दुर्भाग्य है कि पुलिस वालों ने उन 12 गाड़ियों को निकाल दिया । जब मैंने एस.डी.एम. को कहा तो एस.डी.एम. ने वहां पर जांच की तो एक भी गाड़ी नहीं पाई गई । यह सब पुलिस के संरक्षण में हो रहा है, मैं इस बात के लिए बोल रहा हूं । ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं ।

सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं । जिला सत्र न्यायालय ने 18.12.23 को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जांजगीर थाने को बोला गया कि इनके खिलाफ आप प्राथमिकी दर्ज कराईए । धारा छोटी-मोटी नहीं, 294, 420, 425, 441, 467, 323 और 530 जैसे गंभीर अपराध की धारा है, जिसमें जमानत नहीं मिलती, ये गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं । 6 महीने नहीं, 7 महीने हो गए । जिसके खिलाफ एफ.आई.आर. हुआ है, वह युवा मोर्चे का बड़ा पदाधिकारी है इसलिए एफ.आई.आर. नहीं हो रही है । (शेम-शेम की आवाज) उसी प्रकार से 23.5.2024 को यशपाल सिंह की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, जिसमें धारा 294, 506, 307, 323, 427, 452 और 34 लगी है इसलिए यह अपराधी सरे आम घूम रहे हैं । फरार बताया जाता है क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के नजदीक के आदमी हैं ।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करिए ।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति जी, पुलिस प्रशासन के विषय में एक बिन्दु और बोलूंगा । छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आय प्राप्त करने के लिए शराब के देशी-विदेशी ठेके खोल रहे हैं । ठेके खोलने के बाद वहां चखना सेन्टर भी खुल गया है । उसके बाद कोई मजदूर व्यक्ति वहां से कमाई करके निकलता है तो उन पर ब्रीथ एनालाइज़र मशीन लेकर पुलिस इंतजार करती रहती है कि यह मजदूर, यह छोटा व्यक्ति कब निकलेगा तो उसके मुंह में मशीन घुसाऊंगा और सिद्ध करूंगा कि तुम पीये हो, पैसा दो, अन्यथा जेल में अंदर चलो ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभापति महोदय, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य यहां पर पूरी तरीके से भाषण दे रहे हैं और ऐसे बिन्दु को रख रहे हैं । यह ग्राह्ता पर चर्चा कर रहे हैं या ग्राह्य होने के बाद चर्चा कर रहे हैं ? श्री रामकुमार यादव :- वह सूचना देवथे कि तुहर पुलिस के दशा के व्यवहार करथे, तेला सुनव । ओकर बाद चर्चा करहौ । तुमन ला सुने के भी क्षमता नहीं हे ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए । अब आप समाप्त करिए । आपने कानून व्यवस्था में दो, तीन घटना का जिक्र कर दिया ।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन ला सुने के भी क्षमता नइ हे।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करिये। आपने कानून व्यवस्था पर 2-3 घटनाओं का जिक्र कर दिया है। हो गया, आपको जितना समय देना था, वे दे दिया है।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री ला अपना विभाग के काम ला करना नइ हे।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गरीब 25 हजार रूपये तक जुर्माना भर रहा है।

सभापति महोदय :- आप तो सब चीज बोल चुके हो, आपकी सब बात संज्ञान में आ गई है। अब आप समाप्त कर दीजिये।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं बात समाप्त करता हूं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। परन्तु मैं एक आग्रह करता हूं कि शासन तो आते-जाते रहता है, परन्तु इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए कि यह मेरा व्यक्ति है, खुले में घूमे, यह विरोधी है तो जेल अंदर जाये।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश में सरकार को बने 6 महीने होने जा रहा है। इस 6 माह की सरकार की बात सदन में सुनते आये हैं। लगातार, बार-बार यह कहा जा रहा है कि यह सरकार विष्णुदेव साय की सरकार है, सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, यह हमारे सत्तापक्ष के साथियों के द्वारा बार-बार कहा गया है। इस सरकार के 6 महीने के कार्यकाल में ही कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, इस पर हमारे साथियों ने आपके सामने बताया है। कुछ आंकड़ें हैं, जिनको मैं बताऊंगा। इस 6 माह में 562 हत्याएं हुई हैं, 859 लूट और यौन शोषण जैसे छोटे-छोटे घटनाएं घटित हुई हैं, 29 डकैती की घटनाएं घटित हुई हैं, 215 लूट की घटनाएं घटित हुई हैं, 1576 बलात्कार की घटनाएं घटित हुई हैं, 713 के अपराध गांजा तस्करी जैसे घटनाएं इस प्रदेश में हुई हैं। इस 6 महीने में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ी है कि आज हमें मजबूर होकर प्रदेश के हित में कानून व्यवस्था को लेकर स्थगन लाना पड़ा और आप सबके बीच में अपनी बात रखना पड़ा। सरकार बने 6 महीने हुए हैं। बस्तर का एक व्यक्ति छात्र मलरू यहां पढ़ने के नाम से आता है, उसको अपराधी पकड़कर अपहरण कर उसकी हत्या कर देते हैं। जब यह खबर हमारे बस्तर क्षेत्र में जाता है कि प्रदेश की राजधानी रायपुर में इस तरह की घटना हो गई है। बस्तर सुदूर अंचल का एक छात्र आता है उसका अपहरण कर हत्या कर दिया जाता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बाकी पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है ?

सभापति महोदय, मैं आरंग की घटना की बात कर रहा हूं। वहां मॉब लीचिंग जैसी घटना हो रही है, जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई कि छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी के पास आरंग में मॉब लीचिंग जैसी घटना हो रही है। बलौदाबाजार की घटना है। आप जान रहे हैं कि प्रदेश ही नहीं देश में बहुत बड़ी घटना है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की घटना को लेकर छवि खराब हुई है, यह सरकार की नाकामी के कारण बलौदा बाजार की घटना घटित हुई है।

सभापति महोदय, हमारे साथी जब इस तरफ बैठते थे, तब अवैध शराब की बड़ी-बड़ी बातें करते थे, बहुत भाषण देते थे। लेकिन आज अवैध शराब की क्या स्थिति है ? अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि जो चीज हमारे सरकार के समय में नहीं हुआ था, आज इनके कार्यकाल में टेण्डर लगाकर अहाता बनवाया जा रहा है और वहां सुविधा देकर शराब को बढ़ाने का काम हो रहा है। ठेलों में भी अवैध शराब बेचा जा रहा है, यह स्थिति इस प्रदेश के अंदर अभी निर्मित है। हमारे गृह मंत्री जी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा मैंने प्रदेश की स्थिति के आकड़ें प्रस्तुत किए हैं। कवर्धा और कबीरधाम जिला हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी जिला है। उस जिले में भी इनके 6 महीने के शासनकाल में 17 हत्या की घटनाएं हुई हैं। 2 डकैती की घटनाएं, 13 लूट की घटनाएं, 51 सामग्री चोरी की घटनाएं, 26 दुष्कर्म की घटनाएं, 28 महिला उत्पीड़न की घटनाएं, 16 फर्जी की घटनाएं, 18 नशीले पदार्थ की तस्करी की घटनाएं, 16 हत्या के प्रयास की घटनाएं और अपहरण जैसी 73 घटनाएं घटित हुई हैं। यह हमारे कबीरधाम जिला, जहां से हमारे गृहमंत्री जी हैं, वहां हो रही है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। यह सोचने वाली बात है कि मात्र 6 महीने के अंदर कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति हो सकती है तो आने वाले समय में क्या हो सकता है ?

सभापति महोदय :- अब, सब तो आ गया।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, बस 2 मिनट। हमारे राज्य में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज बाहर से गैंगस्टर और अपराधी आ रहे हैं। अभी हमारे उमेश पटेल जी बता रहे थे कि कोई उड़ीसा से अपराधी आकर जा रहा है, कोई पड़ोसी राज्यों से आकर जा रहा है, यह स्थिति इस प्रदेश के अंदर हो रहा है।

सभापति महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है राज्य स्थापना के बाद यह पहली बार हुआ है कि सरकार के कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में टिप्पणी की है। कानून व्यवस्था पर सरकार गंभीर नहीं है। यही बात हम आपसे कह रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द कानून व्यवस्था को सुधारें। राजधानी रायपुर के आसपास यह स्थिति है तो सुदूर बस्तर और सरगुजा में क्या होगा, यह आप समझ सकते हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री द्वारिकाधीश यादव जी। (अनुपस्थित) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह जी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय गृहमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आदरणीय, अपन बात चालू करे के पहिली मैं आपसे एके निवेदन करीहुं कि हमर इंहा चोरी के घटना बहुत ज्यादा बढ़ गेहे। सबले पहिली तो आपके मण्डल अध्यक्ष के भाई के घर मा चोरी होहे तो कम से कम आप ओखर ऊपर कार्रवाई करवा दीहुं। आदरणीय सभापति महोदय, आज पक्ष के एक विधायक प्रेमचंद पटेल जी ने मेरे क्षेत्र का एक प्रश्न

लगाया था, उसको मैंने पढ़ा और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि एफ.आई.आर. हुई और उसके बाद बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुईं, लेकिन उस पूरी बात को रोकने के लिए अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे यहां एक ऐसा वाट्सअप ग्रुप चल रहा था, जिसमें नशीले पदार्थों के बारे में लगातार बातचीत हो रही थी और लगातार बातचीत करने के बाद वहां पर गिरफ्तारी हुई, लेकिन बुरी तरीके से नशे की हालत में लड़कों ने एक घर के अंदर घुसकर मारपीट की। आदरणीय सत्ता पक्ष के विधायक ने ही आज इसपर प्रश्न लगाया था। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं कि इसको ग्राह्य करना क्यों आवश्यक है। हमारे यहां पिछले 6 महीने में सामग्री चोरी की 296 शिकायतें सुनाई दी हैं और दर्ज हुई हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें इनके मण्डल अध्यक्ष के सगे भाई भी हैं। दुष्कर्म के 48, महिला उत्पीड़न के 41 और अपहरण 125 प्रकरण दर्ज हुए हैं। आपने ही डाटा में दिया है, जिसमें एक प्रकरण में एक चीज मेरी समझ से बाहर हो गई कि नशीले पदार्थों के सिर्फ और सिर्फ 8 प्रकरण दर्ज हुए हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि 30 से 40 प्रतिशत गांव में अवैध शराब का धंधा चल रहा है और पुलिस द्वारा उस कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम लोग बार-बार नामजद जगह के हिसाब से बताते हैं तो वहां पर जाकर बताया जाता है कि हम लोग गये तो थे लेकिन आज वहां पर स्टॉक नहीं मिला। पूरे गांव में इस तरह की चर्चा है और पूरे गांव को यह पता है कि वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे यहां अपहरण के 125 मामले हैं, जिनमें कई नाबालिग हैं। आज हमारे यहां कई नाबालिग लड़कियां missing हैं। उनके घर पर जाकर चुपचाप। 2-4 तो मेरे संज्ञान में नामजद हैं, जहां जाकर सिर्फ चर्चा कर ली जाती है कि अच्छा कहां गई होगी, कैसे गई होगी और फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं। यह बात बहुत स्पष्ट है कि हमारे law में यह बिल्कुल established है कि यदि वह बच्ची नाबालिग है तो उसको घर लाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अभी भी लगातार इस तरह के प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा। हमारे यहां पिछले 6 महीने में 3 टी.आई. बदले जा चुके हैं और उसके बगल में थाने से लगा बी.ई.ओ. ऑफिस है, जहां पर पिछले 4 महीने में 2 बार चोरी हो गई है। थाने के बगल में भी लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। किराना दुकानों में लगातार चोरी, अवैध शराब की बिक्री, थाने से लगे हुए बी.ई.ओ. ऑफिस में चोरी, लापता होने की घटना, गांव के कई झगड़ों में लगातार पार्टीवाद लाया जाता है। बताया जाता है कि ऊपर से दबाव है कि इसपर एफ.आई.आर. करनी है और इसपर एफ.आई.आर. नहीं करनी है। यदि दोनों ने लड़ाई-झगड़ा की है और दोनों के खिलाफ शिकायत है तो क्रॉस एफ.आई.आर. का पूरा प्रावधान है। लेकिन यहां पर कहीं न कहीं उनको पार्टीगत चिन्हांकित करके यह कहा जा रहा है कि हम आपके खिलाफ एफ.आई.आर. करेंगे। हमारे यहां पलायन एक बड़ी समस्या है। वहां से जनप्रतिनिधियों को फोन आता है कि हम लोग फंस गये हैं, हम लोगों को यहां से निकालिये। किसी तरह से जब उनको निकाला जाता है, तब भी उनके ठेकेदार के ऊपर कोई एफ.आई.आर. नहीं हो रही है और

बिना पंजीकरण के खुल रूप से वहां पर वह लोग लोगों को उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर तक भेज रहे हैं। हमारे यहां गौ हत्या के मामले हुए थे। मैंने पिछली विधान सभा में भी उस बात को कई बार उठाया कि 32 गाय को मार दिया गया। जब यहां पर बार-बार वह मामला उठा तो आनन-फानन में जो उनको चारा खिलाते थे, उन बेचारों को अंदर कर दिया गया और आज भी उनसे पूछताछ जारी है। आप कम से कम इतना तो कर देते कि जो उसके पीछे हैं, उन लोगों को आप ले आते । आदरणीय सभापति महोदय, एक सदस्य बार-बार कह रहे थे कि ग्राह्यता पर चर्चा होनी चाहिए। जब हमारे ब्यास भैया रेत की बात कह रहे थे तो उन्होंने उनको उठकर रोका। मैं उनको उन्हीं का वीडियो याद दिलाना चाहता हूं कि वह स्वयं रेत घाट में खड़े होकर गाड़ियों को रूकवाकर कार्रवाई करवा रहे थे। तो अगर यह स्थिति है कि हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे सत्ता पक्ष के विधायक आकर सवाल लगा रहे हैंऔर कहीं न कहीं रेत या अन्य चीजों में हमारे सत्ता पक्ष के विधायक को भी खड़ा होना पड़ रहा है, तो इसे ग्राह्य करना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए और जिस तरह से हर जगह अवैध परिवहन चल रहाहै, इस पर चर्चा हेतु आप ग्राह्य करेंऔर हम लोगों की बाकी की बातों को सुनें। धन्यवाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर हमने स्थगन लाया है, जिसकी ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है, जिस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। इसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, पहले अपराध बड़े लोग किया करते थे लेकिन अब इसमें उम्र की कोई सीमा नही रह गई है। बच्चे भी अब इस अपराध के आगोश में आ चुके हैं। अगर इसके पीछे कोई बड़ा कारण है तो वह नशापान, नशाखोरी है। बच्चों में नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है। टीनएज़ के 14 से 17 साल तक के बच्चों के जेहन में यदि अपराध आया है, तो उसके पीछे का बड़ा कारण नशा है। नशे के कई प्रकार हैं। एक जिसे सूखा नशा बोलते हैं वह गांजा का है, एक दारू का नशा है, मेडिकल शॉप में कई प्रकार की दवाईयॉ उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग लोग नशाखोरी में करते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे जो पांचवीं, छठवीं, सातवीं पढ़कर स्कूल छोड़ चुके हैंऔर 14 से 16 की उम्र के हैं, घर वाले उन पर दबाव नहीं डालते कि वह कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन जब सायं को पता चलता है तो वह नशे के आदि होकर या तो किसी अपराध की ओर जाते हैंया कहीं पड़े रहते हैं।

सभापति महोदय :- क्या होता है में मत जाइए, क्या-क्या हुआ है, उसमें आ जाइए ना और थोड़ा स्पीड में बोलिए। जल्दी बोलिए, आपका एक-दो मिनट का समय है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय,अपराध की प्रवृत्ति बच्चों में जो बढ़ी है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण पिछले विधान सभा सत्र में मैंने उठाया था कि मेरे विधान सभा के ग्राम चीचा में चौथी क्लास के छात्र तोरण साहू की हत्या आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले उसके भाई के द्वारा की जाती है। यह समझ से परे है। मतलब उसके भाई की हत्या उसके भाई के द्वारा। 10 साल के छात्र की हत्या 14 साल

के उसके भाई के द्वारा की जाती है, जो कि जघन्य अपराध है। उसके पीछे का केवल कारण नशाखोरी है, मैं यह बताना चाह रहा था। गुंडरदेही विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्री जी का कार्यक्रम होना था और एक दिन पहले गुंडरदेही से लगे निमोरा गांव में सामूहिक गैंगरेप होता है। काम करने वाली बेटी जो गुंडरदेही से वापस घर जा रही थी, तो साम को 5.30 से 6.00 बजे के बीच उसे निमोरा चौक के पास दो मोटरसाईकिलों में आए चार लड़कों के द्वारा उठा लिया जाता है और उसके साथ सामूहिक गैंगरेप होता है। उस लड़की ने अपने आपको सौंप दिया, इसलिए वह बच गई,अन्यथा दूसरा निर्भया कांड हो जाता। चार-चार युवक नशाखोरी करके उसके साथ ऐसा किए। मेरे विधान सभा के ग्राम मुड़ारसकरी में मेरे युवा कांग्रेस का, युवा मितान के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिन्हा के ऊपर दुर्ग से आए लोगों द्वारा चाकू मार दिया जाता है और उसके आर-पार निकाल दिया जाता है। मैंने संबंधित विभाग के कर्मचारी, अधिकारी को उसका फोटो और विडियो भेजा था। कई दिन की मशक्कत के बाद वह अपराधी पकड़ा गया। वह खुलेआम हुआ है। रही रेत की बात तो वह लगातार चल रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में रेत का जो उत्खनन हो रहा है, बंदूक की नोक पर गोरमा रेत खदान पर बंदूक दिखा रहे हैं और वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- सभापति महोदय, मुझे भी बोलने का मौका चाहिए। आपके कार्यकाल में जो रेत खनन शुरू हुआ, उसमें हम लोग यहां स्वयं साक्षात प्रमाण है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैडम, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र और अपने जिला की बात कर रहा हूं।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- कांग्रेस कार्यकाल में रेत खनन हुआ और मेरे ऊपर फर्जी एफ.आई.आर. भी हुई है। हम लोग रेत उत्खनन रोक रहे थे, तब भी हमारे ऊपर एफ.आई.आर. हुई।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं पांच साल तक था और कोई बता दे कि मेरे विधान सभा से एक घमेला रेत भी निकली होगी। लेकिन अभी बंदूक की नोंक पर भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर रेत का अवैध परिवहन कर रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठिये। निषाद जी, आप वहां देखकर क्यों गुस्सा कर रहे हैं ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, आपकी सरकार ने जो रेत में संरक्षण दिया है।

सभापति महोदय :- आप मेरी तरफ देखकर बोलिये ना।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- कांग्रेस के कार्यकाल में रेत खनन चालू हुआ।

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मेरे विधान सभा गुण्डरदेही में, चंदन बिरीह में..।

सभापति महोदय :- आप हाईपर मत होईये। आप मुझे देखकर बोलिये। मैं उनको अनुमति दे भी नहीं रहा हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, वह जिस हिसाब से बात कर रही थीं। वह मुझे बोल रही थीं। जिस विधान सभा में पांच साल तक रेत का एक घमेला नहीं निकला और आज बंदूक की नोंक पर लगातार अवैध परिवहन किया जाता है। मैं उनका नाम बताऊंगा, दुर्ग से आकर दीपेश बावनकर और बिलासपुर से आकर शिवम सिंह। उनकी [XX][3] के साथ और [XX] के साथ बड़े-बड़े पोस्टर में फोटो छपती हैं। यह बदनाम करने की एक साजिश है कि मैं इनके परिवार का सदस्य हूं। यह ऐसी व्यवस्था चल रही है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है। जब यहां कोई सदस्य नहीं है, तो उसका नाम लेकर यहां नहीं बोलना चाहिए।

सभापति महोदय :- उसके विषय में नहीं बोलना चाहिए।

श्री राजेश मूणत :- यदि आप कहें तो मैं इतिहास गिना देता हूं।

सभापति महोदय :- वह नाम को विलोपित कर दीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। उनके नाम का दुरूपयोग किया जा रहा है।

सभपति महोदय :- हो गया। मैंने उसे विलोपित कर दिया है। अब आप समाप्त कर दीजिये।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है और आप उसके नाम का उल्लेख कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- मैंने उसे विलोपित कर दिया। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए।

श्री राजेश मूणत :- यदि किसी के साथ किसी की फोटो लगा दी गयी तो क्या इसका मतलब यह है कि उनका उससे संबंध है। यदि ऐसा है तो इतिहास के पन्ने बहुत लम्बे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- राजेश भैया, मैं वही कह रहा हूं कि उनके नाम का गलत उपयोग किया जा रहा है।

श्री राजेश मूणत :- मैं सहमत हूं। लेकिन प्लीज नाम का उपयोग मत करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी, मैं उसके लिये क्षमा चाहता हूं। लेकिन वे जो उनके नाम का दुरूपयोग कर रहे हैं, मैं उस विषय में कह रहा हूं।

सभापति महोदय :- आप उसे छोड़िये। मैंने उसे विलोपित कर दिया है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मैं आपको उसका पत्र दिखा दूंगा, फोटो दिखा दूंगा, सारी जानकारी दिखा दूंगा। ऐसे लोग जो नाम का गलत उपयोग करके वहां पर रेत खनन का कार्य कर रहे हैं।

---

[3] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- आप जो भी दिखायेंगे। मैंने यह विषय विलोपित कर दिया है। यदि आपको आगे कुछ बोलना है तो बोलिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा में शराब का अवैध परिवहन हो रहा है और अवैध बिक्री हो रही है। वहां फरतफोड़ ऐसा गांव है, जब जिला में सामान्य प्रशासन की बैठक हुई तो मैंने वहां स्पष्ट रूप से बात रखी । मैंने एस.पी. साहब को कहा कि ग्राम फरतफोड़ में हर घर में शराब बन रही है, उसको बंद कराईये। लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उससे तंग आकर वहां के सरपंच ने कलेक्टर और एस.पी. को आवेदन दिया है कि मेरे गांव में शराब की भट्ठी खुलवाई जाये।

सभापति महोदय :- ठीक है। आपकी बात आ गई।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, अब आप सोच लीजिए कि कानून व्यवस्था की यह स्थिति है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी ग्राह्यता पर चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हर्षिता स्वामी बघेल जी, बोलिये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगांव) :- सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम राज्य में कानून व्यवस्था के विषय में स्थगन लाये हैं और उसको ग्राह्य करने के लिये सभी सदस्य अपनी तरफ से बात रख रहे हैं। अभी राज्य की जो स्थिति हो गयी है, जिसमें हमको विशेष तौर पर चर्चा करनी ही चाहिए। आज 6 महीने में ही बहुत-सी हत्या, बहुत-सी लूटपाट, बहुत से बलात्कार, डकैती, बहुत सारे मामले आ रहे हैं। उस पर रोक नहीं लग रही है। उस पर कानून व्यवस्था लाचार हो गयी है। मैं आज इस सदन में आपको एक शर्मनाक घटना के बारे में बताना चाहूंगी। अभी तक हम लोगों ने मानव के साथ अनाचार या महिला के साथ अनाचार सुना था। मेरे क्षेत्र में एक ऐसी घटना सामने आयी, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, न ही किसी और ने सोचा होगा। अभी तक हम गौ माता की पूजा करते थे लेकिन गौ माता के साथ अनाचार की घटना किसी ने नहीं सुनी। यह ऐसी पहली घटना है, जिसको पुलिस विभाग के द्वारा प्रकाशित किया गया। यह इतनी शर्मनाक घटना है, जिसे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मैंने पिछली बार गौ माता की तस्करी पर भी सदन में अपनी बात रखी थी। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संरक्षण में और पुलिस के संरक्षण में वहां से गाड़ी गुजर गयी और मेरे ही विधान सभा का एक सिपाही जो आदिवासी, कंवर समाज का था, उसकी मृत्यु हो गयी थी। इसके अलावा एक घटना ग्राम बेलगांव की है, जहां आज फिर एक कंवर समाज का लड़का जो कि नशे में धुत था। वह नशे की हालत में गाय की पूंछ पकड़ा हुआ था। वह सिर्फ गाय की पूंछ पकड़ा हुआ था और उसे रौशन नाम के एक लड़के ने रात के अंधेरे में गाय की पूंछ पकड़े हुए देखा। उसे अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन उसने उसे क्या कर रहा है बोलकर दौड़ा दिया। जिसके बाद वह लड़का नशे की हालत में भागते-भागते गिर पड़कर अपने घर पहुंच गया था। उसने घर पहुंचकर अपने जख्म को

खुद ही सील डाला। दूसरे दिन गांव में हल्ला होता है और गांव वाले एक बैठक बुलाकर आपसी समझौता कराते हैं कि ऐसी कुछ घटना नहीं हुई है, वह नशे में धुत था। वह लोग एक दूसरे को पकड़ा पकड़ी किये और वह मामला समाप्त हो गया। उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ। लेकिन किसी पत्रकार ने पुलिस को खबर कर दी और पुलिस वाले डग्गा में आकर उसको उठाकर ले गये। यह बात न उसके घर वालों को पता थी, न गांव वालों को पता थी। वह उसे डग्गा में लेकर थाने चले गये। डग्गा के पीछे उसका भाई गया कि उसे कैसे उठाकर ले गये ? अब उस लड़के को थाने से निकालकर बाहर खड़ा करके मीडिया में शो कर दिया गया कि यह इतना बड़ा आरोपी है। क्या आपने एफ.आई.आर. की ? लेकिन आपने मीडिया में शो कर दिया। इसमें एस.डी.ओ.पी. कहते हैं कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इन पर एफ.आई.आर किया है। यह मामला बढ़ रहा था। उनके परिवार, गांव के लोग गये और उनसे निवेदन किया। ऐसा कोई मामला ही नहीं है और हम शिकायत कर ही नहीं रहे हैं तो आप इसको कैसे ले आये ? पर नहीं, वहां पर उन्होंने बात को नहीं माना। एस.डी.यू.पी. ने वीडियो वायरल करवा दिया। अब उसमें बजरंग दल, हिन्दू परिषद् के लोगों ने उस बात, चर्चा को इस तरह मीडिया में उछाला। उस घटना को लेकर, उसके परिवारजन और वह लड़का स्वयं घबराया हुआ था। वह एक कंवर समाज का सीधा-सादा आदिवासी लड़का 25 साल का था। वह इस तरह घबराया हुआ था कि वह कुछ बोलने लायक नहीं था। उसको मारा, प्रताड़ित किया गया। उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब थी। मैं, आपको उसके बाद की घटना की थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी।

सभापति महोदय :- आपकी मुख्य-मुख्य बातें आ गई हैं और आगे कुछ बोलना हो तो आप बोल लीजिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह तो मुख्य बात थी, पर मैं इसलिए इसको विस्तार से बता रही हूँ क्योंकि उस लड़के की मृत्यु भी हो गई। यह घटना किसकी लापरवाही से हुई ? यह उन पुलिस वालों की लापरवाही से घटित हुई। जब उस घटना को मीडिया में देने के बाद, दोपहर के 2.00 बजे से लेकर रात के 8.00 बजे गये तो उसकी हालत खराब हो गई । तब उसको हॉस्पिटल में ले जाकर छोड़ दिया गया। गांव वालों ने मुझ तक खबर कि मैडम, ऐसी-ऐसी बात है। उसकी कोई आपराधिक गतिविधि नहीं है। मैंने टी.आई. को फोन लगाया कि आप मुझे इस घटना के बारे में बताईये। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम, इस घटना में कोई एफ.आई.आर. नहीं हुई है। एस.डी.यू.पी. ने कहा कि मैडम, इसमें बात मत करिये। जब आप गलत नहीं हैं तो उनको किस बात का डर था ?

सभापति महोदय :- देखिये। आपने अपने क्षेत्र की घटना का जिक्र कर लिया। यह स्थगन की ग्राह्यता पर तो चर्चा नहीं है। अब इसको समाप्त करें। ठीक है। आपकी बात आ गई। माननीय गृह मंत्री जी सुन रहे हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ। यह एक माता-पिता का जवान बच्चा चला जाता है, वह भी कंवर, आदिवासी समाज का युवक था। मुझे अपनी बात बोलने दीजिए, मैं संक्षेप में अपनी बात खत्म करूंगी। दूसरे दिन उस युवक की मृत्यु हो गई। क्यों, क्योंकि उसको 7 घण्टे तक ईलाज नहीं मिला। उसे और प्रताड़ित किया गया। उसके बाद जब यह बात मुझ तक आयी तब मीडिया वाले के बीच उसके घर तक पहुंचे । तब जाकर उन्होंने ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इनको और बोलने का मौका दिया जाए। जब माननीय सदस्या कानून और व्यवस्था के विषय में बोलें तब इनको और बोलने का मौका दिया जाये।

सभापति महोदय :- नहीं। मैंने उन्हें बोल दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इधर-उधर बोलने में माननीय सदस्या को क्यों और बोलने का मौका दिया जाये।

सभापति महोदय :- आपने उस घटना का उल्लेख करने में समय खराब कर दिया।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि मुझे और बोलने का मौका दिया जाये। पिछली बार भी मैंने, आपसे निवेदन किया था।

सभापति महोदय :- आपको बोलने का मौका मिला। आपने अपनी बात कह ली। माननीय गृहमंत्री जी ने आपकी बातों को सुन लिया। अब इस बात को लम्बा मत खिंचिये। अब हो गया। आप अपनी बाकी बातों को बोलकर अपना भाषण समाप्त करिये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, अगर डोंगरगढ़ विधान सभा में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, लेकिन आज तक उस पर अंकुश नहीं लगाया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय,हमने जितने वक्ताओं को सुना। एक मिनट बहन जी।

सभापति महोदय :- माननीय अजय चन्द्राकर जी क्या बोल रहे हैं, आप थोड़ा सुनिये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अजय चन्द्राकर जी, मुझे अपनी बात पूरी बोलने दीजिए। इस तरह से नशे का सेवन किया जा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। यहां पर हम लोगों ने जितने वक्ताओं को सुना।

सभापति महोदय :- आप उनकी बातों को सुन तो लीजिए। वे क्या बोल रहे हैं?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अजय चन्द्राकर जी, मुझे अपनी बात पूरी बोलने दीजिए।

सभापति महोदय :- मैं आपको अपनी बात कहने का समय दूंगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, हमने इधर के जितने वक्ताओं को सुना। वे केवल दो लाईन कानून-व्यवस्था में बोलते हैं फिर आगे कहानी सुनाने लगते हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, जब हम अपनी बात रखेंगे तभी तो अपने क्षेत्र की समस्याओं, घटनाओं से अवगत करायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि आप लोगों को पर्याप्त समय दीजिए, पूरे 5.30 तक का समय दीजिए, लेकिन यह कानून व्यवस्था में तो बोलें। जिस विषय पर इन्होंने स्थगन प्रस्ताव लाया है और नहीं तो इनको खड़े होकर, स्थगन प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिए कि हम बोलकर, थक गये। अब हमारे पास विषय नहीं है और हम इसको वापस लेते हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, इस घटना में पुलिस के द्वारा लापरवाही हुई है। उसको तो यहां पर बताना पड़ेगा। हम अपना स्थगन वापस क्यों लें। यह बहुत बड़े मुद्दे हैं। जिसमें एस.डी.यू.पी. की लापरवाही से घटना घटित हुई।

सभापति महोदय :- आप मेरी बात सुनिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, हम कानून व्यवस्था पर ही बात रख रहे हैं।

सभापति महोदय :- माननीय हर्षिता जी, ऐसी बहस नहीं करते। मैंने उनको बोलने का अवसर दिया है। आप पहले उनकी बात सुन लीजिए। फिर आपको अवसर दूंगा तब आप बोल लीजिए। अब दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी को क्या समझ में आएगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यदि कानून-व्यवस्था की स्थिति में नहीं बोल सकते हैं तो इनको प्रेम से स्थगन को वापस ले लेना चाहिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने कानून-व्यवस्था की स्थिति में ही बात कही थी।

सभापति महोदय :- आप explanation मत करिये, सीधे बोलिए और अपने विषय में रहिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, जी। मेरा विषय यही है कि एस.डी.यू.पी. की लापरवाही से उसको समय पर ईलाज नहीं मिला। उसकी समय पर जांच नहीं हुई और इस घटना के बिना एफ.आई.आर. दर्ज किये उसे अपराधी घोषित कर दिया गया। यह बहुत बड़ी बात है। वह एक कंवर समाज का व्यक्ति था। पिछले सदन में मैंने भी नशे की बात को रखा था। मेरे निवास स्थान में जो सुरक्षा बल तैनात थे उन लोगों ने कुछ हरा नशा किया था, जिसे मैंने सदन में अवगत कराया था। जिसके लिए मैंने एस.पी. साहब को कहा था तब वहां पर दूसरे सुरक्षा बल आये। उसके बाद उन्होंने कहा यह आपकी केटेगरी में नहीं है, उनको हटा दिया गया, वहां पर जो सुरक्षा बल आये थे, उनको भी हटा दिया गया। मैं बोली की ठीक है। एक महिला विधायक को निवास में जो सुरक्षा बल

मिलना चाहिए, वह नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोग स्वतंत्र है। सरकार आपकी है। आप लोगों से मैंने निवेदन किया था।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई है, गृह मंत्री जी सुन लिये हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, मैंने पिछले सदन में यह बात रखी थी। इसी एस.डी.ओ.पी. आशीष कुंजाम ने जब आचार संहिता लगी, तब मेरा बयान लेने आये। आचार संहिता लगने के बाद मेरा बयान लेने आते हैं। मैं अपराधी हूं, ऐसा लगने लग गया था। मैंने आपको सदन में बात बताई थी कि वहां पर नशे में चूर हैं। आप उन लोगों से बयान लेते, आप मेरे से बयान लेने आ रहे हैं।

सभापति महोदय :- हर्षिता जी, आप गृह मंत्री जी से मिलकर इस मामले को बात कर लीजिएगा न। अभी तो प्रदेश में कानून-व्यवस्था की क्या स्थिति है, उसमें बात कर लीजिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- ऐसी व्यवस्था है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि पुलिस विभाग इस तरह से लचर हो गया है, हम लोगों को इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था दे रहे हैं। जब भी कोई आपराधिक गतिविधियां होती हैं तो हम लोगों की कभी सुनते नहीं हैं। बाकी आप लोग इस स्थगन को ग्राह्य करें तो ज्यादा अच्छा है। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर लाये गये स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। यह रिकार्ड बताता है कि प्रदेश में पिछले 06 माह में हत्या के 562, लूट की सैकड़ों घटनाएं, यौन शोषण की 859, डकैती की 29, लूट के 215, दुष्कर्म की 1576 घटनायें और गांजा तस्करी के 713 केस दर्ज हुए हैं। सदन में माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं जिन्होंने रिकार्ड बनाया है कि पिछले 7 महीने में 25000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। उससे बड़ा रिकार्ड तो हमारे गृह मंत्री जी बना रहे हैं कि इस छत्तीसगढ़ को अपराधों का गढ़ बना लिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे बिलासपुर जिले की बात करूंगा। मैं कोटा विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। कोटा विधान सभा क्षेत्र में 03 थाने कोटा, रतनपुर, बेलगहना हैं। कोटा थाने में 07 महीने में 04 टी.आई. बदल गये हैं। मुझे आज की तारीख में यह नहीं मालूम कि वहां पर टी.आई. कौन है। थाने में यह जो रोटेशन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इसका मतलब क्या है? क्या आपके टी.आई. सक्षम नहीं हैं? या उनसे कुछ चीजें आपको प्राप्त करनी है इसलिए हर डेढ़-डेढ़ महीने में टी.आई. बदल दिये जा रहे हैं। पता ही नहीं चलता है। रतनपुर थाने के 07 महीने में 3 टी.आई. बदल गये। यह रोटेशन प्रणाली चल रही है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था लागू करना है या नहीं है या वहां के लोगों से कुछ और निकालना है ? यह मेरी समझ से बाहर है। हमारे खोंगसरा में बेलगहना थाने की पुलिस जाती है, एक छोटे से चाय के होटल के अंदर घुसती है, वहां के लोगों को निर्देश देती है कि आप बाहर निकलिये। वहां एक गूंगा और बहरा आदमी खड़ा होता है, वह उनकी

आवाज को नहीं सुन पाता। वहां के पुलिस वाले उसको इतनी बुरी तरह से मारती है, वह जब बोल ही नहीं पा रहा है, आपके निर्देश को समझ ही नहीं पा रहा है, उसको इतना मारा जाता है, जब खोंगसरा के गांव के लोग इकट्ठे होकर पुलिस वालों का विरोध करते हैं, रात में मुझे फोन करते हैं और जब सुबह मेरी एस.पी. साहब से बात होती है, तब उन पर कार्रवाई होती है। तो इतनी असंवेदनशील पुलिस हो चुकी है कि गूंगे-बहरे आदमी को भी नहीं छोड़ रही है। हमारे केंदा में एक आदिवासी परिवार रहता है, वह आदिवासी परिवार को 5 लीटर महुआ शराब रखने की अनुमति शासन ने दी है। पर थाने का सिपाही पहुंचकर कहता है कि पहले आप हफ्ता देते थे, अब हफ्ता क्यों बंद कर दिया, तुम और शराब बेचो, मेरे को मेरा हफ्ता चाहिए और उसके पति को मारना शुरू कर दिया। यह कानून व्यवस्था की चीज है। माननीय सभापति महोदय, मैं कवर्धा में था, कवर्धा में वीरेन्द्र जांगडे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव है, सतनामी समाज से आता है, उसका एक साल पहले एक पारिवारिक झगड़ा हुआ था। उस पारिवारिक झगड़े में उसने बीच बचाव किया और उस झगड़े को समाप्त कर दिया गया। पर एक साल बाद माननीय गृह मंत्री जी के गृह जिले में एक सतनामी समाज के लड़के के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होती है और एफ.आई.आर. में भी डकैती का जुर्म दर्ज होता है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, कोई भी अपराधी किसी धर्म, संप्रदाय का नहीं होता है, वह अपराधी होता है। इस विषय पर आपके माध्यम से व्यवस्था का प्रश्न है कि किसी जात, धर्म, पंथ पर..।

श्री अटल श्रीवास्तव :- मैं केवल उसका नाम बता रहा हूं। आपको सतनामी समाज का नाम सुनकर चिढ़ क्यों हो रही है? आप जो अभी बलौदाबाजार में कर रहे हैं कि सतनामी समाज के निरपराध लोगों को फंसा रहे हैं।

सभापति महोदय :- अटल जी, आप इधर देखकर बोलिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसके ऊपर डकैती की एफ.आई.आर. दर्ज हुई, केवल इसलिए कि वह कांग्रेस का पदाधिकारी था।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, यदि आप कहें तो मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार के समय में जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने खुलेआम गुंडागर्दी की, थाने में घुसकर मारपीट किया है, यह आपकी जानकारी में हे या नहीं है? यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- कार्रवाई होनी चाहिए। जो गुंडे लोग हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप छत्तीसगढ़ को बदलापुर मत करिये, छत्तीसगढ़ को पूर्वाग्रह से ग्रहित होकर किसी के ऊपर कार्रवाई मत करिये।

श्री केदार कश्यप :- आपके क्षेत्र में ही है, आपकी पार्टी में ही है।

सभापति महोदय :- आप इधर देखकर बात करिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, वीरेन्द्र जांगड़े जी को 2 महीने बाद माननीय हाई कोर्ट ने जामनत दी और आज वह जमानत पर बाहर है। एक केस आकाश केसरवानी का है, जो कि कवर्धा का रहने वाला है। इस लोकसभा के चुनाव में मैं जब वहां गया, वह सभी मेरे साथ काम रहा था। वह यूथ कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष है। माननीय गृह मंत्री जी के घर से 200 मीटर के दूर में रात को 2 बजे उसकी गाड़ी दी जाती हे, उसके घर में पथराव किया जाता है। हम एफ.आई.आर. दर्ज कराने जाते हैं तो एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है और जब एफ.आई.आर. दर्ज हो गई तो माननीय गृह मंत्री जी आज तक उसमें एक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम सी.सी.टी.व्ही. का फूटेज भी चुके हैं, पर एक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। उस लड़के का क्या दोष था ? क्या वह कांग्रेस का काम कर रहा था इसलिए उसके घर में नकाबपोश लोग घुसकर ताबड़तोड़ घर को तोड़ दिया गया? मैं तीसरा उदाहरण देना चाहता हूं। मैं यह उदाहरण केवल इसलिए दे रहा रहा हूं कि जिस तरह से पूर्वाग्रह से ग्रहित होकर कार्रवाई हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी, जब आप गृह मंत्री बने तो हम सब खुश थे कि एक नौजवान आदमी को इस प्रदेश की सुरक्षा की गारंटी मिली हुई है, वह सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, पर आप कहीं न कहीं या तो आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं या आपके सामने जो इंटिलिजेंस है, जो बाते आती हैं, वह गलत आ रही है। मैं चौथा उदाहरण देना चाहता हूं कि बिलासपुर में एक सिद्धार्थ नागवंशी ने आत्महत्या की। एक 30 साल के लड़के ने आत्महत्या की। उसकी आत्महत्या 11 जनवरी, 2022 को होती है। अगर 2022 में 4 लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. होती है, उनके परिवार वाले कहते हैं कि एफ.आई.आर. दर्ज करो। कोई सोसाइडल नोट नहीं है, पर एफ.आई.आर. दर्ज हो जाती है। एफ.आई.आर. दर्ज हो जाने के बाद 01 जनवरी, 2024 को जब 2 साल बाद एफ.आई.आर. दर्ज होती है तो एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद फिर से 3 महीने बाद उसमें तीन लोगों के नाम और एड कर दिये जाते हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट समय चाहता हूं। यह जिस विषय का उल्लेख कर रहे हैं, अगर इनकी सरकार में एफ.आई.आर. की कार्रवाई नहीं हुई तो बिगड़ती कानून व्यवस्था का विषय उस समय आज क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? अगर उस समय कार्रवाई नहीं हुई है आज बात हो रही है तो आप बिलासपुर की घटना की उल्लेख करवाईये।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन चर्चा कर लेवओ, दूध के दूध अउ पानी के पानी हो जाही। एक तो आप मन अपराध भी करा, कानून व्यवस्था ला तोड़ा भी। आपके सरकार नई चलाय सकत हे ता उठ के बीच मा काबर बोलत हवं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बिलासपुर की घटना में आपके कार्यकाल में कार्रवाई नहीं हुई थी। कार्रवाई नहीं थी तो व्यवस्था का प्रश्न आता है। बिगड़ती कानून व्यवस्था का क्या कारण था?

सभापति महोदय :- यादव जी, शुक्ला जी, बैठिये। हो गया। श्रीवास्तव जी, आप बोलिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, 6 महीने बाद 3 लोगों के नाम एड कर दिये जाते हैं। उसमें उस लड़के के मौत के 2 साल बाद उसमें नाम एड कर दिये जाते हैं। माननीय हाई कोर्ट में उसमें अग्रिम जमानत दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जमानत दे दी, पर कल का भी एडेड है। जब एक लड़के दीपेश चौकसे की जमानत लगती है तो उसमें एट्रोसिटी एक्ट जोड़ दिया जाता है। यह ऐसी पुलिसिंग कर रहे हैं कि वह आत्महत्या करने वाला लड़का महिला होता तो आप धारा 376 भी लगा देते क्योंकि वह कांग्रेस का पदाधिकारी है, कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष है, कांग्रेस का दो बार पार्षद रहा है, कांग्रेस का मास्टर ट्रेनर रहा है। आप केवल पूर्वाग्रह से ग्रहित होकर काम कर रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की कानून व्यवस्था है, यहां कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और हम इस तरह की बात को कभी सहन नहीं करेंगे। सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- एक मिनट।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा ही विधान सभा का मामला है। मेरे समझ से परे हैं कि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आप बिलासपुर में ही रहते हैं। जिसके लड़के ने आत्महत्या की उसकी माता जी ने मुख्यमंत्री से लेकर सबके पास गुहार लगाई और इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से हम लोगों ने भी पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया, मैंने इसका खुद नेतृत्व किया है। यह जिनका उल्लेख कर रहे हैं, कोई कांग्रेस का महामंत्री है या ब्लॉक अध्यक्ष है, क्या उसको आत्महत्या कराने का अधिकार है? (शेम-शेम की आवाज) माननीय सभापति महोदय, किसी नाम जुड़ गये, जमानत होना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एक प्रक्रिया है। उन्होंने कोई दोषमुक्त नहीं किया है। उसकी मां लगातार दो साल तक दर-दर भटकी है और आपको याद नहीं होगा तो मेरे चुनाव के घोषणा-पत्र में मैंने कहा था कि बिलासपुर में खुलेआम यह तीन मर्डर हुए हैं। एक कांग्रेस का पदाधिकारी था, जो फांसी लगाया, उसका लड़का ने नामजद बताया है कि यह-यह लोग शामिल थे। वह एक नागवंशी का जिक्र कर रहे हैं, उसने बताया, उसकी मां ने की थी। उस समय इसलिए कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि आपका संरक्षण था, आपकी सरकार थी, आज सरकार बनने के बाद जब एफ.आई.आर. हो गई। उस परिवार को न्याय मिल गया। बड़ी विचित्र स्थिति है कि आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने एफ.आई.आर. पर आपत्ति नहीं की है । आप जो हर 2 महीने में, 3 महीने में नया केस, मैं क्या कह रहा हूं कि यदि महिला ने आत्महत्या की होती तो आप 376 भी लगाते । यह गलत है । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- नया कानून बनाकर तो कभी भी विषय बनाया जा सकता है । उसमें 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना क्या होता है ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- अटल श्रीवास्तव जी आप भी बैठिए । अमर अग्रवाल जी बोल रहे हैं, वे सीनियर लीडर हैं उनके बाद आपको मौका मिलेगा न । मैं आपको दूंगा ।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं कभी बोलता नहीं हूं लेकिन ये कानून व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं । जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इन लोगों ने असत्य नाटक रचा कि कांग्रेस भवन में पुलिस ने लाठी चार्ज किया और मेरे ऊपर भी आरोप लगाया कि मेरे ईशारे पर किया । मजिस्ट्रेट जांच हुई, उसमें इनका भी नाम है, इनकी भी सरकार थी । 5 साल तक बयान देने नहीं गये, इनका दोहरा चरित्र है और आज तक वे कमेटी के सामने बयान देने नहीं गये । (शेम-शेम की आवाज) और असत्य आरोप लगाना...।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं । यह असत्य नहीं है, मेरा बयान हो चुका है और बयान की कॉपी मैं आपको दे दूंगा ।

श्री अमर अग्रवाल :- कितने लोगों का बयान हुआ है ?

सभापति महोदय :- बैठिए न ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपना बयान दे चुका हूं लेकिन सरकार बदल गयी है । जिस एडिशनल एस.पी. ने लाठीचार्ज किया था । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- अभी मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा तब सारी बात कह लेना । पहले सुन लीजिये ।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, 5 साल तक इनकी सरकार थी, ये खुद के लिये न्याय नहीं ले सके, खुद लाठी खाये तो आप किस कानून -व्यवस्था की बात कर रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, क्या है कि अटल श्रीवास्तव जी उस समय की बात को इसलिये बार-बार कह रहे हैं क्योंकि शैलेश पाण्डे को वे कांग्रेसी मानते नहीं थे इसलिये उनके समय का उल्लेख कर रहे हैं कि बिलासपुर में जो कुछ घटा, वह शैलेश पाण्डे का है और शैलेश पाण्डे कांग्रेसी नहीं थे । उस बेचारे ने स्वयं सभा में पूछा कि क्यों माननीय गृहमंत्री जी यह-यह अपराध घटे हैं इसके रेट क्या हैं ? पुलिस से काम करवाने के रेट क्या हैं ? यह बिलासपुर के भाषण में रिकॉर्ड है, कौन-कौन से काम करवाने के लिये कितना पैसा लेना-देना पड़ेगा यह बताओ, यह शैलेश पाण्डे के लिखित भाषण में है यानी रिकॉर्डेड भाषण है । दूसरी बात क्या है कि वे अमर जी की बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, वे अमर जी के खुद खास आदमी हैं। (हंसी)

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, अभी अटल श्रीवास्तव जी अपने संबोधन में जो बात कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता के ऊपर कार्रवाई हो रही है । अटल श्रीवास्तव जी को

मालूम होगा कि कोण्डागांव में मनीष श्रीवास्तव, लता जी को मालूम है । मनीष श्रीवास्तव के जो पुत्र हैं, जो आपके कांग्रेस के नेता हैं और जो पी.सी.सी. अध्यक्ष के खासमखास हैं उसने थाने में घुसकर एस.डी.ओ.पी. के साथ मारपीट की थी, आपको मालूम है ? दूसरा एक और आपको भी बता दूंगा । लखमा जी को मालूम होगा क्योंकि उनकी उनके साथ अच्छी जमती थी ।

श्री कवासी लखमा :- श्रीवास्तव के लड़के को जेल हुआ ।

सभापति महोदय :- सुनिये न, अब ये किस्सा-कहानी यहां बंद करते हैं ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, दूसरा अपने जगदलपुर में सुशील मौर्य जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रदेश सचिव रहा, अभी अध्यक्ष है । उसको अध्यक्ष में प्रमोट कर दिये हो, उसने भी थाने में घुसकर डी.एस.पी. के साथ मारपीट की और ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, बस एक लाईन कहना चाहता हूं ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, हमें भी 4-5 किस्से सुनाने का मौका दीजियेगा ।

सभापति महोदय :- मैं तो सबको मना ही कर रहा हूं । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, ये लोग बोलेंगे तो हम लोग भी बोलेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जितनी दोस्ती कोरबा लोकसभा में भाजपा वालों की है, भाजपा वालों से जितनी दोस्ती नेता प्रतिपक्ष की नहीं होगी उससे ज्यादा दोस्ती अमर जी की अटल जी से है ।

सभापति महोदय :- ठीक है, वह आप बता रहे हैं । अटल जी अब समाप्त करिये ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, मैं बस थोड़ी देर में समाप्त कर दूंगा । यह बात सही है कि मैं अमर जी का बहुत सम्मान करता हूं, वे हमारे वरिष्ठ हैं ।

सभापति महोदय :- अटल जी, पहले इनकी दो पंक्ति सुन लीजिये ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हम इसलिये चुप थे कि तमाशा न बने, वरना सौ-सौ जवाब थे तुम्हारे एक-एक सवाल के । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- अब आप बोल लीजिये और समाप्त करिये ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि मैं अमर जी का बहुत सम्मान करता हूं । वे बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं ।

सभापति महोदय :- सुनिये न, ज्यादा बेहतर है कि आप विषय में रहिये न ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, उन्होंने जो बात कही । जहां तक लाठीचार्ज वाली बात कही, हिन्दुस्तान के इतिहास में अंग्रेज भी कांग्रेस भवन में घूसने की हिम्मत नहीं किये थे, पर आपके शासन में पुलिस कांग्रेस भवन में घूसी।

श्री अमर अग्रवाल :- 5 साल में उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? बस, उसका जवाब दे दो। 5 साल में न्याय नहीं मिला, आप उसका जवाब दे दो।

श्री अटल श्रीवास्तव :- इसमें तो मुझे अपनी सरकार से भी शिकायत है कि 5 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हम बदलापुर की राजनीति नहीं करते हैं, हम शुचिता की राजनीति करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, माननीय अटल श्रीवास्तव जी पिछली सरकार के समय कांग्रेस में प्रदेश के महामंत्री थे और अपनी ही सरकार में अपने विरूद्ध हुए प्रकरण में न्याय नहीं पा पाये। आज वे बहुत दुहाई दे रहे हैं और वे कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अपराधियों को कांग्रेस में पदाधिकारी बनाओगे और क्या कार्रवाई नहीं होगी क्या ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठिए न। उमेश पटेल जी, आप बोलिए।

श्री उमेश पटेल :- अगर सारे किस्से कहानी सुनाना चाहते हैं तो पूरा मौका दीजिए। यहां एक-एक सदस्य किस्से, कहानी सुनाएंगे।

सभापति महोदय :- मैंने मना किया है कि कोई किस्सा कहानी नहीं होगा, लेकिन अगर अग्रवाल जी बहुत सीनियर लीडर हैं और अनुभवी सदस्य हैं, उनके शहर का मामला था तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा और वे बोलें तो उनको अवसर देना ही पड़ेगा। बाकी कोई मत बोलिए। मूणत साहब, आप भी मत बोलिए।

श्री राजेश मूणत :- नहीं-नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। सभापति की चेयर पर भी बिलासपुर, उधर भी बिलासपुर, इधर भी बिलासपुर, ये भी बिलासपुर, अरे भैया बिलासपुर में आपस में बैठकर निपट लेना न। (हंसी)

सभापति महोदय :- चलिए, बिलासपुर में एक दिन बैठकर चाय पी लेंगे। एक दूसरे के बारे में वहां बात कर लेंगे। (हंसी) आप समाप्त करिए।

श्री अटल श्रीवास्तव :- हमारे माननीय सदस्य श्री सुशांत शुक्ला जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का शासन था। अमर अग्रवाल जी मंत्री थे। सुशांत शुक्ला के ऊपर सिविल लाइन थाने में एफ.आई.आर. दर्ज होती है, एक पुलिस महिला कांस्टेबल इनके ऊपर हाथ छोड़ती है और मैं ही वह आदमी था, जो दिलीप सिंह जूदेव जी के पास गया था कि प्रशासनिक आतंकवाद चल रहा है। तब उन्होंने पहले ही प्रेस-कांफ्रेंस में कहा था कि प्रशासनिक आतंकवाद का खत्म होना चाहिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मेरा नाम आया है तो सुनना पड़ेगा। मुझे माननीय न्यायालय ने संबंधित प्रकरण से न्याय-दृष्टांत दे दिया था न। यही मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- हुआ था न?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सुशांत शुक्ला :- यही मैं पूछना चाहता हूं कि अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वे अपराधी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं तो तकलीफ किस बात की है? यह आप बताएं।

सभापति महोदय :- सुनिए, सुशांत जी, हम लोग सब एक-दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं। बोलने का कोई मतलब नहीं है, अभी चुप रहिए । (हंसी) आप खत्म करिए। श्रीमती यशोदा जी।

श्रीमती कविता प्राण लहरे (बिलाईगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहथव, मैं जानथव कि मोला बोले के पारी नहीं मिले..।

सभापति महोदय :- मैंने तो इनको बुलाया है।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- केवल एक मिनट के लिए समय दीजिए।

सभापति महोदय :- मैं आपको वैसे ही टाइम दूंगा न। नियम के अनुसार टाइम दूंगा। आप दो मिनट बैठिए तो। आप बैठिए न। मैं आपको टाइम दूंगा। आप बोल लीजिए। इनको पहले बोला हूं। आपको भी टाइम दूंगा। नहीं मिलेगा जबर्दस्ती क्यों बोल रही हैं? सबको बोलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा (खैरागढ़) :- धन्यवाद, सभापति महोदय, मेरे हिसाब से कानून की सुरक्षा न सिर्फ भा.ज.पा. के लिए और कांग्रेस के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी सुरक्षा होना चाहिए और आज हम सभी लोग कानून सुरक्षा को लेकर यहां पर बात रखे हैं। मैं ज्यादा लंबा तो नहीं बोलना चाहती, बस इतना ही बोलना चाहती हूं कि मेरे गृह ग्राम देवारीभाठ की घटना है। 19 मई को हमारे खैरागढ़ थाना के अंतर्गत ग्राम देवारीभाठ निवासी राजेश्वर वर्मा पिता अलखराम वर्मा, जो 18 मई की रात को अपने खेत के बोर बंद करने के लिए गया था और 19 मई सुबह जब खेत में गये तो ग्रामीणों ने देखा कि वहां मृत अवस्था में खेत में मिला। फिर पुलिस विभाग को फिर फोन किये। वहां पुलिस की टीम भी आयी और उसको लेकर गयी और पोस्टमार्टम किये, हॉस्पिटल में लेकर गये, एक महीने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आयी तो गला घोटकर हत्या की गयी है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा अभी तक हत्यारे को नहीं पकड़ा गया है। ये मेरे ही गांव अर्थात् एक विधायक के गांव में हत्या हुई है और आज तक उसके माता-पिता पुलिस के पास बार-बार जाते हैं, पूछते हैं कि मेरे बेटे की हत्या हुई है, उस हत्यारे को कब पकड़ोगे? पुलिस कोई जवाब नहीं देती। फिर हम सभी ग्रामवासी लोग एस.पी. के पास ज्ञापन सौंपने के लिए गये और हम सभी लोगों ने कहा, अगर आप जल्दी से हत्यारों को नहीं पकड़ोगे तो उग्र आंदोलन करेंगे और थाने का घेराव करेंगे। 20 जून को हम लोगों ने थाने के घेराव की सूचना दे दी थी और सूचना मिलते ही 19 तारीख की रात को..।

सभापति महोदय :- आप अपना कार्यक्रम मत बताइए । यह बताइए कि क्या घटना हुई और उस पर क्या होना चाहिए ।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- घटना को ही बता रही हूं ।

सभापति महोदय :- हो गया, ज्यादा लम्बा मत खींचिए ।

श्रीमती यशोदा निलम्बर वर्मा :- केवल एक मिनट, सभापति महोदय । 20 जून को थाना का घेराव करने वाले थे और 19 जून को रात में पुलिस विभाग की तरफ से और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उसके घर जाकर कहा कि आप थाने का घेराव करोगे तो जिस तरह का कांड बलौदाबाजार में हुआ, वैसे ही तोड़फोड़ होगी, वैसे ही आंदोलन होगा फिर उसके बाद एफ.आई.आर. होगा तो तुम्हारे ऊपर होगा । उसके पिता पर इस तरह दबाव डाला गया और आंदोलन नहीं होने दिया गया । इस तरह धमकी देने का काम कर रहे हैं, इसके बाद भी पुलिस विभाग मौन है । अभी तक हत्यारों को नहीं पकड़ा गया है । मैं सदन के माध्यम से केवल यही कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हत्यारों को संरक्षण देने का काम कर रही है । हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस परिवार को न्याय मिले । उस बेटे को न्याय मिलना चाहिए, केवल इतना ही निवेदन है ।

सभापति महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा । श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े ।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- सभापति महोदय, आज कांग्रेस के साथी लोग कानून की लचर व्यवस्था की बात कर रहे हैं, राग आलाप रहे हैं । 2018-19 में कांग्रेस की सरकार बनी और जशपुर में एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा मारा गया, जिसकी मृत्यु हो गई और उस समय कानून व्यवस्था इतनी लचर थी कि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई । धरना, प्रदर्शन किया गया लेकिन एफ.आई.आर. नहीं हुआ और स्थानीय विधायक ने उस समय संरक्षण देने का काम किया ।

सभापति महोदय :- आप बैठिये ।

श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े (सारंगढ़) :- सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सारंगढ़, विकासखंड बरमकेला में कल कांग्रेस के कार्यकर्ता का रात 8 बजे मर्डर कर दिया गया है । हरिराम पटेल ग्राम करपी का है । इसमें अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है । मैं मांग करती हूं कि किसने इसको मारा है और मारकर बाहर फेंक दिया गया है । यह पुलिस की कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप है । ऐसी घटनाएं सारंगढ़ विधान सभा के साथ साथ पूरे प्रदेश में हो रही हैं । अभी दो महीने पहले सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 8-9 बजे रात में चाकूबाजी की घटना हुई । जब मैं लोक सभा के चुनाव प्रचार से घर आ रही थी, यह घटना उस समय हुई । चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे युवाओं के साथ हो या हमारी बेटियों के साथ रहे, ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है । केवल सारंगढ विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हो रही हैं । कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं इन घटनाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए । हरिराम पटेल, ग्राम करपी, बरमकेला ब्लॉक से है । बरमकेला डोंगरीपाली क्षेत्र का है वहां सरपंच प्रतिनिधि को बीजेपी के नेता द्वारा घर बुलाकर मारपीट की गई है । यह बहुत गलत है । ये कह रहे थे कि कांग्रेस वाले मारपीट करते हैं । हमारे समाज का हो या हमारी पार्टी का हो, हम ऐसा काम नहीं करते । ये भारतीय जनता पार्टी के नेता घर बुलाकर साजिश करते हैं ।

सभापति महोदय :- हो गया, आप कानून-व्यवस्था पर बात करिये, समाज वमाज पर कोई बात नहीं करना है ।

श्रीमती कविता प्राण लहरे (बिलाईगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, 17 मई के मोर बिलाईगढ़ विधान सभा मा ग्राम थरगांव में एक घर में पांच सदस्य के मर्डर होए हे अउ ओखर मुजरिम अभी तक पकड़ाए नइ हे । ओखर परिवार ला न्याय नइ मिले हे । मैं सदन से, आपसे निवेदन करथौं ओ घटना के सीबीआई जांच करे अउ मुजरिम ला पकड़े ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, इन बहन जी का नाम ही कविता प्राण लहरे है ना ।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- हां ।

सभापति महोदय :- कविता जी एक मिनट चुप रहिए ।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- उस पीड़ित परिवार ला न्याय मिले अउ पर्याप्त मुआवजा मिले ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका नाम बहुत सुना था, चेहरा याद नहीं आ रहा था, बलौदाबाजार में भी आप थीं शायद ।

सभापति महोदय :- चलिए हो गया, चन्द्राकर जी उनको बोलने दीजिए ।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- सभापति महोदय, न्याय मिले और पर्याप्त मुआवजा मिले। मैं आपसे कहना चाहत हौं, मोर बिलाईगढ़ विधान सभा में नगर पंचायत पौनी में अवैध शराब बिक्री होत हे और नकली टेबलेट बिक्री होत हे।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, कविता जी आप तो 10 जून को बलौदाबाजार में बहुत बोल चुकी हैं। अब यहां कितना बोलेंगी।

सभापति महोदय :- मंत्री जी उनको बोलने दीजिए।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- बलौदाबाजार में कानून व्यवस्था ठीक रतिस ता उतना बड़े घटना नई होतीस।

सभापति महोदय :- मंत्री जी उनको बोलने दीजिए। आप जल्दी बोलिए।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- सभापति महोदय, बिलाईगढ़ विधान सभा में नगर पंचायत पौनी में अवैध शराब बिक्री, जुआ, सट्टा और नशीली टेबलेट मिलथे। मेन रोड में अवैध काम करे जाथे, बच्ची मन पढ़े के लिए भी जाथे तो एखर भी आप मन कानून सुरक्षा व्यवस्था करव।

सभापति महोदय :- संगीता जी आपको बोलना है ? मैंने आपका नाम पुकारा था, आप नहीं थीं। आपको रहना चाहिए था।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- सभापति महोदय, एक मिनट। मैं ज्यादा समय लेना नई चाहव। जैसे कि अभी गिरौदपुरी के अमरगुफा मरकोनी गांव में कांड होय हे, ऐसे कोई दोबारा घटना न घटे ऐखर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सेती वहां सी.सी.टी.व्ही. और कानून व्यवस्था ठीक करे, ऐसे मैं मांग करथव। सभापति महोदय, आप मोला बोले के समय दे हो, ओखर लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- ठीक है धन्यवाद। संगीता जी, लंबा नई करना है। आप प्वाईंटेड बात करिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों ने स्थगन लाया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसे ग्राह्य किया जाएगा और इसमें चर्चा कराई जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के गुरूर गांव में एक महिला है, वह थाने में रिपोर्ट कराने गई थी। मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई देती हूं कि आप लोगों ने ऑनलाईन रिपोर्ट चालू की है। सबसे पहली वह महिला आनलाईन रिपोर्ट...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी आपके भाषण में कुछ बोलते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति जी, एक सूचना आपको देनी थी, चूंकि सदन चल रहा है। अब इस स्थगन का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि प्रदर्शन लगभग समाप्त हो चुका है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है।

श्री उमेश पटेल :- मैं भी आपकी अनुमति से खड़ा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी मैं बोल रहा हूं, उसके बाद अनुमति दे दीजिए।

सभापति महोदय :- एक मिनट, मैं इसके बाद आपको अनुमति दूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- दूसरा, माननीय विधायक देवेन्द्र यादव जी पानी बौछार खाते फोटो खींचवाकर, वीडियो बनाकर उसको वायरल भी कर चुके हैं और सुरक्षित हैं। मैं सभी सदस्यों की जानकारी के लिए यह सूचना भी देना चाहता था। पानी वगैरह का फोटो खींचवाकर वायरल हो गया है। चूंकि प्रदर्शन समाप्त हो चुका है तो जो असली विषय है उसमें चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है।

सभापति महोदय :- चर्चा तो होगी। अब सदन में हैं तो चर्चा होगी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सदन का समय बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय :- बस चर्चा अब समाप्ति की ओर है। आप बोलिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में या हमारे गांव की भाषा में कुछ लोगों को हम लोग ज्ञान बईहा बोलते थे। आप समझ रहे हैं ना।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, महिलाओं को लेकर यह बहुत ही गंभीर विषय है, गंभीर बात है। प्रेरणा साहू नाम की एक महिला है, उन्होंने थाने में ऑनलाईन रिपोर्ट दी। सभापति महोदय, मुझे अच्छे से बोलने दिया जाए, बार-बार डिस्टर्ब हो रहा है।

सभापति महोदय :- कौन डिस्टर्ब कर रहा है ? अभी तो आपको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा है। आप अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाईए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, प्रेरणा साहू ने ऑनलाईन रिपोर्ट दर्ज कराई। ऑनलाईन रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ, उसके बाद वह अपने पति के साथ थाना गयी। थाना जाकर वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए अपना आवेदन दिया। वह छेड़खानी का आवेदन था। वहां के साहब ने, पुलिस प्रशासन ने जब छेड़खानी का आवेदन पढ़ा, उसके बाद उनको यह कहा जाता है कि छेड़खानी सामूहिक जगह में नहीं होता है, एकांत में होता है। सभापति महोदय, कितनी लज्जा की बात है। आज तक उनका एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुआ है। मेरा यह कहना है, जब कोई भी महिला थाना जाती है तो कम से कम पुलिस प्रशासन का यह फर्ज होता है कि उसका एफ.आई.आर. दर्ज करें। उन्होंने उनको यह बोलकर वापस कर दिया कि छेड़खानी एकांत में होता है, सामूहिक जगह पर नहीं होता है। यह सबसे बड़ी लज्जा की बात है। अगर आपके शासन में महिलाओं के प्रति इतनी असंवेदनशीलता दिखाई जाएगी तो महिलाएं कहां से सुरक्षित रहेंगी ? आप बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का बड़ा-बड़ा नारा लगाते हैं। सभापति महोदय, मैंने तो यह महसूस किया है। मैं यह नहीं कह रही हूं, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रही हूं, जो घटनाक्रम हुआ है, मैं उसको बता रही हूँ । गुंडरदेही विधान सभा की जो बच्ची है...।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रही है, आपका और अजय जी का मामला चलता रहता है, उधर करो ना भई ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, मैंने अपनी बात रखी है कि यह स्थिति है, बाकी मेरे साथियों ने अपनी बात रखी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चल नहीं रहा है, नही तो अभी मेरे खिलाफ व्हिप जारी हो गया ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैंने मुद्दे की बात की है, महिलाओं के साथ यह स्थिति है कि वहां पर एक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होता है ।

सभापति महोदय :- अब आगे बढ़िये ना ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- इसे गंभीरता से लेना चाहिये ।

सभापति महोदय :- संगीता जी, यह तो मामला आ गया । और जो है ?

श्री राजेश मूणत :- आप सीनियर विधायक हो और आपके क्षेत्र में अगर आपकी जानकारी में है, आप जायें और थाने में एफ.आई.आर. न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है ?आपने भी नेतागिरी स्टाईल में कह दिया होगा । जैसे आज आप फार्मेलिटी करने के लिये इस तरह ले देकर आये हो और कल एक समाचार बनाओगे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर दादागिरी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस की महिला है करके रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाये । सिर्फ कांग्रेस की महिला है, इस कारण से रिर्पोट दर्ज नहीं किया गया । यह कितनी शर्म की बात है । आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं बहुत प्रेम से बात कर रही हूँ ।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप आसंदी के तरफ देखकर अपनी बात पूरी तरह इत्मिनान से शांति से बोलिये । गृह मंत्री भी इत्मिनान से सुन रहे हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मुझे विश्वास है कि अब एफ.आई.आर. दर्ज होगा। मैं चाहती हूँ कि इसमें कार्यवाही हो । सभापति महोदय जी, दूसरी बात हम पखांजूर क्षेत्र गये थे, उसके बावजूद अभी बीच की घटना नारायणपुर की है, नारायणपुर मंत्री का क्षेत्र है और वहां 2 शिक्षक खुले आम बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करते थे, उसको कोई संज्ञान में नहीं लिया गया था । वहां जब हमारी टीम गई और उनके पैरेंट्स से मिली कि आपने रिर्पोट दर्ज कराया है, वहां कोई कार्यवाही नहीं हुई थी । सभापति महोदय जी, उन बच्चियों के साथ अश्लील हरकत किया जाता था, उनको धमकी दिया जाता था, उनको 5 सौ रूपये का लालच दिया जाता था, उसके बाद वहां पर कोई एफ.आई.आर. दर्ज करने को तैयार नहीं है । सभापति महोदय, जब हमारी टीम वहां गई तो उसके बाद एफ.आई.आर. दर्ज हुआ । जब महिलाओं की यह स्थिति है...।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, नारायणपुर में भाजपा के जिलाध्यक्ष के विरूद्ध जो कार्यवाही इनके सरकार ने की है, उसको भी दृष्टिगत रखना चाहिये । लोकतंत्र की हत्या ...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, गुंडरदेही में ...।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मेरा पाईन्ट ऑफ आर्डर है ।

सभापति महोदय :- जी, आप बोलिये ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, स्थगन की ग्राहता पर चर्चा हो रही है और आपकी अनुमति से हो रहा है । इस प्रकार से बार-बार पुराने कार्यकाल की अगर चर्चा करेंगे तो फिर से आपको आग्रह करूंगा कि आप व्यवस्था दीजिए कि इस कार्यकाल की चर्चा हो ।

सभापति महोदय :- मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग भी मत बोलिये। एकाध बहुत जरूरी है तो मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ । इस तरफ से भी तो तीन लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं । मैं तो उनको बोल रहा हूँ कि इत्मिनान से बोलिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मेरे विधान सभा में दो साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है । गुंडरदेही विधान सभा में जब बच्ची काम करके लौट रही थी, दो-दो, तीन-तीन, दरिंदों ने रेप किया है । शाम के समय चार दरिंदों ने उनके साथ रेप किया है, रात भी नहीं हुआ था । सभापति महोदय, यह पुलिस प्रशासन है, यहां किसी को दहशत नहीं है और इनकी पार्टी के लोग अपना दहशत

चलाते हैं । सभापति महोदय, वहां बातें करते हैं कि हमारा चलेगा और क्या बोलते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री से फोन आया है, हमारा गृह मंत्री से फोन आया है, यह बोलते हैं ?

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, यह आपत्तिजनक है, सदन के सदस्य पद पर हैं, सरकार के पद पर हैं, उनका नाम लेकर उल्लेखित किया जा रहा है ।

श्री रामकुमार यादव :- यह बार-बार उठथे, बैठावव भई । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- मुख्यमंत्री किसको फोन करेंगे, उसका क्या साक्ष्य है...(व्यवधान)

सभापति महोदय :- आपत्तिजनक होगा तो निकाल देंगे । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ के कानून और व्यवस्था में चर्चा होवथे महाराज । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- पटेल जी बोल रहे हैं ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, उसमें क्या आपत्तिजनक बात है...। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- वर्तमान पदधारी प्रशासन का नाम लेकर बगैर साक्ष्य फोन किया जा रहा है, यह कहा जा रहा है । यह कोई सामान्य चर्चा नहीं है..(व्यवधान)

सभापति महोदय :- आपत्तिजनक होगा तो बाहर कर देंगे । अगर वहां के लोग ऐसा बोलते हैं, इन्होंने थोड़ा कहा है कि आप फोन लगाते हो ?

सभापति महोदय :- ठीक है ना, उसको दिखवा लेंगे । कोई दिक्कत नहीं है, आप समाप्त करिये संगीता जी ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- देखिये, मैं एक छोटी सी अपने विधान सभा की बात कर रही हूँ ।

समय :
5:00 बजे

सभापति महोदय :- आप अपनी बात जल्दी समाप्त करिए, अभी 2-3 लोगों से और बोलवाना है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, चोरी की वारदात इतनी बढ़ गई है कि वहां पर चोर चोरी करता है, अच्छे से खाना खाता है और वहां पर वॉशरूम भी उपयोग करते निकल जाता है, उनको इतना समय मिल रहा है, यह स्थिति है। सभापति जी, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इस स्थगन को ग्राह्य किया जाये, ताकि हम विस्तृत चर्चा कर सकें, इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री प्रबोध मिंज :- सभापति महोदय, चोर जाता है, आराम से चोरी करता है बाथरूम भी करता है । उनको यह सब कैसे मालूम ?

सभापति महोदय :- आप छोड़िए न ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, आजकल मंदिर में चोरियां बढ़ गई हैं, लोग चढ़ावा चढ़ाना भी भूल गए हैं । मंदिर भी सुरक्षित नहीं है । मैं निवेदन करती हूं कि इस स्थगन को ग्राह्य किया जाये ।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, आप दो मिनट में अपनी बात खतम करिए । इसमें आपकी पार्टी की ओर से जो नाम है, मैं वही बोल रहा हूं ।

श्री राजेश मूणत :- द्वारिका भैया, आप आन्दोलन में जाकर आये हैं, आपने जो सफेद कपड़ा पहना है, उसमें हलका सा दाग भी नहीं दिख रहा है । आपका क्या शानदान आन्दोलन था, कपड़े में एक दाग नहीं है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जैसे गांधी जी आन्दोलन करते थे, वैसे ही हम कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, आप विषय में रहिए न ।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- सभापति महोदय, मैं स्थगन की ग्राह्ता पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं । वास्तव में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है । आजादी के बाद छत्तीसगढ़ में आजतक ऐसा कानून व्यवस्था और ऐसे अपराधों की संख्या नहीं बढ़ी, जितनी अभी बढ़ी है । मेरे महासमुंद जिले में 1 जनवरी से आजतक 1750 मामले दर्ज हो चुके हैं । आदरणीय गृहमंत्री जी, आपके क्षेत्र में भी औसतन यही स्थिति है । महत्वपूर्ण बात यह है कि हम विपक्ष में है, करके स्थगन नहीं लाये हैं, कानून-व्यवस्था खराब है इसलिए हमने स्थगन नहीं लाया है । हम चाहते हैं कि जनता के हित में कानून हो, अपराध न हो । एक समय था, जब छत्तीसगढ़ में बस्तर में नक्सलियों के द्वारा अपराध में काफी बढ़ोत्तरी की गई थी, लोग बस्तर छोड़कर रायपुर आते थे । आज राजधानी छोड़कर लोग गांव में बसने के लिए मजबूर हो रहे हैं । मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने गैर जमानतीय अपराध कायम हुए हैं, जो रिकार्ड में आये हैं, लेकिन आपको गुमराह करने के लिए कई जिलों में इसकी संख्या कम हो, यह सोचकर पुलिस अधीक्षक उसमें गैर जमानतीय अपराध भी लगा रहे हैं । मेरे ही विधान सभा में आप जांच करवा लीजिए। बागबाहरा थाने में जो व्यक्ति घर में घुसकर राड से हमला करते हैं, उसके बाद भी धारा 307 नहीं लगी । पीड़ित 10 दिन एडमिट था । मैंने पुलिस की कार्रवाई पहले देखी थी कि जब डंडा से या धारदार हथियार से वार किया जाता था तो जान लेने की नीयत से भी धारा 307 लगाई जाती थी, लेकिन मरीज 10 से 15 दिन सीरियस है, डॉक्टर लिखते है कि वह व्यक्ति गंभीर है, उसके बाद भी धारा 307 नहीं लगाई जाती । अपराध बढ़ने का कारण है कि पुलिस के साथ अपराधी की दोस्ती है । सभापति जी, माननीय गृहमंत्री जी, छत्तीसगढ़ में आपकी पुलिस कैसे काम कर रही है, यह मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं । मैंने पिछले सत्र में आपसे निवेदन किया था कि नर्रा उड़ीसा बार्डर से लगा हुआ है, उधर से गांजा सप्लाई होते हैं । आपने घोषणा की थी तो वहां पुलिस सहायता केन्द्र खुली, लेकिन आपके एस.डी.ओ.पी. कैसे काम करते हैं ? जिसने दो साल पहले

पुलिस की गाड़ी जलाई थी, वे ही आरोपी अतिथि हैं, जो फीता काट रहे हैं । ऐसे लोग जब पुलिस सहायता केन्द्र का उद्घाटन वे अपराधी करेंगे और उनसे दोस्ती करेंगे तो अपराध कैसे कम होगा ? पुलिस मित्र धर्म का निर्वाह कर रही है । वे शराब बेचने वालों के साथ बड़ी-बड़ी गाड़ी में आते हैं, आप पुलिस कप्तान के कार्यालय में आप सीसीटीव्ही निकलवाईए ।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करिए ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- सभापति जी, द्वारिकाधीश जी आपकी सरकार के समय में तो खुले आम ट्रक का ट्रक शराब दो नम्बर की दुकान में बिकती थी । आज शराब के बारे में क्या बात करेंगे ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी, देखिए ।

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी की तरफ मत जाईए, इधर आईए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति जी, अगर ऐसा हुआ है तो आपको पूरा पावर है, आप 7 महीने की जांच क्यों नहीं करवाते ? आपके पक्ष के लोग ही बोल रहे हैं कि जांच करवाईए, जेल भेजिए ।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, आप विषय में आईए न । आप उनकी बातों पर स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं केवल और केवल विपक्ष के सदस्य नाते नहीं बोल रहा हूं । छत्तीसगढ़ की पहचान शांति प्रिय प्रदेश के रूप में है। गृहमंत्री जी मैं आपको दुर्भावना से नहीं बोल रहा हूं। हो सकता है कि आपके पीछे भी यह साजिश हो सकती है और बाद में यह बोला जायेगा कि गृहमंत्री जी से प्रदेश नहीं संभल पा रहे हैं। आप युवा मोर्चा से आए हैं। प्रदेश के युवाओं को उम्मीद थी। आप अंदाजा लगाईये कि किसी मां के बेटे की हत्या हो रही है, किसी पत्नि के पति की हत्या हो रही है। पहले रायपुर से घर से निकलते थे तो खुशी-खुशी निकलते थे, लेकिन अब राजधानी में यह स्थिति है कि परिवार का सदस्य जब तक घर नहीं पहुंचता, घर का वरिष्ठ और पालक को चिंता रहती है कि उसकी वापसी होगी या नहीं। सभापति महोदय, एक समय था जब छत्तीसगढ़ के लोग जंगल जाते थे और जब जंगल से वापस आते थे तो कुछ घरों में उनकी आरतियां होती थीं कि जंगल से बचकर आ गया। अब स्थिति यह है कि राजधानी और बिलासपुर या किसी भी शहर में हैं, तो जब तक घर नहीं लौटते तब तक परिवार के लोग चिंतित रहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, झीरमघाटी कांड हुआ। झीरमघाटी कांड, पुलिस प्रशासन की गलती से हुआ और वैसी गलती फिर हो रहा है। गृह मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या पूर्व विधायकों की जान नहीं है ? अगर उनको भी एक पी.एस.ओ. दे दोगे तो क्या दिक्कत है ? केवल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायकों को पी.एस.ओ. दिया गया है और कांग्रेस या अन्य दलों के पूर्व विधायकों को पी.एस.ओ. नहीं दिया गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं,

बाद में बात आयेगा, कहीं पूर्व विधायकों के ऊपर अनहोनी हो गया तो आपके ऊपर आयेगा। इसलिए उनको भी समय रहते पी.एस.ओ. दिया जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आप इसे ग्राह्य कर चर्चा करायें।

सभापति महोदय :- मैंने तो बता दिया कि आप (डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष) बोल रहे हैं, गृहमंत्री सुन रहे हैं, अधिकारी सुन रहे हैं। अब आपको ही बोलना है।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि मनोरा आसता में दोहरा हत्याकाण्ड हुआ था। न्याय मांगते-मांगते आज 3 साल हो गया है। पति-पत्नि दौड़ा-दौड़ाकर को मारा गया। लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद भी पिछली सरकार ने पता नहीं कैसे साक्ष्य मिटा दिया, उनके 4-5 साल के दोनों बच्चें अनाथ हो गए, उनके माता-पिता को दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया था। आज तक अपराधी नहीं पकड़े गये हैं। उस समय भी कानून व्यवस्था लचर थी।

सभापति महोदय :- नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा, नेता जी से एक छोटा सा आग्रह है। नेता जी अपना भाषण देंगे। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसके सन्दर्भ में पटेल जी ने कहा। मैं उसके बाद की एक-दो घटना के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में भी अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से क्या अभिमत है, उसके बारे में भी थोड़ा सा उल्लेख करियेगा। पखांजूर की घटना है। पखांजूर में दिन दहाड़े ..।

समय
5.04 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। मैं तो यह कह रहा हूं कि अभी ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है। आप ग्राह्य करा लीजिये, आपको जितना बोलना है बोलिये। आप तो संसदीय कार्यमंत्री हैं। आप स्थगन स्वीकार कर लीजिये, ट्रेजरी बैंच को ही स्वीकार करना है। आप स्वीकार कर लीजिये और चर्चा कराईये। कल जैसे रात 9-10 बजे तक बैठे थे, आज फिर रात भर बैठेंगे।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह विषय था कि अभी हमारे सभी सदस्य लगातार धारा प्रवाह अपने अपने क्षेत्र के बारे में बोल रहे थे। हम बस्तर के रहने वाले हैं इसलिए मैं पखांजूर की बात कह रहा था कि एक असीम राय, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे, उसको पखांजूर में दिन दहाड़े गोली मार दी गई। जिसने गोली मरवाया, वह कांग्रेस का नेता था। और तो

और नारायणपुर में जो विक्रम बैस के साथ घटना घटित हुआ, जो आपकी पार्टी का था, उसको जो मारने वाला था, वह भी आपके कांग्रेस पार्टी का विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- हमने क्या उसका समर्थन किया है, जो आप बचाव में खड़े हो रहे हैं भाई ? जो गलत किया है, वह सजा पाये, जिसने गलत किया है, उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन जो गलत हो रहा है, उसमें भी कार्रवाई नहीं करते हैं, यह गलत है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे प्रतिपक्ष को आईना दिखा रहा हूं कि आपकी पार्टी में किस तरीके से आपराधिक तत्व हैं, जो थाने में जाकर मारपीट कर रहे हैं और गोली मार रहे हैं। इसपर आप लोग क्या कर रहे हैं और कैसे रोक लगा रहे हैं ? बाकी तो सरकार है और सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। चाहे जो भी हो, लेकिन आप लोगों के भी ध्यान में आना चाहिए कि यह गलत है।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय मंत्री जी।

श्री रामकुमार यादव :- जनप्रतिनिधि के जतका अकन अपमान होवत हे। चुने हुए जनप्रतिनिधि के अपमान होवत हे। आपके दरोगा, आपके पुलिस, आपके एस.पी. फोन तक नहीं उठाए अऊ आप मन के निर्देश में चलत हे। वही एस.पी., कलेक्टर मन पहिली कइसे सुनत रीहिस हवे ? आप मन ए प्रस्ताव ला स्वीकार कर लो अऊ चर्चा होवन दो, फेर देखे जाही कि का होवत हे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये यादव जी। माननीय महंत जी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, मैं यह नहीं जानता हूं कि आप आपके लिए बात करेंगे या नहीं करेंगे, परंतु आप जब भी खड़े होंगे, तब मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा और टेबल ठोकूंगा।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 4 घण्टों से सिर्फ ग्राह्यता पर विचार चल रहा है कि इसको ग्राह्य किया जाए या नहीं किया जाए। आपने हमारे पक्ष के सभी साथियों की बातें सुनी। इस बीच में विपक्ष के साथियों ने तरह-तरह से उन्हें डिस्टर्ब करने और बाधा डालने का प्रयास किया। मैं इन सब बातों को देख रहा हूं, सोच रहा हूं और समझ रहा हूं। अब मैं अपनी बात नहीं कहूंगा। मेरे पक्ष के सभी साथियों ने जो बात कही है, उस पर मैं अपना समर्थन देते हुए समय का ध्यान रखते हुए सिर्फ सरकार की बात करना चाहता हूं। हालांकि मैं सरकारी आदमी नहीं हूं, मगर माननीय गृहमंत्री जी, आपकी सरकार ने मेरे अतारांकित प्रश्न क्रमांक-588 का जो उत्तर दिया है। मुझे यह पता नहीं है कि यह उत्तर आपने दिया है या आपके विभाग ने दिया है, मगर आपके विभाग ने हमने दिसम्बर, 2023 से लेकर 30.06.2024 तक की जो अवधि दी है, उस अवधि में उन्होंने बताया है कि पूरे प्रदेश में कुल 29 डकैती हुए हैं। यदि आप जिलेवार कहें तो मैं जिलेवार आपके उत्तर के परिशिष्ट को पढ़ सकता हूं। दूसरा, आपने सिर्फ 6 महीने में 562 हत्या की बात को स्वीकार किया है। शायद अब साढ़े 6 महीने हो रहे होंगे। आपने लूट की संख्या 215 दी है। यह हम लोग नहीं दे रहे हैं।

आपने सामग्री चोरी की संख्या 5,020 दी है। दुष्कर्म, जिसमें हमारे बाल-बच्चे और छोटी-छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बात हो रही है तो आपकी सरकार ने उसकी संख्या 1,576 दी है। आपने महिला उत्पीड़न की संख्या 859 दी है, आपने महिला की तस्करी की संख्या 9 दी है, आपने ठगी की संख्या 484 दी है, नौकरी लगाने के नाम पर 99 ठगी हुई है, नशीले पदार्थों की तस्करी की 713 घटनाएं हुई हैं, अपहरण की 2,051 घटनाएं और हत्या के प्रयास की 477 घटनाएं हुई हैं। ये आपराधिक आंकड़े आपने दिये हैं और विधान सभा सचिवालय से छपकर हमारे पास आये हैं। यह अतारांकित प्रश्न क्रमांक-588 है। यदि इन सबका जोड़ उन्हीं के हिसाब से किया जाए तो पिछले 6 महीने के अंदर 12,458 घटनाएं हुई हैं। गृहमंत्री जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं या प्रश्न को खोज रहे हैं ? यदि आप प्रश्न को खोज रहे हैं तो मैं इसको भेज दूं ? आपने इसमें कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है ? सिर्फ 8,360। तो आपके यहां तरह-तरह की 12,458 घटनाएं हुईं, जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने की। क्या आपको एक घटना के लिए एक आदमी जवाबदार नहीं मिला ?   एक दुष्कर्म के लिए एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ? एक हत्या के लिए एक आदमी हत्या का दोषी नहीं मिला? आखिर इतने कम आंकड़े आपने दिए हैं, यह मैं नहीं दे रहा हूं। अब इसमें पुलिस का संरक्षण मिल रहा है, कहें तो सबको तकलीफ हो रही है। इसको हम कहें कि अपराधी सरेआम घूम रहे हैं, तो आप सबको तकलीफ हो रही है। इसको हम कहें कि कम से कम एक अपराधी एक अपराध में गिरफ्तार कर लो, तो आप कह रहे हैं कि दबाव डाल रहे हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप अगर इन बातों को सुनकर ग्राह्यता के लिए तैयार नहीं होंगे, तो हम कब, कैसे अपनी बातों को यहां पर रख पाएंगे? मैंने कोई अपनी बात नहीं की, चांपा, सक्ती, बिलासपुर और पेन्ड्रा की बात नहीं कीबल्कि मैं तो पूरे आंकड़े आपके ही दे रहा हूं, सरकारी आंकड़े दे रहा हूं, पुलिस के आंकड़े दे रहा हूं और उसके बाद आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब सुन लीजिए, बहुत हो गया है, हमारी बात सुन लीजिए, इसे ग्राह्य कर लीजिए, उसके बाद हम आपके सामने पूरी बात रखेंगे। धन्यवाद।

गृह मंत्री (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखीं, परंतु एकमात्र नेता प्रतिपक्ष जी ने ही प्रदेश का विषय रखा, अन्यथा सबने अपने क्षेत्र की बात, अपने क्षेत्र की समस्या से संबंधित विषयों को रखा है। यह आंकड़ा अच्छा है, बड़ा है, छोटा है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ लेकिन यह अनूठा हो गया, बहुत ऐसा हो गया है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंकड़ों के संदर्भ में पूरी जानकारी मेरे पास है और इसी कालखंड के वर्ष 2021, 2022, 2023 के आंकड़े मेरे पास हैं। मैं उसमें comparison नहीं कर रहा हूं कि पिछले समय ऐसा होता था, तो अभी लाज़मी हो गया, अभी उचित हो गया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। इस बात का ऐसा गलत अर्थ न निकाला जाए। मैं यह कह रहा हूं कि जब भी पुलिस की ऐसी घटनाएं हैं या जो भी बातें हैं, तो उसका आंकलन कुछ ऐसे ही किया जाता है कि पहले घटनाएं क्या थीं और अभी की घटनाओं के आंकड़े क्या हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल जी की सरकार के किसी भी छः महीने निकाल लीजिए और आपके छह महीने की चर्चा कर लीजिए। दोनों का अंतर देख लेंगे, फिर हम कहेंगे कि आप इसे स्वीकार करें या न करें।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम बाकी बातें जो मुझे कहनी है, उस सबसे पृथक सर्वप्रथम मैं यही बात कह रहा हूं। ये जो आंकड़ा मुझे आपसे कहना है, जनवरी से जून तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस प्रकार छः महीने होते हैं। जो आंकड़ा अभी मेरे पास है वह जनवरी से जून तक है।

हत्या के आंकडे

जनवरी से जून तक वर्ष 2021 में - 503
जनवरी से जून तक वर्ष 2022 में - 510
जनवरी से जून तक वर्ष 2023 में - 500
जनवरी से जून तक वर्ष 2024 में - 499

आपराधिक मानव वधके आंकडे

जनवरी से जून तक वर्ष 2021 में - 24
जनवरी से जून तक वर्ष 2022 में - 18
जनवरी से जून तक वर्ष 2023 में - 31
जनवरी से जून तक वर्ष 2024 में - 21

बलवा के आंकडे

जनवरी से जून तक वर्ष 2021 में - 410
जनवरी से जून तक वर्ष 2022 में - 490
जनवरी से जून तक वर्ष 2023 में - 503
जनवरी से जून तक वर्ष 2024 में - 372

डकैती के आंकडे

जनवरी से जून तक वर्ष 2021 में - 35
जनवरी से जून तक वर्ष 2022 में - 41
जनवरी से जून तक वर्ष 2023 में - 28
जनवरी से जून तक वर्ष 2024 में - 23

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>लूट के आंकड़े</u>

जनवरी से जून तक वर्ष 2021 में - 237

जनवरी से जून तक वर्ष 2022 में - 247

जनवरी से जून तक वर्ष 2023 में - 202

जनवरी से जून तक वर्ष 2024 में - 204

अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरे जुर्म बलात्कार के आंकड़े में आ जाता हूं, जिस विषय का उल्लेख माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने किया है,

<u>बलात्कार के आंकड़े</u>

जनवरी से जून तक वर्ष 2021 में - 1474

जनवरी से जून तक वर्ष 2022 में - 1655

जनवरी से जून तक वर्ष 2023 में - 1294

जनवरी से जून तक वर्ष 2024 में - 1291

अध्यक्ष महोदय, कुछ अन्य आंकड़े भी हैं, जिसे मैं सोचता हूं कि इन्हें उपलब्ध कराया जाना, बताया जाना चाहिए। यह जनवरी से जून के ही आंकड़े हैं। वर्ष 2021 में एन.डी.पी.एस. के 391 प्रकरण थे, वर्ष 2022 में इसी कालखण्ड में एन.डी.पी.एस. के 667 प्रकरण थे, वर्ष 2023 में इसी कालखण्ड में एन.डी.पी.एस. के 608प्रकरण थे और अभी 809 प्रकरण बने हैं। आबकारी विभाग में अवैध शराब के रूप में सभी को बहुत सारी चिंता थी। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं और मैं इस बात को बिल्कुल मान सकता हूं कि ऐसा है परंतु मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार ने जो काम किये हैं, वह ध्यान देने योग्य है। जनवरी से जून 2021 तक, 10,791, इसी कालखण्ड 2022 में 15,666, इसी कालखण्ड 2023 में, 15,560 और इस सरकार में 18,874 प्रकरण बने। मुझे नक्सल फ्रंट में बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नक्सल फ्रंट में आप सब को ध्यान है ही।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में आपके आंकड़े इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि आप 307 के प्रकरण को जमानती बता रहे हैं और आप कई लूट के प्रकरण पर अपराध कायम ही नहीं कर रहे हैं इसलिए आंकड़े कम आ रहे हैं। यदि आप वास्तविक रूप से धरातल में देखेंगे तो अपराध कायम नहीं हो रहे हैं। गैर जमानती अपराध को जमानती अपराध में बदला जा रहा है। लूट और बलात्कार को भी छेड़छाड़ का रूप दिया जा रहा है। कई लोगों के अपराध कायम नहीं हो रहे हैं इसीलिए हम चर्चा चाहते हैं। आप गैर जमानती अपराध की गिरफ्तारी के डेट की भी जांच कराईये कि अपराध कब कायम हुआ है और यदि उसमें गिरफ्तारी हुई भी है तो कितने दिन बाद हुई है। इसलिए हम आपको यह बताना चाहते हैं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय खल्लारी विधायक जी का कहना ठीक है। मैं इस विषय पर उनको बताना चाहता हूं कि जिन प्रकरणों में पहले एफ.आई.आर. नहीं किये गये, उन प्रकरणों में भी एफ.आई.आर. करके उस पर कार्रवाई करने की बात कही गई। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसका उल्लेख पहले भी हुआ है। जिला- राजनांदगांव, थाना डोंगरगढ़ में ईश्वर प्रसाद का मामला है। उसने 25 अगस्त, 2023 को आवेदन किया था और अभी 2024 में एफ.आई.आर. हुई । मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिलासपुर के थाना सकरी में कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, जिनका नाम अकबर खान है। इनकी दबंगई से रज्जब अली जी और सिद्धांत नागवंशी जी ने आत्महत्याएं की हैं, आपको ध्यान होगा। इस विषय में माननीय सदस्य उस समय बोल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी नहीं की गयी। अभी जाकर गिरफ्तारी हुई है।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, सिर्फ दू झन नहीं हे, अइसने हजारों लोग हैं। ते जेला कांग्रेस से संबंध तूमन ही करत हवव। हमन ला ये बात ले आपत्ति हे।

श्री विजय शर्मा :- माननीय रामकुमार भैया, मैं आप ला यह बताना चाहत हव कि मे हा आप ला आंकड़ा गिनावत हव, जेन आंकड़ा में पहले काम नहीं होवत रिहीसे, अभी काम होये हे। तोला तेन आंकड़ा ला गिनावत हव।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन जानबूझकर (व्यवधान) टॉर्चर करत रिहीसे।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, एक मिनट। रामकुमार जी, जब आप बोल रहे थे तो मंत्री जी चुपचाप सुन रहे थे। जब वह बोल रहे हैं तो आप थोड़ी देर धैर्य से सुन तो लीजिए। आप लोग हर बात में खड़े होकर बोलेंगे तो एक-एक सदस्य का जवाब देने के लिये थोड़ी न मंत्री जी खड़े हुए हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- यही बात हम लोगों के ऊपर भी लागू होती है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने गृह मंत्री को टोका नहीं है। आपका ध्यान आकर्षित कराये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब तो रहने दीजिये। ऐसा थोड़ी न होता है कि एक-एक सदस्य प्रश्न करेंगे और मंत्री जी हर सदस्य के प्रश्नों का जवाब देंगे। ऐसा कोई नियम भी नहीं है, कोई परंपरा भी नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, हमन यह कहना चाहत हन कि कोई अपराधी कोई पार्टी या कोई जाति का नहीं होना चाहिए। सब अपराधी एक बराबर होना चाहिए। हमन फोन करत हावय तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, एखर ऊपर एफ.आई.आर करके डाल देत हवव। अइसने मोर क्षेत्र में होये हे।

अध्यक्ष महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके शासनकाल में मेरे ऊपर स्वयं ऐसे एफ.आई.आर. किये गये थे, मैं इस विषय को अच्छे से जानता हूं (शेम-शेम की आवाज)। आप इस बात को मुझे बतायेंगे। मैं जेल में बंद था, मेरे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया था। उस समय जो कुछ हुआ

है, उसका भुक्तभोगी तो मैं भी हूं। आप इस तरीके से बात करेंगे ? मैं आपको जो आंकड़े बता रहा हूं, वह सत्य आंकड़े बता रहा हूं, आपके अपने क्षेत्र के आंकड़े बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अलग कुछ नहीं कह रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी, मैं गवाह हूं। मैं आपसे मिलने जेल गया था। मैं गया था या नहीं गया था ?

श्री विजय शर्मा :- मैं आपका आभारी हूं कि आप उस दिन मिक्चर लेकर आये थे, वह मुझे बहुत अच्छा लगा था। भाई साहब, जेल में कोचई खाते नहीं बनता था।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बताते हैं कि जेल में सिर्फ कोचई बनता है। यह मुझे पता नहीं, आप इसके बारे में भी थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोचई से आपत्ति नहीं है। मैं बताना यह चाह रहा हूं कि उसको बिना धोये बना देते हैं, आपत्ति इस बात पर है (हंसी)। अध्यक्ष महोदय, वह सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब तो वह विभाग भी आप के ही पास है। उसको धुलवा के बनवा दीजिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार में, उनके नेतृत्व में वह सारी व्यवस्थाएं ठीक की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय :- मगर अब आप धुलवा के बनवाईयेगा। (हंसी)

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी, मैं शुरू करवा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण मेरे हाथ में है, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं। आवेदन उन लोगों ने तब किया और अब जाकर एफ.आई.आर. हुई। अब तो तीन नई नीतियां बनी हैं, उसके आधार पर ऑनलाईन एफ.आई.आर. दर्ज हो सकते हैं। कोई एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए लोगों को फ्री किया गया है। इस प्रदेश की पुलिस सुनवाई करे। हमें आंकड़ों की आंकड़ेबाजी नहीं करनी है। हमें आंकड़ों को दिखाकर, यह नहीं कहना है कि हमारे प्रदेश में व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं। आप एक बलौदा बाजार की घटना की बात करते हैं तो हमें हृदय से उस बात का दु:ख है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकारता हूँ कि बलौदा बाजार का विषय बिल्कुल ऐसा है जिसे सोचकर, न जाने कितनी रातें नींद नहीं आएगी। ऐसा विषय नहीं होना चाहिए। मेरा पूरे सदन और साथियों से इस पर भी निवेदन है कि आपके पास जो भी जानकारियां हैं, जांच एजेंसियों को उसको उपलब्ध कराना चाहिए। उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। चाहे उसमें जो भी लोग गुनाहगार हों, वे सामने आने चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दूसरी बातें कहना चाहता हूँ जो उस समय एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो पाये, उसे अब दर्ज कराया गया । आपको आंकड़ें थोड़े बढ़कर दिखे। फिर भी इन 6 महीनों के कालखण्ड में वर्ष 2021-2022 और 2023 तीनों वर्षों से यह आंकड़े कम हैं। अब भी बिल्कुल स्पष्ट

तौर पर पुलिस से थानों कहा गया है कि हर हाल में एफ.आई.आर. लिखें। अगर कोई आपके पास एफ.आई.आर. लिखाने आता है तो एफ.आई.आर. लिखें, लेकिन किसी की जिद पर एफ.आई.आर. लिखने की जरूरत नहीं है। यदि कोई विषय लाज़मी है तो उस पर आपको एफ.आई.आर. दर्ज करना चाहिए। मैं आपको जरूर यह कहना चाहता हूँ कि माननीय कवासी लखमा जी ने बहुत सारी बातें कहीं। उन्होंने सड़कों के संदर्भ में भी बातें कहीं। अभी 6-7 महीने के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 35 सड़कें पुलिस की सुरक्षा लगाकर बनायी गई हैं। पूर्व में 2057 सड़कों पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था। वर्ष 2017, 2018, 2019 और वर्ष 2020 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्वीकृत सड़कें थीं, मेरे हाथ में जिसकी जानकारी है। मैं आपको बताता हूँ। माननीय लखमा जी ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि बस्तर शांत हो। अगर माननीय लखमा जी और सब चाहते हैं कि बस्तर शांत हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय लखमा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कम से कम बस्तर के विषय पर माननीय विष्णु देव साय जी का साथ दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय गृहमंत्री जी, आप किससे अपेक्षा कर रहे हैं कि बस्तर शांत होना चाहिए ? आपने किनका नाम लिया ? उसे थोड़ा फिर से लीजिए। वह लोग, आदमी बस्तर में शांति चाहते ही नहीं हैं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो सभी से वार्ता करना चाहते हैं। हम तो वहां भी वार्ता करना चाहते हैं। हमें वार्ता के जो मार्ग मिल जाये, हम उनसे वार्ता करना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जिनसे अपेक्षा चाह रहे हैं वह तो ऐसी स्थिति है कि पाकिस्तान को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देने वाली जैसी बात हो गई। (हंसी)

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व की मुझे एक बात याद है। यहां पर मैं उस दिन दर्शक दीर्घा में बैठकर देख रहा था। जब पहली बार सदन में माननीय उमेश पटेल जी विधायक चुनकर आये थे तब उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया था। तब उस समय आप सी.एम. की कुर्सी पर थे और आपने उन्हें स्वयं उठकर, जाकर बधाई दी थी। मुझे वह दिन अच्छे से याद है। आज भी वह बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत पढ़े लिख अच्छे व्यक्ति हैं। हमें उनसे अपेक्षा यह है कि हमारी तरफ भी बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो यहां पहली बार सदन में चुनकर आये हैं तो उन पर कटाक्ष करना और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सबका थोड़ा उत्साहवर्धन होना चाहिए। आदरणीय उमेश जी ने सत्यजीत घोष जी की बात कही। उन पर हमला हुआ। मैं, आपको उस हमले के संदर्भ में छोटी जानकारी दे देता हूँ कि उन पर हमला हुआ था और उसके बाद दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उसमें दो लोग हैं। यहां सदन में नाम नहीं लेना है, ऐसा बताते हैं। जिन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वह जेल में हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय गृहमंत्री जी, आपने उस घटना में गिरफ्तारी की तो कोई दिक्कत नहीं है। उस पत्रकार ने पुलिस के पास जाकर बयान दिया कि मुझे फलाना आदमी ने इस पर हमला करवाया है। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, यह प्रश्नचिन्ह है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निश्चिंत रहें। इस प्रदेश में जो भी मसला सामने आएगा, उस पर कार्यवाहियां होंगी। यह जो विषय सामने आया था, उस पर भी कार्यवाही हुई और अन्य कोई मसले जो आप ध्यान दिला रहे थे, उस पर भी कार्यवाही होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उमेश जी और सभी सदन के सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि कवर्धा में एक ध्वज का विवाद हुआ। वहां पर भगवा ध्वज का अपमान हुआ। वहां लोग सुबह से लेकर रात तक लोग चिल्लाते रहे कि एफ.आई.आर. दर्ज कर दीजिए, हमारा कवर्धा किसी भी तरह के कलंक लगने से बच जाएगा, परन्तु सुबह से लेकर रात तक उस पर एक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई, यह कवर्धा में हुआ था। (शेम-शेम की आवाज) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां आपके सामने होंगी, आप ध्यान दिलाईये। मैंने एक-एक बात ध्यान से लिखी है और हर काम किया जायेगा। नारायणपुर का विषय है। हम सबको ध्यान है कि नारायणपुर में किस तरीके से जो converted हैं, जो मूल आदिवासी समुदाय के हैं लेकिन वह मतांतरित हो चुके हैं। वह सारे लोगों ने अन्य लोगों को इसलिए मारा कि वह मतांतरित होने के लिए तैयार नहीं थे, उसके लिए उनको पीटा गया। जब लोगों ने वहां पर कुछ आंदोलन किये, घटना किये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कितने महीनों तक जेल में रहे, यह सारी प्रक्रिया वहां चलती रही। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि वहां पर बस्तर के एस.पी. ने..।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाजपा जिलाध्यक्ष को पुलिस समझाने के लिए ले गई थी और अंदर कर दी थी।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर उनको समझाने के लिये ले गये थे और उनको अंदर किया गया था। ऐसा ही हुआ। पूरे कवर्धा में सैकड़ों गिरफ्तारियां हुईं। किस कारण से हुईं, किसके लिए हुईं, किसी को कुछ नहीं पता था। बस गिरफ्तारियां हो रही थीं। कवर्धा में 15 दिनों का कर्फ्यू कभी नहीं लगा था, वह 15 दिनों का कर्फ्यू कवर्धा ने देखा है। ये वही शासनकाल था। लेकिन अब मैं यह बिल्कुल कहना चाहता हूं कि इस सारी बातों के प्रति जो-जो माननीय सदस्यों ने कही है, सब कुछ मैंने ध्यान से लिखा है। कुछ न लिख पाया होऊंगा तो मैं पूंछकर ठीक कराऊंगा, इस बात का वादा मैं सदन में उनसे करता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय गृह मंत्री जी, कवर्धा की घटना में मुकदमा वापस लीजिए। अभी भी दूसरी जगह के बहुत लोग पेशी में कवर्धा जाते हैं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरी भी पेशी थी तो होकर आया हूं। माननीया अनिला भेंडिया जी ने भी इस पर बहुत विषय रखा है। माननीय दलेश्वर साहू जी बड़े कद्दावर नेता हैं, मैं उनको अच्छे से बहुत पहले से जानता हूं। सुरक्षा श्रेणी के संदर्भ में आपने कहा है, नि:संदेह मैं उसको देख करके करूंगा, उसमें कोई संशय का विषय नहीं है। परंतु एक बात और है। मैं राजेश मूणत जी के बड़े उदार मन होने का अभिनंदन करता हूं। राजेश मूणत जी बताये कि जब वह पिछली बार हार गये थे, विधायक नहीं थे तो तुरंत उनकी सारी सुरक्षा खत्म कर दी गई थी। 05 साल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने स्वयं उठ करके कहा कि दलेश्वर साहू जी अथवा ऐसे जो भी और हों, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता मुहैया कराई जानी चाहिए। यह बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई संशय नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- इमा जोड़ा लिहा, एक दरोगा हर सिर्फ मोर बर आ करके, अपन कह देथे, त ओला धमकात हे कि तय ओकर कनी काबर गये और ओकर नाम एफ.आई.आर. करत हे। आपसे निवेदन है कि ऐसे अधिकारी ला भी डांटय के प्रयास करा। ऐसे निर्देश करा कि जनप्रतिनिधि के घर अगर कोई जात हे, चुने हुए जनप्रतिनिधि के घर जाना चाहिए, ओकर डांटय के अधिकार नई हे, एकर लिये आप जरूर पूरा प्रदेश में सर्कुलर तैयार करव।

श्री विजय शर्मा :- आप बताये हव, तेन ला करबो। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनांदगांव के संदर्भ में भी आंकड़े प्रस्तुत किये गये। मेरे पास आंकड़ा है, बात बहुत आगे बढ़ जायेगी, बहुत समय निकल जायेगा। उतना आंकड़ा नहीं है जिसको प्रस्तुत किया गया था। ब्यास कश्यप सदस्य महोदय ने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि एफ.आई.आर. पर कार्रवाई होनी चाहिए। नि:संदेह कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं है, वह चाहे कोई हों, किसी वर्ग के हों।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, राजनांदगांव का जो आंकड़ा है, वह आपके विभाग का ही दिया हुआ है। विभाग के द्वारा ही प्रश्न के माध्यम से उत्तर दिया गया है।

श्री विजय शर्मा :- भैया, आप कालखंड देख लीजिए आप कब से कब तक का ले रहे हैं।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये, मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्ताव (क्रमश:)

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विक्रम मंडावी जी ने भी बहुत सी बातें कहीं हैं। उन्होंने माब लिंचिंग की बात कही। यह माब लिंचिंग, माब लिंचिंग बोल करके प्रदेश की इज्जत को नीलाम करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। एक स्थिति बनी थी जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की, लोग जेल में हैं। इस पर आप और क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे इसमें नि:संदेह यह कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य राघवेन्द्र कुमार सिंह जी ने भी बताया कि मंडल के अध्यक्ष के भाई के कहने पर कार्रवाई नहीं हुई।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- उसके घर पर चोरी हुई थी, अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है, महोदय मैंने यह बताया था।

श्री विजय शर्मा :- यह भाजपा के मंडल के अध्यक्ष हों या कांग्रेस के पदाधिकारी हों, चाहे जो भी हों, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में किसी व्यक्ति का राज नहीं हो सकता, कानून का राज होगा। आप इस बात के लिए निश्चित रहें। (मेजों की थपथपाहट) कानून के राज में जो भी हो, चाहे वह भा.ज.पा. में हो या कांग्रेस में हो, सबके लिए समान विषय होगा। मैं हर बार देखता हूं कि आदरणीय कुंवर सिंह निषाद जी भी बहुत ही परिपक्वता के साथ और बहुत ही उचित ढंग से इन बातों को कहते हैं। उन्होंने तोरण साहू जी का उल्लेख पिछली बार भी किया था और इस बार भी तोरण साहू जी का उल्लेख किया है। वह जो नशे के आधार पर अपराध का विषय है, यह आंकड़ा बिल्कुल ऐसा है, जैसा दोनों समानांतर है, दोनों Proportionate में बढ़ता है। इनका ध्यानाकर्षण बिल्कल उचित है। इस पर भी कार्रवाई करेंगे। श्रीमती हर्षिता स्वमी बघेल जी ने भी अपनी बात कही है, लेकिन कुल मिलाकर वह personal grievances है, उसके संदर्भ में उन्होंने बात कही है। आदरणीय अटल श्रीवास्तव जी ने काफी बातें कही हैं। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि आपने विरेन्द्र जांगड़े जी और आकाश केसरवानी जी का नाम भी लेकर कहा है, वह तो वहीं के हैं। मुझे कुछ नाम याद आ रहा है कि कोई है, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है, परंतु क्या मसला है, उसको मैं पता करके जरूर देख लेता हूं। कांग्रेस भवन के संदर्भ में आदरणीय अटल श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि [xx][4] के जमाने में भी कांग्रेस के कार्यालय में कोई नहीं गया। भाई, [xx] तो उसको अपना ही कार्यालय मानते थे तो वह लोग वहां कहां से जाते इसलिए वह नहीं गये। (मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोर आपत्तिजनक है। कांग्रेस के कार्यालय को [xx] ने कभी अपना नहीं माना। [xx] के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस के कार्यालय ही उपयोग होते रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- [xx] आप यह भी बता दीजिये।

---

[4] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोर आपत्तिजनक है। आपको किसने कह दिया कि [xx] [5] को स्वीकार नहीं किया? इसका कोई तथ्य, कोई प्रमाण है?

श्री उमेश पटेल :- नहीं [xx] है।

श्री भूपेश बघेल :- उसका कोई जवाब नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, वह जिस कांग्रेस की बात कह रहे है कि उसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। पट्टाभि सीतारमैया, जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा है। उन्होंने एक भूमिका में लिखी है कि हम यूनियन स्टेट के लिए बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं। आप बोलेंगे तो मैं उस किताब को पटल पर रख दूंगा। आप क्या स्वतंत्रता की लड़ाई की बात करते हैं। आप आरोप लगाने के पहले एक उदाहरण बता दीजिये कि [xx]।

श्री अनुज शर्मा :- कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की है, आप यह बता दीजिये?

श्रीमती रायमुनी भगत :- भैया, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, लगातार कितने [xx] लोग कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, यह उसको पटल पर रखना चाहिए।

एक माननीय सदस्य :- Allan Octavian Hume।

श्री अनुज शर्मा :- हाँ, A.O. Hume ने कांग्रेस की स्थापना की थी। वह कांग्रेस की बात करेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- [xx]

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने [xx] के लिए टिप्पणी की है, उसको डिलीट किया जाना चाहिए।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

श्री राम विचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, [xx] शब्द को विलोपित किया जाए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके पास क्या प्रमाण है? माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बिना प्रमाण के आरोप लगाया है। आप [xx] को विलोपित करवाईये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, मैं कार्रवाई दिखवा रहा हूं। इन सारे विषयों में जो भी आपत्तिजनक शब्द होंगे, उसको निकाल देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बात कोई राजनीतिक न बने, उस पर व्यवस्था आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, विलोपित कर देंगे।

श्री उमेश पटेल :- अकर विलोपित होगा, तो दोनों होगा। (व्यवधान)

[5] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- विलोपित करा देंगे। मैंने बोल दिया कि जो भी आपत्तिजनक अंश होगा, उसको विलोपित कर दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह शब्द विलोपित होना चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय जी ने स्पेशिफिक मांग की है, उसको विलोपित कर दीजिये। (व्यवधान)

(सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका एक आदमी शहीद नहीं हुआ है । कोई शहीद हुआ हो तो नाम बता दें । (व्यवधान)

(सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा । जो भी आपत्तिजनक अंश होगा उसको विलोपित कर देंगे इसलिये अब इस पर चर्चा नहीं होगी । (व्यवधान)

(सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप लगाता हूं, इनका विलोपित होगा तभी हमारा होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, मेरा ख्याल है कि जवाब पूरा हो गया ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया आपसे यह आग्रह है कि पहले विलोपित करवाईये ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने देख लिया, मैंने कहा । मैं तो यह बोल चुका हूं कि कार्यवाही देखकर जो आपत्तिजनक अंश होगा उसे विलोपित किया जायेगा । अब इसके बाद कोई प्रश्न नहीं बचता है । मंत्री जी का जवाब भी पूरा हो गया ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा विषय और है ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट में समाप्त करिये ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा 5 मिनट कहना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले व्यवस्था आ जाये।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने बोल दिया है, अब व्यवस्था क्या है । चलिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बोला है । नाम का जो उल्लेख आया है तो उसके हिसाब से जवाब दे रहे हैं । निश्चित रूप से जब इतने लोगों ने बोला है तो थोड़ी देर और समय लगेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब जवाब आने दें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा उसके पीछे मेरा कोई हेय हेतु नहीं था । मेरा केवल यह कहना था कि उसमें संस्थापक Allan Octavian Hume है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे इनका नारा भी बहुत ही आपत्तिजनक है उसको भी आपको डिलीट करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- सब पूरी कार्यवाही देख लेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा बोलेंगे तब तो फिर लोकसभा-विधानसभा में चोरों को जनता ने हरा दिया । हम लोग भी तो ऐसा बोल सकते हैं । (शेम-शेम की आवाज)

श्री रामकुमार यादव :- तुंहरे मजा हे, एक हाथ में लड्डू, एक हाथ में बरा । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- स्वतंत्रता संग्राम में एक शहीद कांग्रेसी का नाम नहीं बता सकते । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- ये लोग चिट्ठी लिखते थे, माफीनामा लिखते थे । आप लोग अंग्रेजों से माफीनामा लिखने वाले लोग हो । (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र यादव :- कालापानी की सजा किसने दी है, बताओ । (व्यवधान)

श्री अनुज शर्मा :- जिस पार्टी की स्थापना अंग्रेज ने की, वह पार्टी क्या बात करेगी ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सरदार वल्लभ भाई पटेल लौहपुरूष एक संस्था ला बंद कर देहे तेकरे बर तुमन...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- यादव जी, बैठिये । नारेबाजी के बारे में आपकी चिंता है तो इस सदन में जितनी भी नारेबाजी होती है किसी को रिकॉर्ड नहीं किया जाता । यह आपकी जानकारी के लिये है, सबकी जानकारी के लिये है ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उसमें सिर्फ इसलिये उस विषय को कहा था क्योंकि वह संस्थापक ही Allan Octavian Hume कांग्रेस के संस्थापक हैं । वह सोचकर मैंने कहा था । वही हैं इसलिये ऐसा विषय था, इसमें किसी व्यक्ति को यानी इसको लेने की ऐसी आवश्यकता नहीं है । मैंने सिर्फ इसलिये कहा था । दूसरा श्रीमती संगीता सिन्हा जी ने भी और श्री द्वारिकाधीश यादव जी ने भी सभी ने कहा और आदरणीय डॉ. चरणदास महंत जी ने भी विस्तार से इन सारे विषयों को रखा है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- अब क्या? आपको कोई तकलीफ है क्या? बार-बार खड़े होते हो? ऐसा नहीं होता। स्थगन का जवाब आ रहा है भाई।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री विजय शर्मा :- मैंने इसको देखा है। एक विषय आप सबके ध्यान में बताना चाहता हूं। गैंगस्टर ने यहां-वहां गोली चला दी, ऐसा स्थगन में कहा गया है तो स्थगन के प्रस्ताव में मैं एक बात सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 सितंबर, 2022 को कोरबा की घटना है। बाइक पर सवार शूटरों ने गोली चलाई और पर्चा फेंका कि वह फलां एक साहू गैंग है, जिसमें लेन-देन तुमको करना होगा, ऐसा पर्ची फेंक दिया। उसके बाद शूटर की गिरफ्तारी हुई, लेकिन ये गिरफ्तारी के माध्यम से भी उस फलां गैंग तक नहीं पहुंचा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यवाही में अंतर बता रहा हूं। मैं कार्यवाही में अंतर बता रहा हूं और कृपया आप ध्यान देंगे यानी समझ में भी होगा। 11 फरवरी, 2022 को रायपुर के शंकर नगर में पुनः 2022 की वह घटना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घटना जो कह रहा हूं यह भी रायपुर में वर्ष 2022 की है। इसमें बाइक सवारों ने पुन: गोली चलाई। सिर्फ शूटर पकड़े गए और कोई नहीं पकड़ा गया और वह भी ट्रायल में छूट गए। शूटर पकड़े गए और वह भी वर्ष 2022 में ट्रायल में छूट गए। मतलब ऐसी विवेचना थी वो जाने कैसी विवेचना थी? उसमें भी कोई गैंग तक कोई नहीं पहुंच पाया है। फिर 11 जून, 2023 को फिर एक घटना हुई। रायपुर में अनुपम नगर में एक फ्लैट पर फाइरिंग की गई और ये फिर से एक वही गैंग वाली बात थी। इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मई, 2024 में अभी माननीय विष्णु देव जी की सरकार आने के बाद रायपुर में अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय हुआ और पुनः किसी घटना को कारित करने वाला था। उससे पहले यहां पर पांच अपराधियों को धर दबोचा गया और उनके बयान के आधार पर प्रोडक्शन वारंट झारखंड के जेल में जहां अमन साहू बंद है वो प्रोडक्शन वारंट भी वहां भेजा गया है तो ये घटना होने से पहले ही उनको दबोचा गया। ना सिर्फ शूटरों तक बल्कि गैंग तक पहुंचा गया। ये कार्यवाही वर्तमान में इस पुलिस ने की है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें ये जरूर कहना चाहता हूं। 13 जुलाई को भी एक घटना हुई है, जिसका उल्लेख करते हुए सब कह रहे थे तो उसमें बाइक भी गिरफ्त में है। बाइक वाले भी गिरफ्त में हैं। उसमें शूटर उपलब्ध करवाने वाले हरियाणा के लोग हैं, वो भी गिरफ्त में हैं। ये सारा सब कुछ हुआ है। उसके बाद बिलासपुर, भिलाई और रायगढ़ इन सारे विषयों पर चर्चा हो सकती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- 10 जून को उन्माद फैलाने वाले कौन लोग थे? बलौदाबाजार में उन्माद कौन लोगों ने फैलाया?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बलौदाबाजार का विषय दुखद है और मैं ये आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि सदन में लॉ एंड ऑर्डर पर चिंता चर्चा करना वो अलग बात है और वहां पर क्या किया, किसने किया, ये जांच का विषय है। जांच पुलिस कर रही है, लेकिन उसमें सहयोग भी ना नहीं करना। ये कितना गलत है जो वहाँ पर लोग थे, जो फोटो और वीडियो आता है, वही तो देख कर

जानेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो वहां पर तो बहुत सारे जो सदन में उपस्थित हैं वो सदस्य भी वहां उपस्थित थे, वहीं उसी कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रभावकारी लोग हैं। प्रभावकारी लोग हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, सदन के और लोग भी हैं, कौन सदस्य थे? बताइए न। कौन से पक्ष के लोग थे?

श्री रामकुमार यादव :- गृह मंत्री वो हे कि वे हस गा?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें जरूर कहना चाहता हूं कि इस सदन में जितने भी सदस्य हैं, ये इनका इतना इन्फ्लुयेन्स है कि कोई जाकर सामान्यत: बैठा हो, ऐसा नहीं कह सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के विधायकगण वहां थे, वहां के स्थानीय विधायक नहीं थे, परन्तु कांग्रेस के विधायक वहां थे। उनका फोटो वीडियो हमने देखा है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच एजेंसी से सहयोग होना चाहिए। क्यों उनका सहयोग ना किया जाए और ये सब करने के बाद आज आकर के ऐसा कहा जाए तो ये कहां तक उचित है?

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय मंत्री जी, जैसे आप कांग्रेस के सदस्यों के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा सदस्य वहां उपस्थित था? जिन्होंने जो भी घटना हुआ, उसमें प्रमुख भूमिका निभायी। क्या ऐसा वीडियो फूटेज में है? ऐसा है वीडियो फूटेज में?

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करिए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और माननीय सदस्य महोदय, आपने वीडियो नहीं देखा, मुझे ऐसा लगता है। आप एक बार उसमें ध्यान दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- इन लोगों का नाम बता दीजिए न।

श्री विजय शर्मा :- हां, मतलब सभी लोग जानते है वो कविता प्राण लहरे जी थीं और हमारे देवेंद्र यादव जी थे ये हमारे सदन में जो सदस्य हैं, ये सब लोग वहां पर थे ।

श्री विक्रम मंडावी :- क्या वे आगजनी में शामिल थे क्या?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नोत्तर नहीं होता भाई।

श्री विजय शर्मा :- भैया, ऐसा नहीं होता है। ये जो लोग हैं, ये प्रभावी लोग हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य महोदय। ये प्रभावी लोग होते हैं और इनकी अपनी बात होती है। आप ऐसी बात नहीं करिए। इन सब बातों को सब समझ रहे हैं कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये तो नाम बता नहीं रहे थे। आपने नाम पूछा तो इन्होंने बता दिया।

अध्यक्ष महोदय :- आपस में बात नहीं करना है भाई । आपस में चर्चा नहीं करेंगे ।

श्री विजय शर्मा :- साबित जांच एजेंसियां करेंगी, मैंने जो वीडियो में देखा वह बताया है ।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब मंत्री जी को देना है, बाकी लोग चर्चा नहीं करेंगे, आपका समय हो गया और मंत्री जी सक्षम हैं, अच्छे से जवाब दे रहे हैं अब उसमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है ।

श्री विजय शर्मा :- इसमें बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं जिनका उल्लेख मैं कर सकता हूं । मैं आपको बता सकता हूं कि पत्थलगांव में दुर्गा विसर्जन के समय क्या हुआ था, गांजा तस्करों ने किस तरह से रौंद दिया था ? मैं आपको यह भी बता सकता हूं बिरनपुर में किस तरह से भुनेश्वर साहू जी की हत्या हुई, उनके पिताजी आज सदन के सदस्य हैं । मैं आपसे यह भी कह सकता हूं कि सुकमा के कलेक्टोरेट के अंदर कैसे घुसकर कलेक्टर को बंधक जैसा बना लिया गया था । मैं आपसे कह सकता हूं कि शासन से निराश होकर कैसे यहां नग्न प्रदर्शन हुए थे । मैं आपसे कह सकता हूं कि धार्मान्तरित नहीं होने पर कैसे लोगों ने जाकर नारायणपुर में उन लोगों को, जो मूल आदिवासी हैं उनको मारना-पीटना शुरू किया था, उसके बाद वहां के एस.पी. ने पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ शासन को खुद बताया था कि इतनी भयंकर स्थिति हो चुकी है कि आने वाले समय में यह संभल नहीं पाएगा । अगर धर्मान्तरण इसी तरह होता रहेगा तो पूरे समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी । सब कुछ बताने के बाद कोई कुछ नहीं करता था (शेम शेम की आवाज) । इसलिए आज यह स्थिति बनी हुई है । हम यह मानते हैं ये सारी स्थितियां ठीक करने की आवश्यकता है और माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में यह जरूर किया जाएगा । अध्यक्ष महोदय, आपको यह बताना चाहता हूं कि 31 अगस्त, 2023 की शाम को मंदिर हसौद में नाबालिग बहनों के साथ क्या हुआ था, वह राखी का दिन था । आपको यह बताना चाहता हूं कि 4 सितम्बर 2023 जो कि शिक्षक दिवस का दिन था वह जशपुर के निजी स्कूल में पदस्थ शिक्षिका थी, जशपुर जिले में उसके साथ क्या हुआ था, यह सबको ध्यान होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- रायपुर में मल्टी पार्किंग में पुलिस चौकी के नीचे बलात्कार हो गया था ।

श्री विजय शर्मा :- 19 फरवरी, 2023 को रायपुर में गंडासा लेकर एक व्यक्ति एक नाबालिक बालिका के साथ रास्ते भर घूमता रहा, इसका वीडियो सबने देखा है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि रायपुर के हृदय स्थल जय स्तंभ चौक पर अक्टूबर 2020 में कोंडागांव के कारोबारी इरशाद अहमद ने अपने चार कारोबारी साथियों के साथ किस तरीके से हमला किया था यह हमको ध्यान है । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि रायपुर में एक एडीशनल एस.पी. ऑफिस के नीचे सितम्बर 2023 में किस तरह बलात्कार की घटना हुई थी । अध्यक्ष महोदय, ये सारी घटनाएं उस समय की हैं । उसके बावजूद 19 जुलाई 2020 को धनोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आदिवासी युवती के साथ किस तरह सामूहिक अनाचार की घटना हुई थी, उसके बाद तत्कालीन मंत्री ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश का बलात्कार बड़ा बलात्कार होता है और छत्तीसगढ़ का बलात्कार छोटा बलात्कार होता है (शेम शेम की आवाज) । यह बात तत्कालीन मंत्री ने कही थी । मैं आपसे निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूं ।

श्री उमेश पटेल :- नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा था ।

श्री विजय शर्मा :- मेरे पास है, अभी अनुमति होगी तो अभी दिखा दूंगा । अध्यक्ष महोदय ने मना किया है वरना मैं आपको दिखा देता । आपको ध्यान होगा ।

श्री रामकुमार यादव :- ता तुमन तमाशा देखे बर बने हौ दुबारा । तुम्हर मन के समय नइ होवत हे का ।

श्री अनुज शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं अभिनेता हूं लेकिन यहां का अभिनय देखकर मैं दंग रह गया हूं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सदन की मर्यादा नहीं होती तो फोटो और वीडियो भी दिखाया जाता कि कहे थे या नहीं कहे थे ।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी भिलाई में, जिस भिलाई का उल्लेख अभी स्थगन प्रस्ताव में किया गया है । इसी भिलाई में किस तरह से 32 वर्षीय मलकीत सिंह ने जब हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा था तो किस तरह से उसको वहीं पर मार डाला गया था (शेम शेम की आवाज) यह बात हमको आज तक याद है । माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के ही क्षेत्र में 21 दिसम्बर, 2020 को खुड़मुड़ा गांव में एक साथ 4 लोगों की लाश मिली थी, वह सामूहिक रूप से उनका नरसंहार किया गया था, यह बात ध्यान है । माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी यह बात ध्यान में होगी । अमलेश्वर में दिन दहाड़े गोली चली थी यह बात भी सबको ध्यान है । मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि कवर्धा में अपराध, कवर्धा में अपराध सुनते सुनते मेरे कान पक गए । अध्यक्ष महोदय, जब ट्रेन जोर से चलती रहती है, उसको ब्रेक लगाया जाता है तो वह थोड़ी दूर तक उसी दिशा में चलती ही चलती है । बाद में उसकी दिशा बदली जा सकती है । वही हाल कवर्धा का रहा । जाने कैसा शासन और प्रशासन रहा ? लोगों पर फर्जी एफ.आई.आर. होते रहे, लोग जेल जाते रहे, लोगों से कोई पूछने वाला नहीं था । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि एक बात का उल्लेख किया जाता है कि वहां पर बैगा मर गए, बैगा मर गए । वहां पर दो बैगा के आपसी विवाद में अभी अभी ऐसा हुआ है, जो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में था । मैं एक बात आपको ध्यान दिलाता हूं अप्रैल 2021 को सुबह 8 बजे आबकारी के कंट्रोल रूप में किस तरीके से आदिवासी बैगा हरिजन को पकड़कर ले गए थे, वहां कोई बंदीगृह नहीं था, परंतु अंदर उसको रखा गया था, प्रताड़ित किया गया था और सुबह उस व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी । अब वह आत्महत्या थी या उसकी हत्या कर दी गई थी, यह उस समय हुआ था। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कुकदुर के समीप एक गांव में किस तरह से बुधराम बैगा से वन विभाग के लोगों ने 50 हजार रूपये पैसे की मांग की और उसके बाद उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। यह विभागीय लोगों के माध्यम से किया गया था, वह बताना चाहता हूं। अभी आपस के विवाद के बीच में जो कुछ हुआ है, वह एक अलग घटना है, मैं नहीं कहता कि वह घटना छोटी है। मैं नहीं कहता कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। पूरा ध्यान देने की चीजें हैं, परंतु यह सारी स्थितियां हैं, जो आज आरोप लगा रहे हैं। माननीय राजेश मूणत जी कहते हैं कि जब एक ऊंगली दिखाएंगे तो तीन ऊंगली अपनी तरफ होता है। जाने 6, 8, 10 कितनी ऊंगलियां उधर होंगी। माननीय

अध्यक्ष महोदय, इसमें और बहुत सारी फेहरिस्त हैं, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, कम से कम दो घंटे पढ़ता रहूंगा तो भी यह सूची खत्म होने वाली नहीं है। मैंने आंकड़े भी गिनाये हैं कि किस तरीके से विगत् तीन सालों में 2021, 2022 और 2023 में, मैं पीछे के आंकड़ों के लिए नई जाना चाहा। इसी प्रारंभ के 6 महीने में जो अपराध के आंकड़े हैं, अभी कम हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय मंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं। पूर्व मंत्री को 24 घंटे थाने के अंदर बैठाकर रखे थे। (शेम-शेम की आवाज) वहां पर पेशाब करने तक की व्यवस्था नहीं। उस समय खुलेआम गुंडागर्दी थी। ये किस नैतिकता की बात करेंगे? मैं यहां पर उदाहरण खड़ा हूं। फर्जी सी.डी. में तो खुद अभियुक्त है, वह इतिहास के काले पन्ने याद नहीं दिलाना चाहता हूं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में फिर सी.बी.आई. आ गयी है, वह सी.डी. केस वापस खुलना चाहिए और छत्तीसगढ़ को न्याय मिलना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय गृह मंत्री जी, यदि सी.डी. की बात हुई है तो भिलाई में एक और सी.डी. आ गयी है। उस सी.डी. के साथ-साथ उस सी.डी. की भी जांच होनी चाहिए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से इसमें एक बात बताना चाहता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, पता चले कि कैसे खुलेआम कुकर्म कर रहे हैं। वह असली सी.डी. है या नकली सी.डी. है। उसमें विधायक जैसे आदमी का फोटो दिख रहा है। जब राजेश मूणत जी मांग कर रहे हैं तो हम भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। विधायक का चेहरा दिख रहा है, वह सी.डी. क्या है ? क्या वे व्याभिचार करने के लिए पैदा लिए हैं ? जो सही है वह रिकॉर्ड में आना चाहिए।

श्री राजेश मूणत :- अजय जी, एक मिनट। आपमें इतना भय पैदा हो गया था कि सी.बी.आई. को प्रतिबंधित कर दिया। छत्तीसगढ़ में सी.बी.आई. नहीं आएगी। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर विधायक कहता है कि सी.बी.आई. से जांच कराईए। अब जो आता है वह कहता है कि सी.बी.आई. से जांच करवाईए। आपकी सरकार ने पांच साल सी.बी.आई. को प्रतिबंधित किया था, क्योंकि सी.डी. कांड में जाने की तैयारी सुनिश्चित थी। मैं आग्रह करता हूं कि आपने सी.बी.आई. की वापस छत्तीसगढ़ में दरवाजा खोला। (मेजों की थपथपाहट) मेरा केस ओपन करके उस पर सुनिश्चित होना चाहिए यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, ए मन आरोप लगात हे। पांच साल में एक भी केस ऐसे बता दीजिए कि कोई उत्तर प्रदेश और झारखंड से पईसा मांगे बर रायपुर आय होही, ओ भी बंदूक के नोक में कहीं पर कोई ला पईसा मांगे होगी। आप पांच साल में एक भी केस बता दो।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, भिलाई सी.डी. कांड में विधायक ने सी.बी.आई. जांच की मांग की है। जब आप उत्तर दे रहे हैं तो आपको उस सी.डी. की सी.बी.आई. जांच की घोषणा करनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी, उन्होंने भी सी.बी.आई. जांच की मांग की है। आप उसकी सी.बी.आई. जांच की घोषणा करिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- तोर बर सी.बी.आई. जांच के मांग नई होत हे, तैं बईठ ना।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रामकुमार भैया कहात हे कि मोर मेर जेन रिहिस हे तेखरो सी.बी.आई. जांच कराव कहात हे।

श्री रामकुमार यादव :- बिल्कुल कराव।

श्री विजय शर्मा :- ओ कहां के रिहिस तेला नई जानन भई। ओ कहां के रिहिस, कहां ले आ के कहां चल दिस।

श्री रामकुमार यादव :- बिल्कुल कर दो। ए सदन में घोषणा कर दो। ए रामकुमार यादव डरने वाला नई हे। आप मन मोला कुछु में फंसाय के कोशिश करिहा, लेकिन चंद्रपुर के महान जनता जब तक चाही, मैं मिथुन चक्रवर्ती बन के छलांग लगा के विधान सभा आ जाहूं। मोला तुमन रोक नई सकव।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय गृह मंत्री जी, आपसे एक निवेदन है, विनम्रता से निवेदन है। एक विधायक सदन का सदस्य है, आपसे और शासन से सी.डी. की सी.बी.आई. जांच की मांग की है। चूंकि कानून व्यवस्था पर यह बहस हो रही है, इसलिए मैं आपसे यह चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कोई विधायक बिना मतलब के सी.डी. कांड में मत फंसे, इसलिए आप सी.बी.आई. जांच की घोषणा कर दीजिए। यह आपसे आग्रह है।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- लेकिन रामकुमार जी को छोड़कर भई। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- ओमे मोला सम्मिलित कर देव, कोई बात नई हे। गरीब आदमी ला कइसे दबाय जाथे, ओला हम सब जानत हन।

अध्यक्ष महोदय :- गृहमंत्री जी पूरा करिए।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें घोषणा होना ही चाहिए। जब माननीय गृह मंत्री जी उत्तर दे ही रहे हैं, सबकी भावना है। इस सदन की भावना है, इसलिए घोषणा होनी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- गृह मंत्री जी, यह बता दीजिए कि सी.डी. कांड की सी.बी.आई. जांच की मांग खुद विधायक के पास है कि नहीं है ? माननीय गृह मंत्री जी, घोषणा कर दीजिए ना ? खुद विधायक ने मांग की है तो आप घोषणा कर दीजिए ? कुछ तो करिये, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा । जब उन्होंने खुद सीबीआई जांच की मांग की है तो आप सीबीआई जांच की घोषणा करिये ।

श्री रिकेश सेन :- बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय विधायक जो हैं, चिल्ला-चिल्लाकर सी.बी.आई. जांच की मांग किये हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिये । उस विधायक की पीड़ा को हमको समझना पड़ेगा । आदरणीय गृह मंत्री जी, हमको सी.बी.आई. जांच करनी चाहिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- गृह मंत्री जी, उसमें घोषणा हो जाये ।

श्री रिकेश सेन :- अगर पड़ोसी विधायक है तो बिल्कुल होना चाहिये और उनकी भावनाओं को आप समझो ?

अध्यक्ष महोदय :- रिकेश जी, हो गया । अपनी बात आप सबने कह दिया है।

गृह मंत्री (श्री विजय शर्मा) :- अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि उस पर माननीय विधायक जी ने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और खुद मुझसे मुलाकात करके यह कहा है कि इसकी जांच करायें । मैंने जांच के लिये लिख दिया है, इसकी प्रक्रिया होती है, उसमें यह होता है कि जो सी.डी.आपकी होती है, जैसा होता है, थोड़ा जेस्चर में उसका विडियो बनता है, फोटो खींचता है, तब जाकर उस रिसेंबलेंस का मैचिंग होता है, तब उसकी जांच होती है । अब वह करने के लिये थाने में बुला लिया भई, आफिस में बुला लिया कि ऐसा आपको करना पड़ेगा । उसके बाद बाहर निकलकर माननीय विधायक जी ने छाती ठोंक-ठोंक कर बयान दिया, ऐसा किया, वैसा किया, भई आपके लिखित आवेदन पर हमने किया, आपकी इच्छा के अनुरूप किया, उसमें गलत क्या किया है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आपसे सी.बी.आई. जांच की विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये । (मेजों की थपथपाहट) कर दीजिए साहब, कर दीजिए । यह बड़ी घटना है ।

श्री विजय शर्मा :- अरे सी.बी.आई. जांच मतलब जब आवश्यकता होगी तो करवा लेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आवश्यकता है, खुद मांग किया है । हम मांग नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मांग की है, इसलिये आप कर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, आपने अपनी बात कह दी है । एक बार आपने कह दिया है ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, ग्राहता पर चर्चा हो रही है और इस पर सारे विपक्ष ने अपनी बात की है । मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ग्राह्य हो गया है और सत्ता पक्ष के लोग इसमें शामिल हो गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करिये । बहुत लम्बा हो गया । ग्राहता पर चर्चा है, ग्राहय करें कि न करें, इस विषय पर अपनी बात रखकर खत्म कीजिए ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विषयों पर सी.बी.आई. की जांच बिरनपुर पर, पुराना पी.एस.सी. घोटाला 2021 हम सब लोग जानते हैं । उस पर भी सी.बी.आई. मुस्तैदी से काम कर रहा है । कोयला घोटाला के विषय पर काम पुख्ता ढंग से जारी है और बड़ा विषय मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत स्पष्टता के साथ कोयले में किसी तरह के भ्रष्ट्राचार को प्रति टन के पीछे

25 रूपया आदि रोकने के लिये काम किया है । पहले जो एक खरीददार है और एक खदान वाला है, खरीददार ऑनलाईन रिक्विजीशन भेजता था, माइनिंग वाला है, वह शेड्यूल भेज दिया करता था । वह जो स्थिति बनती थी, उसमें बीच में एक आदेश आ गया था, स्थानीय जिले के जो माईनिंग ऑफर है, उससे ऑफ लाईन एनओसी लेना पड़ेगा। बस वहीं से बात शुरू हो गयी थी । उस ऑफ लाईन की प्रक्रिया को माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने हटा दिया है और पूरी पारदर्शिता के साथ अब कोयला का वह व्यापार हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, विभिन्न चीजें हैं, मैं जिन पर बात करूंगा तो समय लग जायेगा । मैं आपसे निवेदनपूर्वक यही बात कहना चाहता हूँ कि आप आंकड़ों के आधार पर देख लें, पुलिस के एफर्ट के आधार पर देख लें, सरकार के एफर्ट के आधार पर देख लें या पूरे कम्यूनिटिव इफेक्ट के आधार पर देख लें, एक विषय जिसका दुख है, वाकई दुख है मैं आपके सामने सदन में स्वीकार करता हूँ, बलौदाबाजार की घटना हृद्य का दुख है और इस पर ठीक से कार्यवाही होगी । यहां सब कुछ सामने आयेगा, ऐसा मैं बिल्कुल सोचता हूँ । अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ कहना चाहता हूँ कि यह सारी बातें मिलकर जो बात कहती है, मैं नहीं सोचता कि कहीं कोई परेशानी है । बहुत-बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यों के विचार सुनने के तथा शासन का उत्तर सुनने के बाद मैं स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता । (मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के जवाब से हम लोग असंतुष्ट होकर सदन से बहिगर्मन करते हैं ।

समय
5.58 बजे

बहिगर्मन

शासन के उत्तर के विरोध मे

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों के द्वारा सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सदन से बहिगर्मन किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार दिनांक 25 जुलाई 2024 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित ।

(5 बजकर 59 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार दिनांक 25 जुलाई, 2024 (श्रावण 3, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक 24 जुलाई, 2024

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं